अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ
(Minority Benefits)

छात्रों के लिए योजनाओं का संग्रह

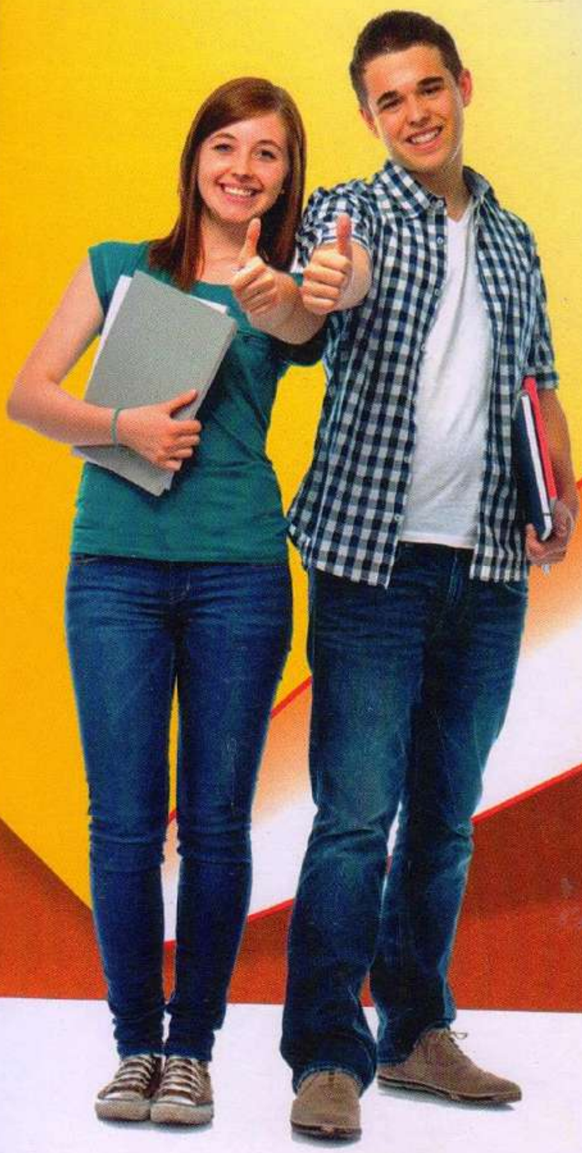

-बबीता जैन

अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

(Minority Benefits)

छात्रों के लिए योजनाओं का संग्रह

लेखिका
बबीता जैन

प्रकाशक :
श्रुत संवर्द्धन संस्थान
प्रथम तल, 247 दिल्ली रोड, मेरठ-250002

आचार्य 108 श्री शांतिसागर 'छाणी' महाराज की गौरवशाली परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरूवर आचार्यरत्न 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर प्रकाशित

अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

छात्रों के लिए योजनाओं का संग्रह

श्रुत संवर्द्धन संस्थान, 2021

पुण्यार्जक :

श्री पवन कुमार जैन श्रीमती विद्या जैन

राहुल जैन श्रीमती निशा जैन, एड॰ पियूष जैन, सुव्रत जैन

19 निधिवन सिटी, राधापुरम रोड, गणेशरा, मथुरा (उ॰प्र॰)

प्रथम संस्करण : 2021, 1100 प्रतियाँ

न्योछावर राशि : ₹200/- (पुनर्प्रकाशन हेतु)

प्राप्ति स्थान :

श्रुत संवर्द्धन संस्थान

प्रथम तल, 247 दिल्ली रोड

मेरठ- 250002 (उ॰प्र॰)

संस्कृति संरक्षण संस्थान

32/3C कांति नगर एक्सटेंशन

दिल्ली- 110051

फोन : 9811350254, 9312243845

प्राच्य श्रमण भारती

12/ए निकट जैन मंदिर

प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर- 251001 (उ॰प्र॰)

आशीर्वचन

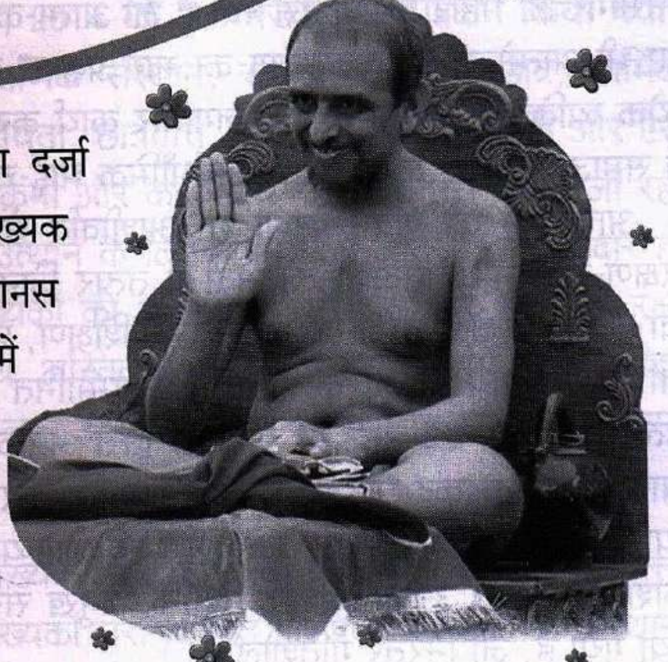

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिलने के बाद सरकार द्वारा दी जा रही अल्पसंख्यक सुविधाओं की जानकारी समाज के समस्त जनमानस तक पहुँचाना अति आवश्यक है। इस विषय में श्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, श्री सुरेश जैन, (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी) श्रीमती बबीता जैन एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य सराहनीय हैं।

इसी क्रम में बबीता जी ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी संकलित करके इस पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक समाज के सभी वर्गों को एवं खासकर वंचित व्यक्तियों तक पहुँचकर उन्हें अल्पसंख्यक सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी जिससे वे लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

आज समाज में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और समाज को जागरूक करने का दायित्व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का है। अल्पसंख्यक अधिकारों का प्रयोग करके हम समाज के अल्प आय वर्ग के लोगों को सामान्य धारा में ला सकें, ऐसी आशा है।

इस कार्य के लिए बबीता जी को शुभाशीष प्रदान करते हुए समाज के सभी वर्गों के प्रति अपना आशीर्वचन प्रेषित करता हूँ।

–आचार्य ज्ञानसागर

प्रकाशकीय

गौरवशाली जैन श्रमण परंपरा के अनेक संतों ने समय-समय पर भारत की पावन धरा पर जन्म लिए है। इन महान संतों ने मानव-जाति के लिए ही नहीं अपितु प्राणी-मात्र के कल्याण हेतु अपना पूरा जीव समर्पित कर दिया। सत्य, अहिंसा, संयम, तप और त्याग जैसे दैवीय गुणों से अलंकृत परम पावन आचा ज्ञानसागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो आत्म-कल्याण के अपने प्रथम लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए दुसरों के लिए भी आत्मोन्नति एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। पूज्य गुरुवर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, शाकाहार की महत्ता को स्थापित करते हुए देश एवं समाज में प्यार, करूणा एवं सार्वभौमिक भाई-चारे का संदेश फैला रहे हैं।

आचार्यश्री की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से स्थापित 'श्रुत संवर्द्धन संस्थान' दुर्लभ आगम ग्रंथों के संरक्षण-संवर्द्धन, जिनवाणी की सेवा में तत्पर जिनवाणी के महान सपुतों एवं अन्य क्षेत्रों यथा- प्रशासनिक सेवा, न्यायिक क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षण, प्रबंधन आदि क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों को उनके संबंधित क्षेत्रों में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करके सशक्त समाज एवं राष्ट्रनिर्माण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। संस्थान द्वारा अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों- तिलोय-पण्णत्ति, प्रमेय कमल मार्तंड, कषाय पाहुड, कुंदकुंद भारती, भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, एवं न्याय कुमुदाचार्य परिशीलन इत्यादि सहित 200 से भी अधिक दुर्लभ एवं अप्राप्य ग्रंथों तथा जनसामान्य के लिए उपयोगी सत्साहित्य का प्रकाशन करा कर उनको विशिष्ट विद्वानों, प्रमुख संस्थानों तथा जन-जन तक पहुँचाने का सराहनीय प्रयास किया गया है, जो निरंतर गतिशील है।

विदित हो कि जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है, जिस कारण जैन समुदाय के सदस्य एवं उनके द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभों के हकदार हैं। अल्पसंख्यक जैन समुदाय को उनकी जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध विभिन्न लाभों के बारें में जानकारी हिंदी भाषा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी। हमारे लिए गौरव का विषय है कि श्रीमती बबिता जैन ने अथक परिश्रम करके संबंधित सभी उपलब्ध जानकारियों को संकलित करके पुस्तकाकार में प्रस्तुत किया है।

हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस बहुपयोगी पुस्तक के प्रकाशन का सौभाग्य श्रुत संवर्द्धन संस्थान को प्राप्त हुआ है। आशा है कि पुस्तक जैन समुदाय, उनके संस्थानों, समाज, व्यापारियों, छात्रों, धार्मिक स्थानों, ट्रस्ट इत्यादि को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, अनुदान, ब्याज सब्सिडी और ऐसे अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध होगी। हम अपने प्रकाशपुंज एवं इस प्रकाशन के प्रेरणास्रोत परमपूज्य आचार्यरत्न 108 श्री ज्ञानसागरजी महाराज, जो निर्विवाद रूप से सर्वकालिक महान संतों में से एक हैं, के पावन चरणों में सविनय नमोस्तु निवेदित करते हैं।

हंस कुमार जैन

महासचिव
श्रुत संवर्द्धन संस्थान

प्रस्तावना

जैन समुदाय को भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी, 2014 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया। अब जैन समुदाय के पुरुष और महिलाएँ, उनके शैक्षणिक संस्थान, समाज, व्यापारी, छात्र, धार्मिक संस्थान गैर-सरकारी संगठन ट्रस्ट इत्यादि, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, अनुदान, ब्याज सब्सिडी और ऐसे अन्य लाभ जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, उपक्रमों और कई राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए प्रदान किए जाते हैं, के हकदार हो गए हैं। संविधान का मौलिक सार यह है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, संस्कृति और भाषा को रक्षा करनी चाहिए ताकि वे आत्म-सम्मान की भावना के साथ, अस्तित्व में रह सके। इसलिए हमें अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर समाज को शिक्षित और उन्नत करने का संकल्प लेना चाहिए।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की स्थापना नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ सन् 2004 में हुई थी। आयोग अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करता है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ताकि वे अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को सुचारु रूप से चला सकें। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने के लिए पहले अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं देता हैं, तो संस्थान सीधे आयोग में आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने की घोषणा पर, संस्थान सरकार के हस्तक्षेप किए बिना शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अपने- आप नियुक्त कर सकते हैं। संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दे सकती है और फीस निर्धारित कर सकती है। आरक्षण नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम ऐसे संस्थानों में लागू नहीं है। पूर्व मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जाती है। प्रत्येक छात्र को अपने स्कूल से इन छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

100 से 1000 रुपए मासिक तक की छात्रवृत्तियाँ उन छात्रों को दी जाती हैं जिनकी परिवारों की कुल वार्षिक आय विभिन्न योजनाओं के तहत एक या दो लाख रुपए से कम है। कुछ राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं जबकि कुछ राज्य अपनी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और लेखक सामग्री प्रदान की जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के छात्रों को इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति प्रदान करता है। साथ ही बोर्ड कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई करने वाली लड़कियों को प्राकृतिक और मूल विज्ञान के पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। डॉ० अंबेडकर फांउडेशन 10 वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉपोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, फांउडेशन फॉर अकादमिक एक्सीलेंस, केसीए महिंद्रा शिक्षा ट्रस्ट, कई अन्य धार्मिक ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठन अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं। विभिन्न बैंक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएमसी) पेशेवर और तकनीकी अध्ययनों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ब्याज सब्सिडी योजना के तहत, शिक्षा ऋण पर ब्याज पर पूर्ण सब्सिडी का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) स्व-रोजगार और आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करना है। एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड दो लाख रूपये है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष 6 से 9 प्रतिशत ब्याज दर पर लाभार्थी को 20 से 30 लाख तक ऋण उपलब्ध है।

विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (www.mhrd.gov.in) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (www.minortyaffairs.gov.in) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था, आयोग (www.ncmei.gov.in), मौलाना आजाद एजूकेशन फांउडेशन (www.maef.nic.in) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (www.ugc.ac.in) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (www.cbse.nic.in), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (www.nmdfc.org) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (www.nios.ac.in) इत्यादि भी बेवसाइट देखें।

–बबीता जैन

आभार/स्वीकृतियाँ

मैं आचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अल्पसंख्यक समुदायों के विभिन्न लाभों के बारें में, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी एकत्र करने और अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से जैन समुदाय की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए पुस्तक के रूप में संकलित करने के लिए प्रेरित किया। मैं उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे विभिन्न बेवसाइटों, पुस्तकों से इस तरह की जानकारी एक ही स्थान पर संग्रहित करने में सहयोग प्रदान किया। मुझे अपनी टिप्पणी की पेशकश की, पढ़ने, लिखने, संपादन और डिजाइन में सहायता प्रदान की।

मैं अपने परिवार के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हर समय अपना समर्थन दिया और उनके समय में से कुछ समय पुस्तक को देने के बावजूद मुझे प्रोत्साहित किया। जानकारी का संग्रह एवं उसका संकलन एक लंबी एवं कठिन यात्रा थी। मैं चयन, प्रारूप और संपादन की प्रक्रिया में प्रारंभ में मेरी सहायता करने के लिए श्री प्रदीप कुमार जैन, श्री अनुज कुमार जैन और श्री किशोर कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगी। आकर्षक तरीके से व्यापक अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित करने के लिए मैं श्रुत संवर्धन संस्थान की आभारी हूँ। श्री हंस कुमार जैन के लिए विशेष धन्यवाद जो मूल अंग्रेजी संस्करण व्यापक पुस्तक के रूप में लेकर आए और मुझे आम जनता की जानकारी के लिए इन छोटी और आसान पुस्तकों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज के लिए एक बार फिर धन्यवाद जिनके आदेश एवं मार्गदर्शन के बिना इन पुस्तकों का प्रकाशन संभव नहीं था और यह पुस्तकें अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित लोगों जो वास्तविक अर्थों में इन छात्रवृत्तियों, ऋणों, अनुदान आदि के पात्र हैं, की मदद करने के लिए, कभी भी नहीं आ पाती।

मूल अंग्रेजी संस्करण के हिंदी अनुवाद में मेरे सहयोग के लिए श्रीमती अनुभा जैन यमुनानगर का आभार जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद भी समय दिया और हिंदी अनुवाद लाने में सहयोग प्रदान किया।

और अंत में मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए क्षमा माँगना चाहूँगी जो इस पुस्तक के प्रकाशन में वर्षों से मेरे साथ रहे और मुझे सहयोग प्रदान करते रहे परंतु जिनका नाम मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर पाई हूँ।

विषय सूची

क्रम सं०	अध्याय का नाम	पेज नं
(i)	आशीर्वचन	ii
(ii)	प्रकाशकीय	i
(iii)	प्रस्तावना	V-V
1.	राजपत्र अधिसूचना आदेश/ कार्यालय ज्ञापन	1-7
2.	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15– सूत्रीय कार्यक्रम	8-1
3.	प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन कवर की गई योजनाएँ	16-1
4.	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	20-2
5.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	26-3
6.	मैरिट सह मीन्स छात्रवृत्ति	32-3
7.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	38-4
8.	मेधावी छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्तियाँ	45-4
9.	मौलाना आजाद सेहत योजना	49-5
10.	पढ़ो परदेश	55-6
11.	नई उड़ान	62-6
12.	नया सवेरा : निःशुल्क कोचिंग योजना	68-8
13.	पढ़ो परदेश योजना के संबंध में प्रश्न... छात्रों के लिए	82-8
14.	पढ़ो परदेश योजना के संबंध में प्रश्न... बैंकों के लिए	8
15.	नया सवेरा–प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न	85-8
16.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना–प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न	88-9

क्रम सं०	अध्याय का नाम	पेज नं०
17.	मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मैरिट-सह-साधन आधारित प्रश्न...	91-95
18.	सीखो और कमाओ	96-113
19.	विभिन्न राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि की छात्रवृत्ति...	114-137
20.	मेरिट सह मीन्स छात्रवृत्ति–शुल्क प्रतिपूर्ति पात्र संस्थानों की सूची	138-142
21.	व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आईबीए मॉडल ऋण योजना	143-147
22.	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न—शिक्षा ऋण	148-149
23.	नई-मंजिल के लिए दिशा-निर्देश	150-169
24.	छात्रवृत्ति एवं सहायता देने वाली जैन संस्थाएँ	170-181
25.	लेखिका के बारे में	182

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1227] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936
No. 1227] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISTHA 16, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

का.आ. 1477(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 2 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ज़रदुश्त (पारसी) और जैन समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 11-60/2013-एमसी]

वीना ईश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2014

S.O. 1477(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, (2 of 2005), the Central Government hereby notifies the communities, viz., Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) and Jains as minority communities for the purposes of the said Act.

2. This issues with the approval of the competent authority.

[F. No. 11-60/2013-MC]

VEENA ISH, Jt. Secy.

2344 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(To be published in the Gazette of India Extraordinary in Part II, Section 3 Sub-Section (ii))

Government of India
Ministry of Welfare

-.-

Shastri Bhavan, New Delhi-1
Dated, the 23rd Oct., 1993

NOTIFICATION

S.O.No. 816 (E). In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the following communities as "the minority communities" for the purposes of the said Act, namely :-

1. Muslims.
2. Christians.
3. Sikhs.
4. Buddhists.
5. Zoroastrians (Parsis).

(P.K. Mohanty)
JOINT SECRETARY

F.No. 1/11/93 - MC(D)

The Manager,
Government of India Press,
Maya Puri,
New Delhi.

Copy to :

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
3. President's Secretariat, New Delhi.
4. Vice-President's Sectt., New Delhi.
5. Cabinet Sectt., New Delhi.
6. Union Public Service Commission, Dhol Pur House, New Delhi.
7. Election Commission, Nirvachan Sadan, New Delhi.
8. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
10. National Commission for Minorities, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

NOTIFICATION ISSUED BY GOVERNMENT NOTIFYING THE MINORITY COMMUNITIES UNDER NCMEI ACT

PUBLISHED IN PART I OF THE GAZETTE OF INDIA

Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Secondary & Higher Education)

New Delhi, the 18th January, 2005

NOTIFICATION

NO.F. 7-5/2005-MC(P). In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, the Central Government hereby notifies the following communities as the minority communities for the purpose of the said Act, namely:

1. Muslims
2. Christians
3. Sikhs
4. Buddhists
5. Zoroastrians (Parsis)

This issues with the approval of the competent authority.

(C. Balakrishnan)
Joint Secretary to the Government of India

To

The Manager
Government of India Press
(Bharat Sarkar Press)
Faridabad

F. No. 2/37(2)/2014-SS
Government of India
Ministry of Minority Affairs

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003
Dated 22.08.2014

To

The Principal Secretary/Secretary,
All State Governments/UT Administrations of
____
____

Subject: Removal of requirement of Affidavits for Minority Community Certification and Income Certification for availing Scholarships- regarding

Sir/Madam,

It has been decided with the approval of Competent Authority in the Ministry that requirement of submission of Affidavit towards (i) Community Certificate and (ii) Income certificate under Pre-matric, Post-matric, and Merit-cum-Means based Scholarship Scheme for students belonging to the notified minority communities have been done away with immediate effect. However, this may not apply for application already received by the State Government/UT Administration under these Schemes.

2. For Community Certificate, self-certification of the student is sufficient while for income certification, only the certificate issued by the Competent Authority of the State/UT concerned will be accepted.

3. It is requested that necessary directions may be issued by the State Government/UT Administration in this regard.

4. Documentation under the Scholarship Schemes for students belonging to the minority community also stands amended.

Yours faithfully,
22/8
(Pradeep Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele no. : 011- 24364310

Copy to:
1. PS to Hon'ble Minister (MA)
2. Sr. PPS to Secretary (MA)
3. PS to Joint Secretary (SS)
4. PPS to Joint Secretary (A&P)
5. Tech. Director (NIC) with the request to upload the letter on the web site o. this Ministry in Whats New as well as in the Scheme guidelines of all three Scholarship Schemes.

सं. 1-9/2014-मीडिया

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2015

कार्यालय ज्ञापन

उप. ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'' -अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के योजनाओं/कार्यक्रमों में आवेदकों द्वारा दस्तावेजों की स्वघोषणा।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों में आवेदकों से तत्काल प्रभावः से निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वघोषणा/ स्वप्रमाणन/स्व-प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा।

क्र.सं.	योजनाओं का नाम/कार्यक्रम	छात्रों/लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं से प्राप्त दस्तावेज	अधिकारियों जो दस्तावेज एकत्र करना
1.	शैक्षिक योजनाएँ सभी छात्रवृत्ति/ फैलोशिप योजनाओं कोचिंग कार्यक्रम पढ़ो परदेश योजना	(i) धर्म प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) पिछले वर्ष की मार्कशीट	स्कूलों/संस्थानों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य या यूटी सरकारों
2.	नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व लिए योजना	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक प्रमाण-पत्र	गैर-सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएँ
3.	सीखो और कमाओ, कौशल विकास पहल	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक प्रमाण-पत्र	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों
4.	एनएमडीएफसी की ऋण कार्यक्रम	(i) धर्म का प्रमाण-पत्र (ii) परिवार आय प्रमाण-पत्र (iii) शैक्षिक ऋण के मामले में पिछले वर्षों की मार्कशीट (iv) कोई अन्य शपथ-पत्र	एनएमडीएफसी और उसके राज्य चैनल एजेंसियों को करना

2. जैसा कि ऊपर तालिका में कॉलम-IV में उल्लेख किया गया है, सभी प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों के सत्यापन पर तब तक जोर दें जब तक कि यह कानून द्वारा अपेक्षित न हो।

3. इस तरह के स्व-प्रमाणिकीकरण/स्व-परीक्षण के लिए आवश्यक प्रारूप पहले ही मंत्रालय की वेबसाइट पर और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित है।

एसडी/-

(अनुराग बाजपेयी)

निदेशक

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15- सूत्रीय कार्यक्रम

(क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य है- उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं का सम्पूर्ण विकास इसके लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं; जैसे– संपूरक पोषण, स्वास्थ्य जाँच, प्रतिरक्षीकरण, परामर्श सेवाएं, पूर्व स्कूल व अनौपचारिक शिक्षा। आईसीडीएस प्रोजेक्ट और आंगनबाड़ी केन्द्र की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गाँवों/प्रखण्डों में स्थापित की जाएगी ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी उचित रूप से मिल सके।

2. विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे विद्यालय की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गाँवों/क्षेत्रों में स्थापित की जायें।

3. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन

उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम चौथाई जनसंख्या की सेवा करते हों।

4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

एरिया इंटेशिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय योजनागत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अवसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए, यह कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित व प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।

5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बनायी एवं कार्यान्वित की जाएगी।

6. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से भौतिक अवसंरचना को उन्नत करना

सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी सम्भव सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ व व्यापक कर सके।

(ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोज़गार में समुचित हिस्सेदारी

7. गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं– गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक भौतिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ख) स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना के दो मुख्य घटक हैंः शहरी स्वरोजगार योजना और शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वास्तविक और आर्थिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

8. तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन

अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में लगा हुआ है या दस्तकारी द्वारा अपनी जीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और जीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए, सभी नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कतिपय संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएँगे और "उत्कृष्टता केन्द्रों" के रूप में उन्नत किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का चयन उसी आधार पर किया जाएगा।

9. आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य, अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। सरकार इस निगम को अधिक इक्विटी सहायता देकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है जिससे कि यह निगम अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा।

(ख) स्वरोजगार योजना के निर्माण और उसे बनाये रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ शामिल हैः- खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों व छोटे कामधंधों के लिए ऋण, रिटेल ट्रेड, व्यावसायिक व रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण व अन्य छोटे ऋण आदि। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित है।

10. राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) राज्य सरकार को यह सलाह दी जाएगी कि पुलिस कर्मियों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यार्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाए। इस उद्देश्य के लिए चयन समितियों के संयोजन का प्रतिनिधित्व होने चाहिए।

(ख) केंद्र सरकार भी, केंद्रीय पुलिस बलों में कर्मियों की भर्ती करते समय इसी प्रकार की कार्यवाही करेगी।

(ग) रेलवे राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजि कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। जिसमें इन संस्थाओं को सहायता दी जाएगी।

(ग) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

11. ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इंदिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वास्तविक व आर्थिक लक्ष्यों को निश्चित प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन लाभभोगियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

12. **अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार**

(क) एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की योजनाओं के अंतर्गत, केंद्र सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है। जिससे इन बस्तियों में जन सुख-सुविधाएँ और मूल सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा इन समुदायों की घनी आबादी वाले नगरों/मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले।

(ख) शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) योजना, लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आधारभूत सुविधा और अवसंरचना के प्रावधान के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध कराती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक बहुत शहरों/नगरों/जिलों/ब्लॉकों को समान रूप से मिले।

(घ) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

13. **साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम**

साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किए क्षेत्रों में ऐसे जिला व पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशलता, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में और अन्य कहीं भी, सांप्रदायिक तनाव को दूर करना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की प्राथमिक ड्यूटियों में होना चाहिए। इस संबंध में इनका कार्य निष्पादन, उनकी पदोन्नति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए।

14. **साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन**

उन सभी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा में हिस्सा लेते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्रता से दंडित किया जा सके।

15. **साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुर्नवास**

साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15- सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश

माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतंत्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि "हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एवं बेहतर 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाएगा।" इन्हीं वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना।

(ख) मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों पर भर्ती करना।

(ग) अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उपयुक्त हिस्सा सुनिश्चित करके उनकी दशा बेहतर बनाना।

(घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा नियंत्रण एवं रोकथाम।

(ङ) नए कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों तक पहुँचे। अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों को निश्चित रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्षित समूह में शामिल किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को इन योजनाओं का लाभ उचित रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यथानुपात विकास परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं भी संभव हो विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय राशि का 15 % अल्संख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(च) कार्यक्रम में उपयुक्त उपायों के माध्यम से सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा सार्वजनिक क्षेत्र सहित सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखने के प्रयास के रूप में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया गया है। यह नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है।

(छ) कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी योजना के मानदंडों, मानकों अथवा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा इनमें किसी छूट की परिकल्पना नहीं की गई है। ये योजनाएं कार्यक्रम मूल योजनाओं के रूप में ही रहेंगी।

(ज) 15-सूत्रीय कार्यक्रम में व्यक्त शब्द "महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी" उन जिलों/ उप जिला इकाइयों में लागू होता है जहां जिस इकाई की कुल आबादी की न्यूनतम 25 % आबादी अल्यसंख्यक समुदायों से सबंद्ध हो।

(झ) (i) कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 2 (ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बोद्धों तथा जोरोएस्ट्रिन (पारसी) के पात्र वर्ग्रों को शामिल किया गया है।

(ii) उन राज्यों में, जहाँ कोई एक अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 92) के अधीन अधिसूचित हो, अर्थात् बहुसंख्यक हो तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए किया जाएगा। ये राज्य हैं, पंजाब, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड। लक्षद्वीप,जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख इस समूह में शामिल संघ शासित क्षेत्र हैं।

(ञ) नया कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग इस कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो न्यूनतम भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय होगा।

3. वास्तविक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय :

कार्यक्रम की जटिलता तथा इसकी व्यापक पहुँच को ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं भी संभव होगा, संबंधित मंत्रालय/विभाग वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित करेगा। इसका विभाजन निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करते हुए देश में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही कुल अल्पसंख्यक आबादी को ध्यान में रखकर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही आबादी के यथानुपात आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच किया जाएगाः–

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्र विशेष के लिए लागू योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी के केवल संगत अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(ii) शहरी क्षेत्र विशेष के लिए लागू योजनाओं के लिए शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी के केवल संगत अनुपात पर विचार किया जाएगा।

(iii) अन्यों के लिए, जहां इस प्रकार का अंतर संभव नहीं है, इनकी कुल संख्या पर विचार किया जाएगा।

(ख) पैरा 7 (ख) में उल्लिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में अन्य बहुसंख्यकों के अलावा सिर्फ गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए ही वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय का निर्धारण होगा।

4. इस प्रकार के निर्धारण के लिए निम्नलिखित योजनाएं पात्र हैं:

सूत्र सं. (क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

(1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करेगी।

(2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा इसी तरह की अन्य सरकारी योजनाएं।

सूत्र सं. (ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

(7) गरीबों के लिए स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(ख) स्वर्णजयंती शहरी रोज़गार योजना

(8) तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन को बढ़ाना

नए आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाना।

(9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(ख) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऋण देना

सूत्र सं. (ग) : अल्पसंख्यकों के जीवनस्तर की दशा में सुधार करना

(11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

(12) अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधार

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनयूआरएम)।

शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी), लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसरंचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी)

5. कार्यान्वयन, देखरेख तथा रिपोर्टिंग :

(क) मंत्रालय/विभाग स्तर:

कार्यक्रम में शामिल योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले मंत्रालय/विभाग वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय व्यय के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे तथा इनकी देखरेख करेंगे। संबंधित मंत्रालय/विभाग इन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और तिमाही आधार पर कार्यान्वयन प्रगति की रिपोर्ट अगली तिमाही के पन्द्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजेंगे।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर :

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के निए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन करेंगे। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और इसके सदस्यों में 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन योजनाएं लागू करने वाले विभागों के सचिव और विभाग प्रमुख, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों

के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों से संबद्ध ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि तथा ऐसे तीन अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, शामिल होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा से अधिकतम दो सदस्यों तथा राज्य सभा से एक सदस्य को नामित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा दो विधान सभा सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय समिति में शामिल लोक सभा और विधान सभा सदस्यों में से एक सदस्य को उस राज्य के अल्पसंख्यक बहुल किसी क्षेत्र से चुना हुआ होना चाहिए, जिस राज्य में ये अल्पसंख्यक बहुल जिले (एसीडीएम) है। राज्य/संघ क्षेत्र के अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग 15-सूत्रीय कार्यक्रम की देखरेख के लिए नोडल विभाग बना सकते हैं।

समिति को हर तिमाही में कम-से-कम एक बार अपनी बैठक करनी होगी तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग तिमाही के पन्द्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेज सकेंगे।

(ii) **जिला स्तर :** इसी तरह से, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों, अल्पसंख्यकों से संबंद्ध ख्यातिप्रद संस्थानों के तीन प्रतिनिधियों सहित जिले के कलेक्टर/उपायुक्त इसके प्रमुख होंगे। लोक सभा और विधान सभा में संबद्ध जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों को समिति में शामिल किया जाएगा ।इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट का राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य/संघ राज्य प्रशासन के अल्पसंख्यक कार्य से संबद्ध विभागों को प्रस्तुत करेगी।

(ग) केन्द्र स्तर :

(i) केन्द्रीय स्तर पर लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन की प्रगति की देखरेख छमाही में एक बार सचिवों की समिति करेगी और अपनी रिपार्ट केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे छमाही में एक बार सचिवों की समिति और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग अपनी तिमाही रिपोर्ट अगली तिमाही के पंद्रहवें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

(ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के लिए एक पुनरीक्षा समिति होगी। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों सहित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सचिव इस समिति का प्रमुख होगा। प्रगति की समीक्षा करने, फीडबैक प्राप्त करने, समस्याओं को सुलझाने तथा स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, इसे समिति की बैठक तिमाही में एक बार होगी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई और प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के अधीन कवर की गई योजनाओं/ कार्यक्रमों/पहलों के ब्यौरे।

1. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाएं/कार्यक्रम/पहलें:

(क) शैक्षिक सशक्तिकरण :

(i) छात्रवृत्ति योजनाएं :

(क) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ग) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति

(ii) कोचिंग योजनाएं :

(क) नया सवेरा

(ख) विज्ञान स्ट्रीम के मेधावी छात्रों के लिए अनन्य रूप से नया घटक

(iii) 'नई उड़ान'-संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सहायता।

(iv) 'पढ़ो परदेश'– विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद

(v) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)

(vi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) जो निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित करता है:

(क) मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

(ख) क्षेत्र/अवसंरचना विकास :

(i) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

(ग) आर्थिक सशक्तिकरण :

(i) कौशल विकास

(क) 'सीखो और कमाओ' (लर्न एंड अर्न) – अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल।

(ख) विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों मे कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)

(ग) 'नई मंजिल' – अल्पसंख्यक समुदायों से युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण।

(घ) महिला सशक्तिकरण :

'नई रोशनी' – अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना।

(ङ) विशेष जरूरतें :

(i) 'हमारी धरोहर' – अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए

(ii) 'जियो पारसी' – छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या की गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।

(iii) निम्नलिखित के माध्यम से वक्फ प्रबंधन :

(क) केन्द्रीय वक्फ परिषद (ख) राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको)

(iv) हज प्रबंधन

2. प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अधीन कवर की गई अन्य समान मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं/कार्यक्रमः

क्रम. संख्या	कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय/विभाग का नाम	प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई योजना/ कार्यक्रम	सच्चर समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कवर की गई योजना/ कार्यक्रम
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग)	सर्व शिक्षा अभियान	सर्व शिक्षा अभियान
		मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम)	मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम)
		अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)
		उर्दू शिक्षण हेतु अधिक संसाधन	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
			साक्षर भारत/मौलाना आजाद तालीम-ए-बालिगान

			जन शिक्षा संस्थान स्थापित करना
			अध्यापकों की शिक्षा के ब्लॉक संस्थानों की स्थापना
			मध्याह्न भोजन योजना
2.	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**	आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	
3.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**	दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम)	
4.	**आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**	दीनदयाल अंत्यादय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम)	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम)
		शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी)	शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी)
		एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
5.	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय**	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) का उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) का उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयन
6.	**वित्तीय सेवाएं विभाग**	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण
			नई बैंक शाखाएं खोलना/ जागरूकता अभियान
7.	**शहरी विकास मंत्रालय**	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी)	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी)
		लघु एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)	लघु एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)
			शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
			वक्फ संपत्तियों को किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट

8.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	
9.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)	अल्पख्यकों की भर्ती पर विशेष ध्यान देने हेतु दिनांक 08 जनवरी, 2007 के संशोधित दिशा-निर्देश	उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
10.	गृह मंत्रालय	सांप्रदायिक सदभाव संबंधी जुलाई 2008 के संशोधित दिशा-निर्देश	" सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति की सुलभता) विधेयक" का अधिनियमन
11.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसारण के लिए मल्टीमीडिया अभियान
12.	सांस्कृतिक मंत्रालय		सीडब्ल्यूसी के साथ वार्षिक बैठक तथा वक्फ स्मारकों का संरक्षण
13.	नीति आयोग (तत्कालीन योजना आयोग		आकलन एवं मानीटरिंग प्राधिकरण का गठन
14.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित करना।
15.	पंचायती राज मंत्रालय		ग्रामीण स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
16.	विधि एवं न्याय मंत्रालय		परिसीमन अधिनियम
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		स्थानीय भाषाओं में सूचना का प्रचार-प्रसार करना।

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' की केन्द्र प्रायोजित योजना

1. पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम, जून 2006 में घोषि किया गया था। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की ए योजना कार्यान्वित करने का प्रावधान है।

2. उद्देश्य

मैट्रिक-पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को इस बात के लिए प्रोत्साहि करेगी कि वे अपने स्कूल जाने लायक बच्चों को स्कूल भेजें और अपने शिक्षा के संबंधित वित्ती बोझ को कम करें और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा को पूरा करने में उनके प्रयासों में सहयोग करें इस योजना से अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के आधार का निर्माण होगा औ रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भूमिका भी तैयार होगी। इस योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण है, जिसमें इस बात की सम्भावना विद्यमान है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

3. योजना का क्षेत्र

यह छात्रवृत्ति, आवासीय सरकारी संस्थानों तथा सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित पात्र निजी संस्थानों सहित कक्षा 1 से 10 तक भारत में अध्ययन के लिए प्रदान की जाएगी।

4. पात्रता

ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 % से कम अंक प्राप्त न किए हों, और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रु. से अधिक न हो।

5. वितरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा (ग) के अंतर्गत मुसलमानों, सिखों ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच छात्रवृत्तियों का वितरण, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ क्षेत्रों में उक्त अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या, के आधार पर किया जाएगा। (इसे बदल दिया जाएगा जब वर्ष 2011 के आंकड़े उपलब्ध होंगे।)

6. छात्राओं के लिए निर्धारण

30 % छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएँगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होगी तो शेष निर्धारित छात्रवृत्तियों को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

7. चयन

अल्पसंख्यकों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या निर्धारित और सीमित होने के कारण यह आवश्यक है कि चयन के लिए वरीयता का निर्धारण किया जाए। छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने के समय अंकों के बजाय निर्धनता स्तर को वरीयता दी जानी हे। नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों का निपटान, नए आवेदनों पर विचार किए जाने से पहले, कर दिया जाएगा।

8. अवधि

छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी। अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए ही दिया जाएगा।

9. छात्रवृत्ति की दर

प्रवेश शुल्क/शिक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण के लिए निम्नानुसार, प्रत्येक संबंधित मद के सामने दर्शाई गई अधिकतम सीमा की शर्त पर, वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

क्र.सं.	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क	वास्तविक या 500 रु. प्रतिवर्ष	वास्तविक या 500 रु. प्रतिवर्ष
2.	कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क	वास्तविक या 350 रु. प्रतिवर्ष	वास्तविक या 350 रु. प्रतिवर्ष
3.	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा		
	(i) कक्षा 1 से 5	शून्य	100 रु. प्रतिमाह
	(ii) कक्षा 6 से 10	वास्तविक या 600 रू. प्रतिमाह	100 रु. प्रतिमाह

★ हॉस्टलवासियों में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में या जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहते हों।

10. कार्यान्वयन अभिकरणें

यह योजना सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

11. छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

(i) ये छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को उपलब्ध होगी, जो कक्षा 1 से 10 में अध्ययन कर रहे हैं। छात्रवृत्ति को जारी रखना पिछली अंतिम परीक्षा में 50 % अंक प्राप्त करने की शर्त पर होगा। अनुरक्षण भत्ता हॉस्टलवासी और दिवास्कॉलरों को प्रदान किया जाएगा।

(ii) छात्रवृत्ति को बंद कर दिया जाएगा यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में 50 % अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, किन्तु उन अपरिहार्य कारणवश छात्रवृत्ति बंद नही की जाएगी, जिसके कारण को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उसकी अनुशंसा की गई हो।

(iii) ये छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक छात्रों को नही दी जाएगी।

(iv) छात्रों को उपस्थिति में नियमित होना चाहिए, जिसके लिए स्कूल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानदण्ड का निर्धारण किया जाएगा।

(v) आय का प्रमाण–पत्र : स्वरोजगार में लगे माता-पिता के लिए नियोक्ता से आय का प्रमाण-पत्र, या राज्य सरकार/संघ घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

(vi) संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में न रहने वाले छात्र के बाहरी छात्र होने के दावे को स्कूल/संस्थान प्रमाणित करेंगे।

(vii) एक स्कूल/संस्थान से दूसरे स्कूल/संस्थान में छात्र का आव्रजन, शैक्षिक वर्ष के दौरान, अपवादजन्य परिस्थितियों को छोड़कर छात्र के शैक्षिक कैरियर के हित में, प्रायः नहीं होगा।

(viii) यदि कोई छात्र अनुशासन का अथवा छात्रवृत्ति की किसी अन्य निबंधन व शर्त का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति को निलम्बित या रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी सीधे इसको रद्द कर सकते हैं यदि वे योजना को शासित करने वाले विनिमयों के उल्लंघन के कारणों से संतुष्ट हैं।

(ix) यदि कोई छात्र गलत विवरण द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और दी गई छात्रवृत्ति की राशि को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जाएगा।

(x) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों पर आगे कार्यवाही करने और स्वीकृति के लिए प्रक्रिया करेंगे।

(xi) पाठ्यक्रम शुल्क/शिक्षण शुल्क को स्कूल/संस्थान के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक तरीके से अंतरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(xii) अनुरक्षण भत्ते को छात्र के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक तरीके से अंतरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(xiii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित एक रिकॉर्ड रखेंगे और इसका मंत्रालय के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(xiv) इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) कोई छात्र सभी स्त्रोतों अर्थात् एससी/ एसटी/ ओबीसी के लिए केवल एक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।

(xvi) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, जो स्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत लोगों के बच्चे और अन्य पिछड़ा वर्ग से भी संबंधित हो सकते हैं, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्त्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न करें और केवल एक ही स्त्रोत से इसे प्राप्त करें तथा ऐसी छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों का गठन करेंगे।

(xvii) बाद के वर्षों में छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु धनराशि तभी जारी की जाएगी जब पिछले वर्ष जारी की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए।

(xviii) इस योजना का मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन की लागत, योजना के प्रावधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

(xix) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगत ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर रखेंगे।

(xx) इन विनियमों को भारत सरकार के विवेकाधिकार से किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

12. प्रशासनिक व्यय

चूंकि प्रविष्टि किए जाने और प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की मात्रा काफी होगी और यह स्कीम वर्ष-दर-वर्ष कार्यान्वित रहती है, अतः शुरू से ही अर्हता प्राप्त कुशल एवं पात्र कार्मिक को लगाने की

जरूरत होगी ताकि यह सुनिश्चित किए जा सके कि आंकड़ा-आधारित कम्प्यूटर प्रणाली क्रियाशील रहे। इस उद्देश्य से डिजाइन किए गए कम्प्यूटर प्रोग्राम अर्थात् आंकड़े प्रति-टी, संसाधन, विश्लेषण, निगरानी, पुनः प्राप्ति (रिट्रीव) और अंतरण आदि कार्य में अर्हता प्राप्त, कुशल एवं पात्र कार्मिक को आवश्यकतानुसार अनुबंध आधार पर भी कार्य पर रखा जाना चाहिए। राज्यों/संघ शासित राज्यों से प्राप्त आंकड़ों का रख-रखाव मंत्रालय में इसी तरह की विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा, जिन्हें अनुबंध आधार पर रखा जाएगा।

प्रशासनिक और सम्बद्ध लागतों अर्थात् राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कम्प्यूटरों और सहायक-सामग्रियों, फर्नीचर, आवेदन-प्रपत्र के मुद्रण, विज्ञापनों, कार्मिकों, की तैनाती आदि सहित कार्यालय उपकरणों पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कुल बजट के 1 % से अनाधिक का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रावधान का उपयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लगाए बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से योजना के मूल्यांकन और निगरानी कार्य के लिए भी किया जाएगा।

13. छात्रवृत्ति का नवीकरण

किसी पाठ्यक्रम के लिए एक बार छात्रवृत्ति प्रदान कर दिए जाने के बाद आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए उसका नवीकरण किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यार्थी परीक्षा में 50 अंक अर्जित करने के आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

14. योजना की घोषणा

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कीम की घोषणा अग्रणी भाषा समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिकों जनभाषा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और प्रचार के अन्य उपयुक्त माध्यमों द्वारा, समय पर की जाएगी।

15. आवेदन-प्रक्रिया

राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कम्प्यूटरीकरण प्रणाली को कार्यरत कर दिए जाने पर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवेदन-प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। भरे हुए आवेदन-प्रपत्र आपेक्षित प्रमाण-पत्रों के साथ नियत समय में पुनः वापिस प्राप्त किए जाने चाहिए।

16. वित्तीय सहायता की पद्धति

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण 75.25 के अनुपात में होगा। तथापि, सत्र 2014–15 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बनने पर वित्त–पोषण 100 प्रतिशत होगा। संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

17. निगरानी और पारदर्शिता

योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन की निगरानी करेंगे। इस प्रयोजन के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना की वित्तीय और वास्तविक प्रगति से संबंधित तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों के वर्षवार ब्यौरे रखे जाएंगे, जिसमें स्कूल/संस्थान, स्कूल/संस्थान का स्थान, स्कूल सरकारी है या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीकरण, स्थायी पता और माता-पिता के पते का उल्लेख होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी शासकीय वेबसाइट पर संगत वास्तविक एवं वित्तीय ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे।

18. मूल्यांकन

योजना की वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन की निगरानी का मूल्यांकन, उन ख्याति-प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन के लिए नियत किया गया हो।

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति' की केन्द्र प्रायोजित योजना

1. पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम, जून 2006 में घोषित किया गया था। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की एक योजना कार्यान्वित करने का प्रावधान है।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अल्पंसख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा में अच्छे अवसर, उच्च अवसर, उच्च शिक्षा में उनकी संख्या और उनकी नियोजिता को बढ़ाया जा सके।

3. योजना का क्षेत्र

यह छात्रवृत्ति, सरकार के ऐसे आवासीय संस्थानों या चयनित पात्र निजी संस्थानों जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी तरीके से अधिसूचित किया गया हो,सहित भारत में किसी सरकारी या निजी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रदान की जानी है। यह कक्षा 11 और 12 स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के साथ संबद्ध हैं।

4. पात्रता

यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 % से कम अंक प्राप्त न किए हों, या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रु. से अधिक न हो।

5. वितरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा (ग) के अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच छात्रवृत्तियों का वितरण, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ क्षेत्रों में उक्त अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या, के आधार पर किया जाएगा।

6. छात्राओं के लिए निर्धारण

30 % छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएँगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होगी तो शेष निर्धारित छात्रवृत्तियों को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

7. चयन प्रक्रिया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के विपरीत, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या कम सीमित है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों जिनकी न्यूनतम आय होगी, उन्हें आरोही क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदनों पर विचार करने से पहले नवीनीकरण के आवेदनों का निपटान किया जाएगा।

8. अवधि

छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी। अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षिक वर्ष में 10 मास से अधिक अवधि के लिए ही नहीं दिया जाएगा।

9. छात्रवृत्ति की दर

प्रवेश शुल्क/शिक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण के लिए निम्नानुसार, प्रत्येक संबंधित मद के सामने दर्शाई गई अधिकतम सीमा की शर्त पर, वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

(राशि रूपए में)

क्र.सं.	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1.	11 से 12 कक्षा के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक , अधिकतम 7000/- रु प्रतिवर्ष	वास्तविक , अधिकतम 7000/- रु प्रतिवर्ष
2.	कक्षा 11 और 12 स्तर के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित)	वास्तविक, अधिकतम 10,000/-रु प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम 10,000/-रु प्रतिवर्ष
3.	अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक , अधिकतम 3000/- रु प्रति वर्ष	वास्तविक , अधिकतम 3000/- रु प्रतिवर्ष
4.	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है।)		
	(i) कक्षा 11 से 12 और इस स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित	380/-रु प्रति मास	230-प्रति मास
	(ii) अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम	570/- रु. प्रति मास	300/-रु प्रति मास

	(iii) एम.फिल और पी.एच.डी (यह उन शोधकर्ताओं के लिए है जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फैलोशिप प्रदान नहीं की जाती है)	1200/- रु. प्रति मास	550/-रु प्रति मास

★ हॉस्टलवासियों में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहते हैं लेकिन पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं या नगरों/कस्बों में किराए के मकान में रहते हैं और वे ऐसे स्थान नहीं है जहां उनके माता-पिता रहते हैं।

10. कार्यान्वयन अभिकरणें

यह योजना सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

11. छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

(i) ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से अंक प्राप्त न किए हों, या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रु. से अधिक न हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के विपरीत, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या नियत है और इसलिए चयन हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गई है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों जिनकी न्यूनतम आय होगी, उन्हें आरोही क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदनों पर विचार करने से पहले नवीकरण के आवेदनों को निपटाया जाएगा।

(ii) छात्रवृत्ति को बंद कर दिया जाएगा यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में 50% अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त करने में असफल रहता है। ये छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र/डिग्री/एम. फिल डिग्री/डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने में लगने वाली सामान्य अवधि से अधिक समय के लिए प्रदान नहीं की जाएगी।

(iii) ये छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक बच्चों को नहीं दी जाएगी।

(iv) छात्र को उपस्थिति में नियमित होना चाहिए जिसके लिए स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानदण्ड का निर्धारण किया जाएगा।

(v) एक संस्थान के दूसरे संस्थान में छात्र का आव्रजन शैक्षिक वर्ग-के दौरान, अपवादजन्य परिस्थितियों को छोड़कर छात्र के शैक्षिक भविष्य के हित में प्रायः अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) यदि कोई छात्र, छात्रवृत्ति की कोई अन्य निबंधन व शर्त का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति को निलम्बित या रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी सीधे इसको रद्द कर सकते हैं यदि वे योजना को शासित करने वाले विनियमों के उल्लंघन के कारणों से संतुष्ट हैं।

(vii) यदि कोई छात्र गलत विवरण/प्रमाण पत्र द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द की दी जाएगी और दी गई छात्रवृत्ति की राशि को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जाएगा।

(viii) पाठ्यक्रम शुल्क/शिक्षण शुल्क अनुरक्षण भत्ते को छात्र के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

(ix) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित एक अलग खाता और अभिलेख रखेंगे और इसका मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा या मंत्रालय द्वारा पदनामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(x) इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना जो इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की गई है, के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से भी संबंधित हो सकते हैं, इसी प्रयोजन के लिए अन्य स्त्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न करें और केवल एक ही स्त्रोत से इसे प्राप्त करें, ऐसी छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों की एक समिति का गठन करेंगे।

(xii) बाद के वर्षों में छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु धनराशि तभी जारी की जाएगी जब पिछले वर्ष जारी की गई धनराशि को उपयोग में लाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए।

(xiii) इस योजना का मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन अध्ययन की लागत, योजना के प्रावधान के अंतर्गत द्वारा वहन की जाएगी।

(xiv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगतपूर्ण ब्यौरों को अपनी बेवसाइट पर रखेंगे।

(xv) इन विनियमों को भारत सरकार के विवेकाधिकार से किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

(xvi) संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कार्यवाही करने उनकी जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा (विकल्पित कार्य प्रवाह के अनुसार) और समयानुसार छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के लिए पात्र छात्रों का प्रस्ताव ऑनलाइन इस मंत्रालय को भेजेगा।

12. प्रशासनिक व्यय

यह स्कीम वर्ष-दर-वर्ष कार्यान्वित रहनी है, इसलिए कम्प्यूटर में प्रविष्ट किए जाने वाले और कार्य मे लाए जाने वाले आंकड़ों की मात्रा की अधिकता के कारण शुरू से ही कार्यकुशल एवं पात्र कार्मिक को लगाना, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि आंकड़ों-आधारित कम्प्यूटर प्रणाली क्रियाशील रहे। इस उद्देश्य से डिजाइन किए गए कम्प्यूटर प्रोग्राम अर्थात् डाटा प्रवि-टी, संसाधन, विश्लेषण, निगरानी, सुधार और ट्रांसफर कार्य में दक्षता प्राप्त, कार्यकुशल एवं पात्र कार्मिक को आवश्यकतानुसार करार आधार पर भी कार्य पर रखा जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का रख-रखाव मंत्रालय में समकक्ष विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा, जिन्हें करार आधार पर रखा जा सकता है।

प्रशासनिक और प्रशासन से जुड़े लागतों राज्यों/संघ क्षेत्रों और मंत्रालय द्वारा कार्यालय उपकरणों, कम्प्यूटर और सहायक-सामग्रियों, फर्नीचर, आवेदन-प्रपत्र के मुद्रण, विज्ञापनों, कार्मिकों को तैनाती आदि के व्यय के लिए कुल बजट के अधिकतम 2 % का प्रावधान। इस प्रावधान का उपयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लगाए गए बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों/अभिकरणों के माध्यम से योजना के मूल्यांकन और निगरानी कार्य के लिए भी किया जाएगा।

13. छात्रवृत्ति का नवीकरण

किसी पाठ्यक्रम के लिए एक बार छात्रवृत्ति प्रदान कर दिए जाने के बाद आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए उसका नवीकरण किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यार्थी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने के आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

14. योजना की घोषणा

सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कीम की घोषणा अग्रणी भाषा समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिकों जनभाषा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और प्रचार के अन्य उपयुक्त माध्यमों द्वारा यथासमय की जाएगी।

15. आवेदन-प्रक्रिया

राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कम्प्यूटरीकरण प्रणाली को कार्यरत कर दिए जाने पर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवेदन-प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। भरे हुए आवेदन-प्रपत्र अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के साथ नियत समय में पुनः वापिस प्राप्त किए जाने चाहिए।

16. वित्तीय सहायता का प्रतिमान

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन को 100 % वित्तीय सहायता दी जाएगी।

17. निगरानी और पारदर्शिता

योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन की निगरानी करेंगे। इस प्रयोजन के लिए एक सूचना

प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति से संबंधित तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत की जाएगी। तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों के वर्षवार ब्यौरे रखे जाएंगे, जिसमें स्कूल/ कॉलेज/ संस्थान, स्कूल/संस्थान का स्थान स्थिति, सरकारी है या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीकरण का उल्लेख होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने आधिकारिक वेबसाइट पर संगतपूर्ण भौतिक एवं वित्तीय ब्यौरों को स्थान देना होगा।

18. **मूल्यांकन**

योजना की वित्तीय और भौतिक कार्य-निष्पादन की निगरानी का मूल्यांकन कार्य उन ख्याति-प्राप्त संस्थानों/अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन के लिए नियत किया गया हो।

19. **आवेदन की प्रक्रिया**

(i) योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। सभी विद्यार्थियों को इस मंत्रालय की बेवसाइट www.scholarshipsgov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

(ii) नई एवं नवीकरण छात्रवृत्तियां दोनों के लिए दस्तावेजों की सूची जिसे स्कैन एवं अपलोड किया जाना है। निम्नलिखित अनुसार हैं:

(क) विद्यार्थी का फोटो (अनिवार्य)

(ख) संस्थान का सत्यापन प्रपत्र (अनिवार्य)

(ग) विद्यार्थी द्वारा आय प्रमाण-पत्र का स्वघोषणा (अनिवार्य)

(घ) विद्यार्थी द्वारा समुदाय का स्व-घोषणा

(ङ) नए मामले में : प्रपत्र में भरे गए रूप में 'पिछले शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट' का स्वयं प्रमाणित प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)

(च) नवीनीकरण के मामले में: प्रपत्र में भरे गए रूप में पिछले शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट'का स्वयं प्रमाणित प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)

(छ) मौजूदा पाठ्यक्रम वर्ष के लिए फीस रसीद (अनिवार्य)

(ज) विद्यार्थी के नाम का बैंक खाते का प्रमाण (अनिवार्य)

(झ) आधार कार्ड (वैकल्पिक)

(ञ) आवास प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैरिट-सह-आधारित छात्रवृत्ति की योजना

1. **उद्देश्य :**

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकें।

2. **कार्यक्षेत्र**

ये छात्रवृत्तियां केवल भारत में ही अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं और इन्हें राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित की गई एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

3. **छात्रवृत्ति की संख्या**

12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देशभर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के बीच राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इन समुदायों की आबादी के आधार पर नवीनीकरण के अलावा प्रत्येक वित्त वर्ष में 60,0000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। 2001 की जनगणना के आधार पर नई छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध छात्रों में छात्रवृत्तियों का राज्यवार वितरण

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए ताजा मामलों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और समुदाय-वार मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति का वितरण								
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	971	247	247	2	1	0	1228
2	अरूणाचल प्रदेश	1194	119	119	8	9	0	1336
3	असम	6	64	64	1	44	0	115
4	बिहार	2553	306	306	7	16	0	2889
5	छत्तीसगढ़	4251	16	16	6	6	0	4284
6	गोवा	127	124	124	22	20	0	310
7	गुजरात	29	111	111	2	0	0	145
8	हरियाणा	1423	88	88	14	6	0	1697
9	हिमाचल प्रदेश	379	8	8	363	2	0	770

10	जम्मू-कश्मीर	37	2	2	22	24	0	85
11	झारखंड	2105	6	6	64	35	0	2211
12	कर्नाटक	1156	339	26	2	5	0	1528
13	केरल	2002	313	5	122	128	0	2570
14	मध्य प्रदेश	2436	1877	1	1	1	0	4316
15	महाराष्ट्र	1190	53	47	65	169	0	1524
16	मणिपुर	3180	328	67	1809	403	10	5797
17	मेघालय	59	229	1	1	0	0	290
18	मिजोरम	31	505	1	1	0	0	538
19	नागालैंड	3	239	0	22	0	0	264
20	ओडिशा	11	555	0	0	1	0	567
21	पंजाब	236	278	5	3	3	0	525
22	राजस्थान	118	91	4518	13	12	0	4752
23	सिक्किम	1483	23	254	3	202	0	1965
24	तमिलनाडु	2	11	0	47	0	0	60
25	त्रिपुरा	1075	1173	3	2	26	0	2279
26	उत्तर प्रदेश	79	32	0	31	0	0	142
27	उत्तराखंड	9514	66	210	94	64	0	9948
28	पश्चिम बंगाल	314	8	66	4	3	0	395
29	आंध्र प्रदेश	6266	160	23	75	17	0	6541
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	24	0	0	0	0	33
31	चंडीगढ़	11	2	45	0	2	0	60
32	दादर और नागर हवेली	2	2	0	0	0	0	4
33	दमन और दीव	4	1	0	0	0	1	6
34	दिल्ली	503	40	172	7	48	0	770
35	लक्षद्वीप	17	0	0	0	0	0	17
36	पुडूचेरी	18	21	0	0	0	0	39
	कुल	42794	7461	5955	2465	1308	17	6000

4. छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

(i) वित्तीय सहायता, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री और/अथवा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए दी जाएगी। पाठ्यक्रम शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ता चयनित छात्रों के खाते में जमा कराया जाएगा।/सीधे ही अंतरित किया जाएगा।

(ii) वे छात्र, जो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किसी कालेज में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करते हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

(iii) वे छात्र, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों दाखिला प्राप्त करते है, वे भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। तथापि, ऐसे छात्रों के उच्चतर माध्यमिक/स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए। ऐसे छात्रों का चयन पूर्णतया मैरिट आधार पर किया जाएगा।

(iv) आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति को जारी रखना, पिछले वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर होने पर निर्भर करेगा।

(v) इस योजना के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति धारक, पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए कोई अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका प्राप्त नहीं करेगा।

(vi) लाभग्राही/लाभाग्राही के माता-पिता या लाभाग्राही के अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) आय प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा।

(viii) राज्य विभाग प्रत्येक वर्ष इस योजना को विज्ञापित करेगा और सम्बद्ध संस्थानों के माध्यम से समय-सीमा के अनुसार आवेदन आनलाइन प्राप्त करेगा।

(ix) छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आधार नंबर भी आवश्यक है।

(x) विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर कार्यवाही करने और विश्लेषण करने तथा समय-सीमा के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए पात्र विद्यार्थियों का प्रस्ताव इस मंत्रालय में आनलाइन भेजने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी होगी।

(xi) निधियां जारी करने के लिए राज्य विभाग के लिए, पिछले वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा पदनामित किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण भी किया जाएगा।

(xii) आगामी वर्ष में छात्रवृत्ति वितरण के लिए निधि, पिछले वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा पदनामित किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण भी किया जाएगा।

5. निर्धारण

(i) किसी एक राज्य में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय में 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएंगी, जो कि सम्बद्ध राज्य में उस समुदाय में किसी महिला उम्मीदावार के उपलब्ध न होने पर उसी समुदाय के किसी लड़के को अंतरित की जा सकती है।

(ii) यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति के वितरण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो इसे अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मैरिट के अनुसार उसी अल्पसंख्यक समुदाय में वितरित किया जाएगा।

(iii) किसी विशेष/राज्य संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे छात्र, उसके अध्ययन का स्थान कोई भी होते हुए, उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत छात्रवृत्ति का पात्र होगा।

(iv) छात्रवृत्ति की संख्या को, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर राज्यवार निर्धारित किया गया है। राज्यवार आवंटनों में से विख्यात संस्थानों आवेदनों पर पहले विचार किया जाएगा। ऐसे संस्थानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् http://www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6. मूल्यांकन

(i) इस योजना का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा और इस मूल्यांकन की लागत, इस योजना के प्रावधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। प्रशासनिक तथा सम्बद्ध लागत, अर्थात् योजना की निगरानी पर व्यय, प्रभाव अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, कार्यालय उपकरणों की खरीद, अनुबंध आधार पर कर्मचारियों को लगाने, यदि आवश्यक हो इसको चलाने के लिए अन्य खर्चों आदि को पूरा करने के लिए कुल बजट को 2 प्रतिशत का एक अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समान रूप से वहन किया जाएगा।

7. संशोधन

(i) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएफसी/ईएफसी/मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किए बिना योजना में बिना किसी वित्तीय प्रभाव के लघु परिवर्तन किए जा सकते हैं। तथापि, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से परामर्श किया जाएगा।

8. छात्रवृत्ति की दर

छात्रवृत्ति की दर अग्र प्रकार होगीः

क्र.सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	हॉस्टल में रहने वालों के लिए दर	दिवास्कॉलरों के लिए दर
1.	भरण–पोषण भत्ता (केवल 10 मास के लिए)	10,000/-रु. प्रतिवर्ष (1000/-रु. प्रति मास)	5,000/-रु. प्रतिवर्ष (500/-रु. प्रति मास)
2.	पाठ्यक्रम फीस*	20,000/-रु. प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	20,000/-रु. प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो
कुल		30,000/- रु.	25,000/- रु.

★ सूचीबद्ध संस्थानों के लिए पूरी पाठ्यक्रम फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9. भुगतान

(i) छात्रवृत्ति राशि अर्थात् पाठ्यक्रम शुल्क और अनुरक्षण भत्ता चयनित विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा/अंतरित की जाएगी।

(ii) इस छात्रवृत्ति का भुगतान एमबीबीएस में इंटर्नशिप /हाउसमैनशिप की अवधि के दौरान या किसी अन्य पाठ्यक्रम में व्यावाहारिक प्रशिक्षण के दौरान नहीं किया जाएगा, यदि वह छात्र इस इंटर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता/वृत्तिका प्राप्त कर रहा है।

10. छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें

(i) यह छात्रवृत्ति, छात्र की संतोषजनक प्रगति और आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान के प्रमुख द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि छात्र के अपने दोष के कारण यह संतोषजनक प्रगति करने में असफल हुआ है अथवा दुराचरण का दोषी रहा है जैसे कि हड़तालों में भाग लेना, संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति के बिना उपस्थिति में अनियमितता आदि, तो छात्रवृत्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारी इस छात्रवृत्ति को या जो रदद कर सकते हैं अथवा बंद अथवा ऐसी अवधि के लिए आगामी भुगतान को रोक सकते हैं, जैसा कि उचित समझते हो।

(ii) यदि यह पाया जाता है कि किसी छात्र ने झूठा विवरण देकर छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रदद कर दी जाएगी और भुगतान की गई राशि को संबंधित राज्य सरकार के विवेकानुसार वसूल किया जाएगा। संबंधित छात्र को काली सूची में डाला जाएगा और सदा के लिए किसी भी योजना में छात्रवृत्ति के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।

(iii) यदि कोई छात्र अध्ययन के पाठ्यक्रम के विषय को बदलता है जिसके लिए मूल रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना अध्ययन संस्थान को बदल लेता है, तो छात्रवृत्ति को रदद किया जा सकता है। संस्थान प्रमुख ऐसे मामलों की रिपोर्ट इस मंत्रालय को देगा।

(iv) छात्रवृत्ति यदि वर्ष के दौरान उन अध्ययनों, जिनके लिए छात्रवृत्ति दी गई है, छात्र द्वारा बंद कर दिये जाते हैं, अथवा अध्ययन के विषय बदल लेता है तो राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर छात्र को छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।

(v) योजना के अंतर्गत ये विनियम, भारत सरकार के विवेकाधिकार पर, किसी भी समय बदले जा सकते हैं।

(vi) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्नातक डिग्री स्तर एवं स्नाकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची इस मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् http://www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

11. आवेदन के लिए प्रक्रिया

(i) योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। सभी विद्यार्थियों को इस मंत्रालय की वेबसाइट http:scholarship.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

(ii) नई एवं नवीकरण छात्रवृत्तियां दोनों के लिए दस्तावेजों की सूची जिसे स्कैन एवं अपलोड किया जाना है। निम्नलिखित अनुसार हैं:

(क) विद्यार्थी का फोटो (अनिवार्य)

(ख) संस्थान का सत्यापन प्रपत्र (अनिवार्य)

(ग) विद्यार्थी द्वारा आय प्रमाण-पत्र का स्व घोषणा (अनिवार्य)

(घ) विद्यार्थी द्वारा समुदाय का स्व-घोषणा

(ङ) नए मामले में: प्रपत्र में भरे गए रूप में 'पिछले शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट' का स्वयं प्रमाणित प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)

(च) नवीनीकरण के मामले में : प्रपत्र में भरे गए रूप में 'पिछले शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट' का स्वयं प्रमाणित प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)

(छ) मौजूदा पाठ्यक्रम वर्ष के लिए फीस रसीद (अनिवार्य)

(ज) विद्यार्थी के नाम का बैंक खाते का प्रमाण (अनिवार्य)

(झ) आधार कार्ड (वैकल्पिक)

(ञ) आवास प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)

12. योजना की निधिकरण पद्धति

100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद 'राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना'

1. उद्देश्य

इस अध्येतावृत्ति का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों क एम० फिल० और पी-एच० डी० की उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप पांच वर्ष तव अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है।इस अध्येतावृत्ति योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वार यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (च) और धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल होंगे तथा योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अध्येतावृत्ति योजन के तहत अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम० फिल० और पी-एच० डी० पाठ्यक्रमों मे अध्ययनरत शोध अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का स्कॉलर कहा जाएगा।

2. अध्येतावृत्ति का कार्यक्षेत्र

इस योजना के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में नियमित और पूर्णकालिक एम० फिल० और पी-एच० डी० पाठ्यक्रमों और समकक्ष शोध पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। इससे शोध छात्र एम० फिल० और पी-एच० डी० उपाधि के साथ विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में व्याख्यता पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता अर्जित कर सकेंगे।

3. कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण

इस अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नॉडल अभिकरण होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समाचार-पत्रों, इन्टरनेट, वेबपेज और अन्य मीडिया के माध्यमों से विज्ञापन प्रकाशित कराये जाएंगे।

4. पात्रता

इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:-

(i) उसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय का होना चाहिए।

(ii) उसे यूजीसी विज्ञापन के अनुसार अध्येतावृत्ति के उपबंधों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय/अकादमिक संस्थान में उस विश्वविद्यालय /संस्थान में प्रवेश की शर्तों को पूरा करते हुए नियमित और पूर्णकालिक एम० फिल/पी-एच० डी० पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हुआ और पंजीकरण कराया हुआ होना चाहिए।

(iii) अध्येतावृत्ति के लिए एक बार पात्र मान लिए गए अल्पयंख्यक छात्र किसी अन्य स्त्रोत से अर्थात् केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा यूजीसी जैसे अन्य निकाय से इस अध्ययन के लिए लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(iv) अल्पसंख्यक छात्रों को एम० फिल/ पी-एच० डी० के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की पात्रता हेतु सीबीएसई–एनईटी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

(v) जेआरएफ/एसआरएफ हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए क्रमशः प्री–एम० फिल० और प्री–पी-एच० डी० चरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक होंगे तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कम-से-कम 55 % अंक अर्जित किया होना चाहिए।

5. अध्येतावृत्ति का संवितरण

(i) वर्ष 2017–18 के लिए कुल 756 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी और वर्ष 2018–19 एवं 2019 – 20 के लिए 1000 (राज्य–वार संवितरण की स्थिति अनुलग्नक –1 में दर्शायी गई है)। पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने पर किसी वर्ष प्रदान न की गई अध्येतावृत्तियों को आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान उपयोग में लाया जाएगा।

(ii) अध्येतावृत्तियों में से 30% अध्येतावृत्तियां महिला छात्रों के लिए निर्धारित होंगी, शेष 70% अध्येवृत्तियां सामान्य होंगी। यदि महिला अभ्यर्थियों की कमी है तो अध्येतावृत्ति उसी अल्पसंख्यक समुदाय के पुरूष छात्र को प्रदान की जाएगी।

(iii) यदि अभ्यर्थियों की संख्या अध्येतावृत्तियों की संख्या से अधिक होती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा एनईटी परीक्षा में अर्जित अंकों की प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा। तथापि, एनईटी परीक्षा में टाई मामलों में कम आय वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) अन्यथा पात्र छात्रों के लिए आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार और उनके समानान्तर (हॉरिजोन्टल) होगा।

(v) इस योजना के अंतर्गत ज्ञान के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत छात्रों का चयन किया जाएगा।

(vi) राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का समुदाय–वार चयन उनके यथा आनुपातिक आबादी के आधार पर किया जाएगा।

(vii) शोध छात्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार चयन यथासंभव सुनिश्चित किया जाएगा।

(viii) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी समुदाय की अप्रयुक्त अध्येतावृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर इसी समुदाय के पात्र छात्रों को अतंरित की जाएगी। तत्पश्चात् अप्रयुक्त अध्येतावृत्ति; यदि कोई है; राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से योग्यता आधार पर अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र छात्रों को अंतरित कर दी जाएगी।

6. अध्येतावृत्ति की अवधि

यह एम० फिल० ओर पी-एच० डी० पाठ्यक्रमों के लिए 5 वर्षीय समेकित अध्येतावृत्ति है जिसके लिए पी-एच० डी० कार्यक्रम हेतु चयन के लिए लागू शैक्षिक मानदंड पूरे करने होंगे। अध्येतावृत्ति की अवधि इस प्रकार होगी:

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	जेआरएफ
एम०फिल०	2 वर्ष	2 वर्ष	शून्य
पी-एच० डी०	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष
एम०फिल० + पी-एच० डी०	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष

7. अध्येतावृत्ति की दर

जेआरएफ और एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति की दर समय-समय पर संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुसार होगी। वर्तमान में यह दर निम्नवत् हैं:

★ *इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ता और अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान यूजीसी की तर्ज पर किया जाएगा।*

8. योजना कार्यान्वयन :

अध्येतावृत्ति	शुरुआती 2 वर्ष के लिए 25,000 रु प्रतिमाह (जेआरएफ) शेष अवधि के लिए 28,000 रु० प्रतिमाह (01.12.2014 से संशोधित
कला और वाणिज्य के लिए आकस्मिक	शुरुआती 2 वर्ष के लिए 10,000 रु प्रतिवर्ष शेष 3 वर्ष के लिए 20,500 रु० प्रतिवर्ष
विभागीय सहायता	संबद्ध संस्थान को अवसरंचना के प्रावधान के लिए 3,000 रु० प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से
एस्कोर्ट्स/रीडर असिस्टेंस	शारीरिक और दृष्टि विकारग्रस्त अभ्यर्थियों के मामलों में 2,000 रु० प्रतिमाह

(i) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नॉडल अभिकरण होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाएगा।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्येतावृत्ति संबंधित विवरण का प्रकाशन प्रेस और अन्य मीडिया के माध्यम से कराया जाएगा।

(iii) योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों का चयन सीबीएसई और सीएसआईआर द्वारा आयोजित यूजीसी के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तथापि, एनईटी परीक्षा में टाई के मामलों में कम आय के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन पारदर्शी ढंग से किया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थियों की संख्या अध्येतावृत्ति की संख्या से अधिक होती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में अर्जित अंकों की प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा।

(vi) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य अध्येतावृत्ति का संवितरण संबद्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणना के अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में किया जाएगा। तथापि, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम-से-कम 4 अध्येतावृत्तियां अधिक अध्येतावृत्ति वाले राज्यों के लक्ष्यों को उचित ढंग से कम कर प्रदान की जाएंगी। इन चार अध्येतावृत्तियों के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समुदाय-वार संवितरण नहीं किया जाएगा। सभी आवेदनों को एकत्र कर उन्हें मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(vii) यदि पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित अध्येतावृत्ति की संख्या को पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बचे हुए अध्येतावृत्तियों को उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुनः आवंटित कर सकेगा, जिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या उन्हें आवंटित अध्येतावृत्तियों की संख्या से अधिक होगी। इस संदर्भ में निर्णय एक समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति कार्य के प्रभारी संयुक्त सचिव शामिल होंगे।

(viii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति की राशि का संवितरण यथासंभव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत आधार पेयमेंट बिड्ज सिस्टम (एपीबीएस) के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में, इस योजना के संबंध में 31 जुलाई,

2017 को प्रकाशित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 14 जून 2017 की एक राजपत्रित अधिसूचना एसओ 2411 (ई) का संदर्भ लें।

(ix) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विवरणिका भी जारी की जाएगी जिसमें भावी अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अध्येतावृत्ति संबंधी सभी ब्यौरों का उल्लेख होगा। आयोग द्वारा इन ब्यौरों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संदर्भ के साथ अपने वेबपेज पर भी अपलोड किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथासंभव ई–ऐपलीकेशन प्रक्रिया को तत्परता से बढ़ावा दिया जाएगा।

(x) छात्रों द्वारा जाली प्रमाण–पत्रों के आधार पर अध्येतावृत्ति प्राप्त करने की संभावना से बचे रहने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपना ऐसा तंत्र प्रयोग में लाया जाएगा जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अल्पसंख्यक समुदाय से होने के आशय के प्रमाण–पत्र की शुद्धता की जांच की जा सके।

(xi) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा लागू एवं विद्यमान कानून को छोड़कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(xii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता–पिता/संरक्षक की आय सीमा 6.0 लाख रु० प्रतिवर्ष होगी। प्रत्येक छात्र द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से जारी आय–प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(xiv) यदि किसी अभ्यर्थी को धोखाधड़ी के आधार पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्राप्त करते हुए पाया जाता है तो उसकी पात्रता स्वतः निरस्त मानी जाएगी और प्रदत्त अध्येतावृत्ति की राशि भारतीय स्टेट बैंक में शैक्षिक ऋण के लिए प्रचलित ब्याज दर के साथ वसूली जाएगी।

(xv) यदि शोधकर्त्ता को तदर्थ अध्यापक, अध्यापन सहायक या रिसर्च सहायक के रूप में नियुक्त पाया गया तो उनकी अध्येतावृत्ति को बन्द किया जाएगा। यू.जी.सी. द्वारा इस तरह का एक वचन पत्र छात्रों से प्राप्त किया जाएगा।

(xvi) अध्येतावृत्ति का वितरण यू.जी.सी द्वारा निर्धारित उपलब्धि से जोड़ा जाना चाहिए।

(xvii) शोधकर्ताओं की उपस्थिति द्वारा प्रगति रिपोर्ट यू.जी.सी. के पास रखी जानी चाहिए और मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(xviii) यदि शोधकर्ता अध्येतावृत्ति के दौरान ठेके पर नियुक्त किया जाता है तो ठेके पर नियुक्ति की अवधि के दौरान अध्येतावृत्ति को बन्द किया जाएगा।

(xix) जोखिम विश्लेषणः योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति की कुल संख्या 1000/- रखने का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक अध्येतावृत्ति की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के मामले में वर्ष के दौरान उपयोग न की जा सकने वाली अध्येतावृत्ति अगले शैक्षणिक सत्र में डाली जाएगी।

9 प्रशासनिक व्ययः

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान यूजीसी द्वारा प्राप्तकर्ताओं को अंतरित निधि के 2 % की दर से किया जाएगा।

मंत्रालय को यूजीसी को भुगतान करने के लिए प्रशासनिक व्यय को पूरा करने, ठेके पर स्टाफ लेने और कार्यशाला और सम्मेलनों के आयोजनों के लिए इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आवंटन के 3 % तक को अलग रखने की अनुमति दी जाएगी। कार्यशाला और सम्मेलनों में सफल उद्यमियों/लाभार्थियों को दिखाकर योजना को प्रस्तुत करने और इसकी प्रगति के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह भी शामिल होंगे। इसकी लागत में टी.ए./डी.ए और विविध खर्च सहित इस समारोह के आयोजन से संबंधित सभी खर्च शामिल होंगे।

10. निगरानी और मूल्यांकन

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यों का आकलन जेआरएफ के लिए दो वर्ष की अवधि और एसआरएफ के लिए दो वर्ष की अवधि के पूरा होने पर किया जाएगा। छात्रों द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों पर यूजीसी नियमों के तहत निगरानी रखी जाएगी।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को तिमाही तौर पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की संख्या, विश्वविद्यालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी ब्यौरों की सूची का उल्लेख होगा और जो मंत्रालय के सूचनार्थ होगा। आयोग इन ब्यौरों को अपने वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा।

(iii) जो अभ्यर्थी दो वर्ष के समय में एम० फिल० पाठ्यक्रम का अध्ययन पूरा नहीं कर सकेंगे अथवा तीसरे वर्ष के दौरान पी-एच० डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए अपात्र पाए जाएंगे उन्हें आगे से छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की जाएगी।

(iv) आय प्रमाण-पत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यथाअधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पदनामित प्राधिकारियों द्वारा जारी अल्पसंख्यक समुदाय संबंध प्रमाण–पत्र कानून वैध शपथपत्र के रूप में होगा, ताकि कोई भी अभ्यर्थी अपने को दूस समुदाय का बताकर अध्येतावृत्ति का लाभ न प्राप्त कर सके।

(vi) मध्यांतर मूल्यांकन : 14 वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात् 2019–20 समाप्त होने के उपरान्त या जैसाकि मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाए योजना के प्रभाव के मूल्यांकन हे योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

11. योजना के दिशा-निर्देशों का संशोधन

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्ति के सुचारू हेतु कार्यान्वयन के समय जानकारी म आयी प्रगति के फलस्वरूप आवश्यक प्रतीत होने पर योजना में थोड़ा बहुत संशोधन किया ज सकेगा, जिस पर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा।

मेधावी छात्राओं के लिए 'मौलाना आजाद' छात्रवृत्तियाँ

इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ संगठन मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्राओं के लिए कार्यान्वित किया जाता है। एमएईएफ 10वीं पास मेधावी छात्राओं से सीधे आवेदन आमंत्रित करता है और 11 वीं और 12वीं कक्षा में आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं:

1. दसवीं की परीक्षा में 55% अंक।
2. माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति पा रही छात्रा इस छात्रवृत्ति की पात्र नहीं होगी।

दो वर्षों अर्थात् 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 6,000/- रु० वार्षिक की दर से अधिकतम 12,000/-रु० की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्र द्वारा आवेदन फार्म प्रतिष्ठान को सीधे डाक द्वारा भेजा जा सकता है या प्रतिष्ठान कार्यालय में 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में सीधे दस्ती द्वारा भेज सकते हैं। किसी सेवा के लिए किसी को भी कोई प्रभार/शुल्क आदि का भुगतान नहीं करना होता है। निर्धारित कागजात/औपचारिकताओं के पूरा होने पर सफल उम्मीदवार के पते पर छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृति पत्र/चेक पंजीकृत डाक से सीधे ही भेजा जाएगा। विस्तृत ब्यौरे और आवेदन फार्म को डाउनलोड करने के लिए छात्र एमएईएफ की वेबसाइट अर्थात् www.maef.nic.in पर लॉग ऑन करें। इसके अलावा सचिव (एमएईएफ) से दूरभाष संख्या 011-23583788, 23583789 पर संपर्क किया जा सकता है।

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर की गई थी। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 6 जुलाई, 1989 को किया गया था। यह प्रतिष्ठान, एक स्वैच्छिक, अराजनैतिक तथा लाभ न कमाने वाला सामाजिक सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान का उद्देश्य, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषतः अल्पसंख्यकों में और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार व कार्यान्वित करना है।

योजना का शीर्षकः 'अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना'

योजना का उद्देश्यः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से संबंधित ऐसी मेधावी छात्राओं की पहचान करना, बढ़ावा एवं सहायता देना जो वित्तीय सहयोग के बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती हैं।

छात्रवृत्ति का प्रयोजनः यह छात्रवृत्ति स्कूल/कालेज की फीस पाठ्यक्रम की पुस्तकों, पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित लेखन सामग्री/उपकरणों की खरीद तथा आवास एवं भोजन प्रभारों के भुगतान पर होने वाले व्यय के लिए देय होगी।

महत्वपूर्ण

1. आवेदन फार्म प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन फार्म की फोटोकॉपी भी उपयोग की जा सकती है। आवेदन के लिए फीस या किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।

2. छात्र द्वारा आवेदन फार्म प्रतिष्ठान को सीधे डाक द्वारा भेजा जा सकता है या प्रतिष्ठान कार्यालय में 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में सीधे दस्ती द्वारा भेजे जा सकते हैं।

3. किसी सेवा के लिए किसी को भी कोई प्रभार/शुल्क आदि का भुगतान नहीं करना होता है।

4. निर्धारित कागजात/औपचारिकताओं के पूरा होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र/चेक सफल उम्मीदवार के पते पर सीधे पंजीकृत डाक से ही भेजा जाएगा।

5. किसी भी प्रश्न/सूचना के लिए केवल सचिव, मौलाना आजाद प्रतिष्ठान को सीधे ही संपर्क किया जाना चाहिए।

पात्रता मानदंड/कौन आवेदन कर सकता है

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) से संबंधित केवल लड़कियाँ ही आवेदन कर सकती हैं।

2. किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्कूल (10वीं कक्षा) परीक्षा में 55 प्रतिशत (कुल मिलाकर) अंक से कम नहीं प्राप्त किए हुए होने चाहिए। मान्यता प्राप्त 33 बोर्डों परिषदों की सूची (संलग्क) में दी गई है। यह आवेदन करने के लिए केवल योग्यता निर्धारण है और छात्रवृत्ति प्रदान करने की कोई गारंटी नहीं देता है। ये राज्य से प्राप्त आवेदन पत्रों में से संबंधित राज्य के लिए नियत कोटे के आधार पर उच्च श्रेणी के आवेदकों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं।

3. पिछले वित्तीय वर्ष में छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों सहित कुल आय 1,00,000 रु० (केवल एक लाख रुपए) से कम होनी चाहिए।

वेतनभोगी वर्ग के मामले में छात्रा को अपने माता-पिता /अभिभावक का पदनाम, वेतनमान, मूल वेतन तथा समग्र वेतन एवं घर पर लाए जाने वाले वेतन सहित पूरा विवरण देना चाहिए। केवल 'सेवा' लिख देना स्वीकार्य नहीं होगा। छात्रा का आवेदन के साथ अपने माता-पिता/ अभिभावक के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत वेतन प्रमाण-पत्र अथवा पेंशन प्रमाण-पत्र (सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मामले में) संलग्न करना होगा।

कृषि बागवानी के मामले में छात्रा को सिंचित और असिंचित तथा उसके परिवार द्वारा अन्य भूमि संपदा के ब्यौरे एवं परिवार की कुल आय सहित कुल भूमि का उल्लेख करना होगा।

माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए जाने वाले शपथ-पत्र (संलग्नक) के साथ-साथ राजस्व प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र में इन ब्यौरों का उल्लेख भी किया जाएगा। व्यापारी वर्ग के मामले में छात्रा को परिवार के कुल कारोबार और कुल आय सहित स्पष्ट रूप से कारोबार का नाम और प्रकार बताना होगा। इन ब्यौरों का उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र (संलग्नक) में भी उल्लेख करना होगा।

अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त हुई आय का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, विशेषकर यदि छात्रा की माता भी रोजगार में हैं।

यह नोट किया जाए कि छात्रा द्वारा आवेदन में दिए गए सभी आय प्रमाण-पत्र एवं विवरणों की मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा आगे जाँच की जा सकती है। तथ्यों में जानबूझ कर की गई गलती/तथ्यों के छुपाए जाने के मामले में यह प्रतिष्ठान, छात्रवृत्ति को रद्द/ पहले से प्रदान/ जारी की गई छात्रवृत्ति की वसूली करने के साथ-साथ कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू कर सकता है।

माता-पिता/अभिभावक की ओर से ही आय प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र (संलग्नक) दिया जाए तथा ये संबंधित गृह क्षेत्र से जारी हुए होने चाहिए। गृह क्षेत्र के अलावा जहाँ छात्रा पढ़ रही है उस स्थान से जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र अथवा शपथ पत्र स्वीकार्य नहीं होगा (फोटोकॉपी के मामले में यह राजपत्रित अधिकारी या संस्थान प्रमुख द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो)।

4. छात्रा का कक्षा में दाखिला पक्का होना चाहिए। कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी की गई दाखिला पर्ची जहाँ इस समय पढ़ रही है और निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक) में प्रधानाचार्य द्वारा की गई जाँच भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य भेजी जानी चाहिए।

5. केंद्रीय सरकार या राज्य स्तर अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दाखिला देने वाला विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

6. यह केवल एक बार मिलने वाली छात्रवृत्ति है और स्थायी लाभग्राही के रूप में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए एक बार चयन की गई छात्रा को यह छात्रवृत्ति दुबारा प्रदान नहीं की जाएगी।

7. जो छात्रा किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही है वह इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

8. यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के बाद उस वर्ष 11वीं कक्षा में दाखिला लेने पर दी जाती है। बाद के वर्षों में दाखिला लेने वाली छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

9. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, जिसका अवश्य ही पालन किया जाना चाहिए। 30 सितंबर के बाद प्राप्त हुए छात्रवृत्ति के

आवेदन को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमएईएफ इस मामले में डाक में हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10. छात्रवृत्ति की कुल राशि 12,000/- रु० (बारह हजार रुपए केवल) होगी जिसे 6,000/ रु० (छह हजार रुपए केवल) की दो किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त का चेक छात्रवृत्ति की स्वीकृति के बाद दिया जाएगा तथा दूसरी किस्त कक्षा ग्याहरवीं पास करने और बारहवीं कक्षा में प्रवेश पाने के प्रमाण को प्रतिष्ठान के कार्यालय में जमा कराने के बाद दी जाएगी।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पर www.maef.nic.in से डाउनलोड करें।

मौलाना आजाद सेहत योजना

भूमिका

माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँगी। शुरूआत में इन्फर्मरी अथवा रेजिडेंट डॉक्टर को ऐसे संस्थानों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने इस पहल की शुरूआत करने के लिए 100.00 करोड़ रु० आवंटित किए।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी समाज सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। जुलाई, 1988 में, सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था।

सेहत योजना

इस योजना के अंतर्गत, एमएईएफ द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त संस्थान के प्रत्येक छात्र को "सेहत कार्ड" जारी किया जाएगा। संस्थान द्वारा सरकार/निजी अस्पतालों/उपचर्या गृहों के माध्यम से वर्ष में दो बार निवारक स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए जाएँगे। इस प्रयोजनार्थ नामोद्दिष्ट किए गए अस्पताल स्वास्थ्य जांचों के लिए समस्त अपेक्षित चिकित्सा उपकरणों के साथ संस्थानों में जाएँगे। रक्त के नमूने एकत्रित किए जाएँगे, जिसके उपरांत उनके अस्पताल/संस्थान में आवश्यक प्रयोगशाला जाँच परवर्ती तौर पर की जाएँगी। निवारक स्वास्थ्य जाँचों के सभी परिणाम छात्र के सेहत कार्ड में दर्ज किए जाएँगे।

एमएईएफ द्वारा वित्त पोषित/सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को रोजमर्रा की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल) में औषधालय/स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र की स्थापना की जाएगी। संस्थान द्वारा संविदा के आधार पर एक उपचारिका/परिचारी को नियोजित किया जा सकता है, जो दैनिक आधार पर छात्रों की चिकित्सा संबंधी जरूरत का ध्यान रखेगी/रखेगा। संस्थान द्वारा स्थानीय अर्हता प्राप्त चिकित्सकों में से चिकित्सकों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिनकी सेवाओं का उपयोग कॉल के आधार पर किया जा सकेगा। यह सुविधा स्कूली घंटों के दौरान उपलब्ध रहेगी।

सेहत योजना हेतु निधियाँ

शैक्षणिक संस्थानों को कॉल के आधार पर नियोजित चिकित्सकों को शुल्क के संवितरण तथा चुनिंदा संस्थानों में संविदा के आधार पर नियोजित एक उपचारिका/परिचारी को पारिश्रमिक के भुगतान हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। संभार तंत्रीय सहायता अर्थात् दवाइयाँ, आवर्ती व्यय सहित अन्य चिकित्सा उपकरण भी एमएईएफ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

व्यय को निम्नलिखित ढंग से वित्त पोषित प्रदान किया जाएगा:–

क्रम सं	चिकित्सक/स्टॉफ	कॉल के घंटे	गणना	कुल राशि रु०
1.	चिकित्सक (एमबीबीएस)	माह में 4 घंटे × 8 दिन = 32 घंटे	32×500×12 =1,92,000	1,92,000
2.	एक उपचारिका/ परिचारी	संविदा के आधार पर 20,000 रु० प्रति माह	12×20,000 = 2,40,000	2,40,000
3.	निवारक स्वास्थ्य जाँच शिविर	एल०एस० (यूएससी/छाती के एक्सरे/टी०सी/डी०सी/ एचबी/शुगर/कल्चर इत्यादि सहित)		3,00,000
			कुल	7,32,000

नियोजित किए गए परिचारी का पारिश्रमिक संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार निश्चित किया जा सकता है।

न्यूनतम 300 छात्रों के अध्यधीन।

अन्य व्यय

क्रम सं	विवरण	@	कुल राशि
1.	200 छात्रों हेतु पैक्ड दवाई	1000/- तौर पर वार्षिक	2,00,000/- रु०
2.	मूलभूत चिकित्सा उपकरण तथा फर्नीचर i.e Nebuliser, स्टैथोस्कोप, हैंगर, बिस्तर, स्टेचर, व्हील, चेयर, टेबल, कुर्सियाँ, पंखे आदि	एक बारगी	1,00,000/-रु०
3.	विविध		50,000/-रु०
		कुल	3,50,000 /-रु०

- जहाँ उचित अवसंरचना उपलब्ध न हो अथवा छात्रों की संख्या 300 से कम हो वहाँ सचल औषधालय भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
- उपर्युक्त राशि का आकलन स्कूल में भर्ती किए गए 300 छात्रों के आधार पर किया गया है। अतः यह आंकड़ा स्कूल के छात्रों की संख्या के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

चिकित्सकों को पैनलबद्ध करना और उपचारिकाओं/परिचरों की भर्ती

- संस्थान द्वारा इलाके में उपलब्ध चिकित्सकों, उपचारिकाओं से चिकित्सकों को पैनल में शामिल किया जाएगा और उपचारिकाओं/परिचरों की भर्ती की जाएगी। संस्थान एक से अधिक चिकित्सक को पैनल में शामिल कर सकता है और उनके दौरे की तारीखें संस्थान की सुविधानुसार तथा छात्रों की जरूरत को देखते हुए निश्चित की जा सकती है। किंतु किसी विशिष्ट संस्थान में उनके आगमन के दिनों की संख्या किसी भी स्थिति में 8 दिन/माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक संस्थानों का चयन

- चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु सहायता दिए जाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का चयन वास्तविक फील्ड मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। एमएईएफ द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों की सूची हमारी वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध है।

जाँच समिति की अध्यक्षता सचिव, एमएईएफ द्वारा की जाएगी और इसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:-

1. एमएईएफ के संयुक्त सचिव प्रभारी
2. सचिव, एमएईएफ
3. उप सचिव/एमएईएफ के निदेशक प्रभारी
4. कोषाध्यक्ष, एमएईएफ

सभी मामलों में, जाँच समिति योजना के क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकरण होगा।

जांच समिति के अनुमोदन के उपरांत चयनित संस्थानों से चिकित्सक को पैनल में शामिल करने तथा उपचारिका/परिचय की नियुक्ति करने का अनुरोध किया जाएगा। तत्पश्चात् वे एमएईएफ को अपना वहन-संभाव्य अनुमानित व्यय प्रस्तुत करेंगे। एमएईएफ संस्थानों के दावों को सत्यापन करेगा और समुचित सत्यापन के उपरांत स्वीकार्य राशि के संवितरण की सिफारिश करेगा। एमएईएफ दो किश्तों में रकम जारी करेगा अर्थात् 50 प्रतिशत स्वीकार्य व्यय वहन करने हेतु अग्रिम में तथा बकाया 50 प्रतिशत उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर व्यय वहन करने के उपरांत। एमएईएफ, संबंधित संस्थान को ईसीएस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधियों का अंतरण करेगा।

अस्पतालो में गंभीर रोगों के आगे के उपचार के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता की योजना

- अपवाद स्वरूप और पात्र मामलों में छात्रों को अस्पतालों में गंभीर रोगों के आगे के उपचार के लि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना अधिसूचित अल्पसंख्यकों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000/- लाख रु० प्रतिवर्ष से कम है, से संबंध रखने वाले और गुर्दे, हृदय, जिगर, कैंसर तथा मस्तिष्क के गंभीर रोगों अथवा घुटनों की शल्य चिकित्सा और रीढ़ संबंधी शल्य चिकित्सा सहित जीवन को जोखिम में डालने वाले अन्य रोगों से पीड़ित छात्रों को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयोजित है तथा इसे सरकारी अस्पतालों और मान्यता प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- छात्र राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत, अधिसूचित छ अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी से संबंधित होना चाहिए। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000/- लाख रु० प्रतिवर्ष से अधि नहीं होनी चाहिए। गंभीर रोगों से पीड़ित, जिनमें शल्य चिकित्सा की जरूरत है जैसा कि गुर्दे, हृदय, जिगर, कैंसर तथा मस्तिष्क अथवा घुटनों की शल्य चिकित्सा और रीढ़ संबंधी शल्य चिकित्सा इत्यादि और जीवन जोखिम में डालने वाले अन्य कोई रोग।
- छात्र संस्थान के परिचारी चिकित्सक/संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित आवेदन प्रपत्र में चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन करेगा। आवेदन आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र जैसे कि राशन कार्ड/अधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नियोक्ता द्वारा जारी कि गए पहचान पत्रों इत्यादि और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित उपचार की अनुमानित लागत के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- आवेदन संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तथा उस संस्थान के अध्यक्ष द्वारा संस्तुत और अग्रेशित किया जाना चाहिए, जहाँ छात्र पढ़ रहा है। संबंधित चिकित्सक को यह घोषणा पत्र देना अपेक्षित है कि वह रोगी का उपचार कर रहा/रही है और छात्र आवेदन में उल्लिखित रोग से पीड़ित है विधिवत् भरा हुआ प्रपत्र सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, चैम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली, क शल्य चिकित्सा की वास्तविक तारीख के कम-से-कम 15 दिन पूर्व भेज दिया जाना चाहिए।
- यह योजना सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। प्राधिकृत अस्पतालों की सूची अनुलग्नक पर दी गई है। निर्देशक रोगों की सूची अनुलग्नक पर दी गई है।
- शल्य चिकित्सा सहित चिकित्सकीय उपचार की अनुमानित लागत आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र में सचिव, एमएईएफ को प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसमें चिकित्सकीय उपचार/शल्य

चिकित्सा हेतु निश्चित की गई वास्तविक तारीख दर्शाई गई हो। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता की अधिकतम राशि प्रति व्यक्ति के लिए 2.00 लाख रु० से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चिकित्सकीय सहायता के अंतर्गत दावे पर समय-समय पर संशोधित सीजीएचएस दरों के अनुसार विचार किया जाएगा।

- जाँच समिति प्राप्त आवेदन की प्रामाणिकता की जाँच करेगी और इसे संसाधित करेगी। तत्पश्चात् एमईएफ के अध्यक्ष को अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करेगी।
- मंजूरीदाता प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत संबंधित अस्पताल जहाँ रोगी का उपचार चल रहा हो, को इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि 2.00 लाख रु० की सीमा तक के व्यय का एमईएफ द्वारा भुगतान/प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि अपेक्षित हुआ, उपचार की अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत की अग्रिम राशि 1.00 लाख रु० की अधिकतम सीमा तक चिकित्सकीय उपचार/शल्य चिकित्सा के शुरू होने से पूर्व ईसीएस के माध्यम से संबंधित अस्पताल को सीधे निर्मुक्त की जाएगी। बकाया राशि सीजीएचएस दर सूची के अनुसार उक्त अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के प्रमाण-पत्र के आधार पर शल्य चिकित्सा हो जाने के उपरांत सीधे अस्पताल को अथवा आवेदक को, जैसी भी स्थिति हो, निर्मुक्त की जाएगी। किसी भी स्थिति में भुगतान की राशियाँ 2.00 लाख रु० से अधिक नहीं होंगी। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुमानित लागत प्रमाण-पत्र में शल्य क्रिया हेतु निश्चित की गई तारीख दर्शाई गई हो।

अस्पतालों में गंभीर रोगों/आगे के उपचार के लिए छात्रों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र (जाँच-सूची) संलग्न किए जाने चाहिए:–

1. संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तथा संस्थान के अध्यक्ष, जहाँ छात्र पढ़ रहा है, द्वारा रोगी के चिकित्सकीय उपचार एवं शल्य चिकित्सा हेतु विधिवत हस्ताक्षरित मूल लागत अनुमान प्रमाण-पत्र। चिकित्सा अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उनके अस्पताल में उपचार ले रहे रोगी का फोटो संलग्न किया हुआ और प्रमाणित है।
2. छात्र, जिसके लिए आर्थिक सहायता का आवेदन किया गया है, के परिवार का मूल आय प्रमाण-पत्र। आय प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। बीपीएल कार्ड वाले परिवारों के मामले में आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।
3. पहचान प्रमाण-पत्र जैसे कि स्कूल का पहचान पत्र/राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
4. आवेदन के साथ संलग्न लागत अनुमान पत्र में शल्य क्रिया हेतु निश्चित तारीख दर्शाई जानी चाहिए।

5. प्रतिष्ठान एवं अन्य स्रोतों से चिकित्सकीय सहायता उपचार की कुल अनुमानित लागत से अधिक होनी चाहिए। इस संबंध में, संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा

6. एमएईएफ से निधियाँ प्राप्त होने के पश्चात्, संबंधित अस्पताल यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा उपचार हेतु निधियाँ प्राप्त एवं प्रयुक्त कर ली गई हैं।

पढ़ो परदेश

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना

1. पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। इसमें प्रावधान है कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं बनायी और कार्यान्वित की जाएँगी। विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उनको विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जा सकें और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके।

3. विषय-क्षेत्र

यह विदेश में स्नातकोत्तर और एम.फिल./ पी-एच.डी. स्तरों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए ब्याज इमदाद की योजना के अंतर्गत शैक्षिक ऋण हेतु ऋण स्थगन की अवधि के लिए देय ब्याज पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अनुसार घोषित किए गए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद प्रदान करने की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

4. ब्याज इमदाद हेतु शर्तें

(i) यह योजना विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए लागू है। ब्याज इमदाद भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के साथ संबद्ध की जाएगी और केवल पैरा 14 में उल्लेखित स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पी-एच. डी. स्तरों के पाठ्यक्रमों में दाखिल विद्यार्थियों के लिए ही होगी।

(ii) इस योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद पात्र छात्रों को एक बार के लिए ही या स्नातकोत्तर, एम.फिल. अथवा पी-एच.डी. स्तरों के लिए प्रदान की जाएगी। ब्याज इमदाद उन छात्रों को नहीं दी जाएगी जो किसी कारणवश बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ देते हैं अथवा जिन्हें अनुशासनात्मक अथवा शैक्षिक आधार पर संस्थानों से निष्कासित किया गया है।

(iii) यदि कोई विद्यार्थी योजना की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो इमदाद उसी स्त बंद कर दी जाएगी।

(iv) यदि कोई विद्यार्थी मिथ्या विवरण/दस्तावेज/प्रमाणपत्रों से इमदाद प्राप्त करता हु पाया जाता है, तो इमदाद तुरंत वापिस ले ली/रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की इमदाद की राशि कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही के अलावा दांडिक ब्याज के स वसूल की जाएगी।

(v) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद प्रदान नहीं जाएगी, यदि वह ऋण अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं।

(vi) विनिर्दिष्ट बैंक मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित एक पृथक खाता और रिकॉर्ड रखे और मंत्रालय को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह खाता और रिकॉर्ड मंत्रालय अधिकारियों अथवा मंत्रालय और महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य एजे द्वारा जाँच/लेखापरीक्षाओं के लिए उपलब्ध होंगे।

(vii) ब्याज इमदाद भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त निधि विनिर्दिष्ट बैंक को, जीएफआर प्रावधानों के अनुसार पिछली निमुक्तियों के उपयोग प्रमाण-पत्र के प्राप्त हो जाने पर ज की जाएगी।

(viii) विनिर्दिष्ट बैंक वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगत ब्यौरे अपनी वेबसाइट डालेगा और योजना का कार्यान्वयन विनिर्दिष्ट बैंक और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के अनुसार करेगा।

(ix) विनिर्दिष्ट बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक समुदायों से सबंधित विद्यार्थी, अ.जा./अ.जा.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, उसी प्रयोजन के लिए के सरकार/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से ब्याज इमदाद प्राप्त न कर पाएँ।

(x) विनिर्दिष्ट बैंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के परामर्श से पात्र विद्यार्थियों को ब्याज इमद प्रोसेस करने और मंजूर करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

(xi) जनगणना 2011 के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कोटा अनुलग्नक - I में दिए अनुसार निर्धारित किया गया है। जहां तक संभव है, निर्धारित कोटे के अनुसार ब्या इमदाद का लाभ अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को दिया जाएगा। एक राज्य अथ समुदाय में विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर सीटें अन्य राज्यों अथवा समुदायों के लिए अंत की जा सकती हैं।

(xii) इस योजना का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर मंत्रालय अथवा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(xiii) योजना की निबंधन एवं शर्तें, कार्य प्रणाली की बेहतरी और प्रभावी कार्यान्वियन प्राप्त करने हेतु अल्पयंख्यक कार्य मंत्रालय के विवेकानुसार किसी भी समय बदली जा सकती हैं।

5. पात्रता

(i) विद्यार्थी ने पैरा–14 में दर्शाए गए पाठ्यक्रमों मे अनुमोदित स्नातकोत्तर, एम.फिल. अथवा पी-एच०डी० पाठ्यक्रमों में विदेश में दाखिला ले लिया हो।

(ii) उसने इस प्रयोजन के लिए भारतीय बैंक ऐसासिएशन (आईबीए) की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट बैंक से ऋण प्राप्त किया हो।

(iii) विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत लाभों के लिए आवेदन करना चाहिए। द्वितीय वर्ष या उसके बाद के वर्ष के दौरान प्राप्त नए आवेदन किसी भी मामले में स्वीकार नही किए जाएंगे।

(iv) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उनके कोटे के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा न्यूनतम दर ब्याज के अंतर्गत कवर किए गए आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।

(v) वित्तीय लाभ का भुगतान आधार नबंर, यदि उपलब्ध हो, से जोड़ा जाए। इस संबंध में आधार (वित्तीय और सहकारियों, लाभों और सेवाओं की लक्ष्यित प्रदानगी अधिनियम, 2016 (2016 का 18) 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित, की धारा 7 के अधीन 14 जून, 2017 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2409 (अ) दिनांक 14 जून, 2017 का संदर्भ लिया जाए।

6. आय की उच्चतम सीमा

(i) नियोजित अभ्यर्थी अथवा बेरोजगार अभ्यथियों के मामले में उसके माता-पिता/अभिभावकों की कुल आय सभी स्त्रोतों से प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई आय के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. अभ्यर्थियों का चयन

(i) विनिर्दिष्ट बैंक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद के दावे के लिए आवेदनों को प्राप्त करने हेतु एक पोर्टल खोलेगा।

(ii) पोर्टल एक वित्तीय वर्ष में नए आवेदनों के लिए केवल एक बार ही खोल दिया जाएगा। उचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न होने के मामले में, योजना के अंतर्गत उचित मात्रा मे निधियां की उपलब्धता के अध्यधीन पोर्टल को एक बार फिर खोला जा सकता है।

(iii) नवीनीकरण के मामले में पोर्टल को प्रत्येक तिमाही में अथवा मंत्रालय द्वारा निर्णय लिए अनुसार खोला जा सकता है।

(iv) एक चयन समिति द्वारा योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद के दावे के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच तथा ब्याज इमदाद प्रदान करने के लिए अनुशंसा दी जाएगी। चयन समिति की संरचना निम्नलिखित अनुसार होगीः

(क) अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव योजना का प्रभारी	:	प्रभारी
(ख) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अथवा उनका प्रतिनिधि	:	सदस्य
(ग) विनिर्दिष्ट बैंक का प्रतिनिधि	:	सदस्य
(घ) योजना कार्य करने वाले निर्देशक/उप सचिव	:	सदस्य

(v) 35% सीटें बालिका विद्यार्थियों के लिए निर्धारित हैं। बालिका उपलब्ध नहीं होने पर सीटें बालकों के लिए अंतरित की जा सकती हैं। समीक्षा की आवधिकता का निर्णय मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(vi) ब्याज इमदाद प्रदान करने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इसके खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।

8. आर्थिक इमदाद की दर

(i) इस योजना के अंतर्गत, आईबीए की शैक्षिक ऋण योजना के तहत निर्धारण। ऋण स्थगन की अवधि के लिए (अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि सहित रोजगार पाने के 6 माह या 1 वर्ष, जो भी पहले हो) आईबीए का शैक्षिक ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा भुगतेय ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) ऋण स्थगन की अवधि के पूरा होने पर, बकाया ऋण राशि पर ब्याज विद्यार्थी द्वारा समय-समय पर संशोधित मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार दिया जाएगा।

(iii) ऋण स्थगन की अवधि के पश्चात् मूलधन की किस्तें और ब्याज अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

9. कार्यान्वयन एजेंसियाँ

योजना का कार्यान्वयन बैंक और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा किया जाएगा।

10. प्रशासनिक व्यय

(i) इस योजना के लिए वार्षिक आवंटन के 5 % से अनधिक का प्रावधान प्रशासनिक और संबद्ध लागत अर्थात् कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों सहित कार्यालय उपकरणों, विज्ञापनों, कार्मिकों को लगाने तथा कार्यशाला एवं सम्मेलन आयोजित करने के लिए मंत्रालय के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में मंत्रालय द्वारा सफल उद्यमियों/लाभार्थियों को प्रदर्शित करते हुए योजना को लोकप्रिय बनाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए आयोज़ित समारोह भी शामिल होंगे। लागत में समारोह को आयोजित करने के लिए टीए/डीए और विविध व्ययों सहित सभी खर्च शामिल होंगे।

(ii) योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक के प्रशासनिक लागत की हिस्सेदारी समझौता ज्ञापन के अनुसार की जाएगी।

(iii) इस प्रावधान का उपयोग योजना के मूल्यांकन और निगरानी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा काम में लगाई गई बाहरी ख्याति प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से भी किया जाएगा।

11. निगरानी एवं पारदर्शिता

(i) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय योजना के निष्पादन की निगरानी करेगा।

(ii) इस प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा एक वेब सक्षम निगरानी तंत्र का निर्माण किया जाएगा।

(iii) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक की तिमाही आधार पर वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्टों को मंत्रालय को भेजना अपेक्षित होगा।

(iv) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक संस्थान, संस्थान का स्थान, कक्षा, लिंग, नया अथवा नवीनीकरण, स्थायी पता और माता-पिता का पता, संपर्क सूत्र तथा ई-मेल आदि को दर्शाते हुए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का वर्ष-वार, ब्यौरा का रख-रखाव करेगा।

(v) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक अपनी आधिकारिक वबेसाइट पर संगत वास्तविक और वित्तीय ब्यौरे रखेगा।

12. अल्प संशोधन/परिवर्तन

बिना किसी वित्तीय विविक्षाओं के योजना में अल्प संशोधन/परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएफसी/ईएफसी/मंत्रिमंडल का आश्रय लिए बिना किए जा सकते हैं।

13. **मूल्यांकन**

इस योजना के वित्तीय और वास्तविक निष्पादन की निगरानी समय-समय पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ख्याति संस्थानों/एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन करके की जाएगी।

14. **योजना के अंतर्गत शामिल सूचक विषय/विद्या विशेष (स्नातकोत्तर, एफ०फिल० और पी-एच०डी० के लिए)**

उन विषयों/ विद्या विशेष की सूची, जिन पाठ्यक्रमों में ब्याज इमदाद लिया जा सकता है, निम्नानुसार हैं:

1. कला/मानविकी/समाज विज्ञान,
2. वाणिज्य,
3. प्योर सांइस,
4. इंजीनियरिंग,
5. जैव प्रौद्योगिकी/जेनेटिक इंजीनियरिंग
6. औद्योगिक पर्यावरणीय इंजीनियरिंग
7. नैनो-टेक्नोलॉजी
8. मैरीन इंजीनियरिंग
9. पैट्रो-रसायन इंजीनियरिंग
10. प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
11. क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग
12. मेकाट्रॉनिक्स
13. कृत्रिम आसूचना सहित ऑटोमशन रोबोटिक्स
14. लेजर टेक्नोलॉजी
15. लो टेम्प्रेचर थर्मल डायनामिक्स
16. दृष्टिमिति
17. आर्ट रेस्टोरेशन टेक्नोलॉजी
18. डॉक एवं हार्बर इंजीनियरिंग
19. इमेजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी

20. विकेन्द्रीकृत बिजली वितरण (सौर ताप के लिए) प्रणाली, ऊर्जा भंडारण इंजीनियरिंग, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा एफीसियेंट हैबिटेट सहित कम्पोजिट मैटेरियल इंजीनियरिंग
21. पैकेजिंग इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी
22. नाभिकीय अभियांत्रिकी
23. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साफ्टवेयर क्वालिटी एस्योरेंस, नेटवर्किंग/कनेक्टिविटी इंजीनियरिंग, जोखिमपूर्व अथवा आपदा-पश्च दशाओं के तहत-संचार प्रणाली, मल्टी-मीडिया संचार सहित सूचना प्रौद्योगिकी।
24. औद्योगिकी सुरक्षा इंजीनियरिंग
25. कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी
26. कृषि विज्ञान
27. मेडिकल
28. पुष्पकृषि एवं लैंडस्केपिंग
29. खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी
30. वानिकी एवं प्राकृतिक संसाधन
31. बागवानी
32. वनस्पति रोग विज्ञान
33. ऊर्जा अध्ययन
34. फार्म पॉवर और मशीनरी
35. पशु चिकित्सा विज्ञान
36. भूमि एवं जल प्रबंधन
37. वनस्पति प्रजनन और आनुवंशिकी
38. महासागर एवं वायुमंडलीय विज्ञान
39. एम.बी.ए.
40. एम.सी.ए
41. कोई अन्य विषय

* स्थिति की माँग के अनुसार समय-समय पर विषय मंत्रालय जोड़े और हटाये जा सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता – नई उड़ान योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना और दिशा-निर्देश

नई उड़ान

1. **योजना की पृष्ठभूमि एवं औचित्य :**

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाजात अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है कि सभी समुदायों और समूहों को आर्थिक अवसरों और रोज़गार में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसमें उन समुदायों के लिए अत्याधिक सक्रिय उपायों की परिकल्पना की गई है, जो पीछे रह गए हैं और अत्यधिक हाशिए पर आ गए हैं। अतएव, इन समुदायों की सहायता करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के रूप में क्रियाकलापों की जरूरत है, जिनमें (1) स्व-रोज़गार तथा मजदूरी रोज़गार और (2) राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के संबंध में लक्ष्यों का निर्धारण किया गया हो।

2. **उद्देश्य :**

इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सकें तथा ग्रुप 'ए' तथा 'बी' पदों (राजपत्रित पद) के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी); राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) तथा ग्रुप 'ए', 'बी' (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (संयुक्त स्नातक स्तरीय) ग्रुप 'बी' के लिए सीएपीफ (अराजपत्रित) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभयर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके।

3. **क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी तथा पात्रता :**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी होगा तथा योजना के अधीन आर्थिक सहायता के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं और जो यूपीएससी; एसपीएससी तथा एसएससी इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं तथा अन्य सभी पात्रता मापदंड और शर्तें पूरी करते हैं। योजना के पात्रता मापदंड एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी-

(i) अभ्यर्थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए तथा उसने योजना के पैरा 5 में सूचीबद्ध ग्रुप 'ए' और 'बी' (राजपत्रित पद) के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सिविल सेवाएँ प्रारंभिक परीक्षा तथा ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित पद) के लिए कर्मचारी चयन आयोग (संयुक्त स्नातक स्तरीय) की परीक्षा को उत्तीर्ण किया होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थियों की सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 8.0 लाख रु0 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा आर्थिक सहायता केवल एक ही बार प्राप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अन्य किसी ऐसी ही योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अन्य योजनाओं का चुनाव करता है/करती है, तो उसे इस मंत्रालय से दावे को छोड़ना होगा तथा यदि वह पहले ही लाभ ले चुका हो, तो उसे राशि को 10% ब्याज सहित लौटाना होगा। उसे इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वह अन्य किसी स्रोत से ऐसा लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है/कर रही है।

4. **प्रक्रिया :**

योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर सभी अपेक्षित दस्तावेज़ों के साथ पोर्टल अर्थात् www.naiudan.moma.gov.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि चयन समिति एक महीने के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों पर भी विचार कर सकती है।

5. **लागत/लाभार्थियों की संख्या :**

प्रत्येक वर्ष योजना के अंतर्गत देश भर में अधिकतम 5100 अभ्यर्थियों को पात्रता मापदंड प्राप्त करने पर तब तक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जब तक कि बजटीय आवंटन समाप्त न हो जाए। किसी विशिष्ट समुदाय/परीक्षा के लिए उपलब्ध स्लॉट्स की सीमित संख्या के मामले में अभ्यर्थियों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। स्लॉट्स का वितरण जनगणना, 2011 के आंकड़ों पर आधारित होगा। विभिन्न अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को लाभों का परीक्षा-वार, वास्तविक वितरण निम्नलिखित है-

परीक्षा का नाम	समुदाय-वार कोटा						
	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
यूपीएससी (सिविल सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा एवं भारतीय वन सेवा)	219	36	24	10	9	2	300
राज्य पीएससी (राजपत्रित)	1460	240	160	66	60	12	2000
एसएससी (सीजीएल) और (सीएपीएफ)	1460	240	160	66	60	12	2000
राज्य पीएससी (स्नातक स्तर) अराजपत्रित)	584	97	64	26	25	4	800
कुल	3723	613	408	168	154	30	5100

यदि किसी विशेष समुदाय/परीक्षा के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस विशेष समुदाय/परीक्षा का अप्रयुक्त कोटा अन्य समुदायों/परीक्षाओं के पात्र अभ्यर्थियों को अंतरित किया जाए। समीक्षा की अवधिकता का निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया जाए।

वित्तीय सहायता की अधिकतम दर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए एक लाख रु0 केवल (1,00,000/- रु0); राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएँ पास करने पर पचास हजार रु0 केवल (50,000/- रु0) इत्यादि (राजपत्रित पद) और कर्मचारी चयन आयोग व सीएपीएफ ग्रुप 'बी' द्वारा आयोजित अराजपत्रित पदों के लिए आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (एसएससी-सीजीएल) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पच्चीस हजार रु0 केवल (25,000/- रु0) व राज्य पीएससी (स्नातक स्तर) अराजपत्रित पदों के लिए यह राशि केवल (25,000/- रु0) होगी।

संशोधित दरें 01.04.2019 को व उसके बाद प्राप्त आवेदनों के लिए लागू होंगी।

6. **अभ्यर्थियों के लिए निबंधन एवं शर्तें :**

(i) अभ्यर्थी को उत्तीर्ण की गई परीक्षा का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है।

(ii) अभ्यर्थी को परीक्षाएँ पास करने के समर्थन में संगत प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक पर्ची और दस्तावेज़ी प्रमाण और मंत्रालय द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए।

(iii) अभ्यर्थी को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

7. **अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए शर्तें :**

1. अभ्यर्थी को वित्तीय लाभ केवल एक बार और केवल एक परीक्षा के लिए दिया जाएगा अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है और साथ ही साथ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है तो वित्तीय सहायता केवल उस एक परीक्षा के लिए दी जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी ने प्रथम आवेदन किया है।
2. वित्तीय लाभ का भुगतान आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो, से जोड़ा जाए। इस संबंध में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकीयों, लाभों और सेवाओं की लक्षियत प्रदानगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित, की धारा 7 के अधीन 14 जून, 2017 की राजपत्र अधिसूचना एस0ओ0 2410 (अ) दिनांक 14 जून, 2017 का संदर्भ लिया जाए।
3. यदि किसी विशेष समुदाय/परीक्षा के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस विशेष समुदाय/परीक्षा का अप्रयुक्त कोटा अन्य समुदायों/परीक्षाओं के पात्र अभ्यर्थियों का अंतरित किया जाए।
4. इसके प्रभाव का आंकलन करने के लिए लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया जाए।
5. जिन अभ्यर्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है वे यूपीएससी/एसएससी/राज्य पीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवाएँ (मुख्य) के लिए निःशुल्क कोचिंग का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. वित्तीय लाभ का भुगतान एक किस्त में किया जाए। तथापि, अभ्यर्थी को ई-मेल के माध्यम से मंत्रालय को मुख्य परीक्षा के परिणाम के बारे में सूचित करना होगा।

8. **वित्त पोषण पद्धति :**

चुने गए अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी क्योंकि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) है। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा।

9. **अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया :**

आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की मंत्रालय में छानबीन की जाएगी और योजना के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र आवेदकों के चयन हेतु निम्नलिखित समिति के समक्ष रखे जाएँगे :

(क) अपर सचिव/संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) — अध्यक्ष

(ख) उप सचिव/निदेशक (वित्त) — सदस्य

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिध निदेशक/उप सचिव के ओहदे से कम का नहीं; — सदस्य

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि निदेशक/उप सचिव के ओहदे से कम का नहीं; — सदस्य

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि निदेशक/उप सचिव के ओहदे से कम का नहीं; — सदस्य

(च) निदेशक (एसएस)/उप सचिव/अवर सचिव/ (अल्पसंख्यक कार्य) — संयोजक

योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों के चयन के बारे में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और लागू कानून में प्रदत्त व्यवस्था के सिवाए इस संबंध में समिति के किसी निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

10. **प्रशासनिक व्यय :**

मंत्रालय को इस योजना के अंतर्गत अनुबंध पर स्टाफ रखने और कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित करने के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए वार्षिक आवंटन के 5% तक को अलग रखने की अनुमति होगी। कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में मंत्रालय द्वारा सफल उद्यमियों/लाभार्थियों को प्रदर्शित करते हुए योजना को लोकप्रिय बनाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित समारोह भी शामिल होंगे। लागत में समारोह को आयोजित करने के लिए टीए/डीए और विविध व्ययों सहित सभी खर्च शामिल होंगे।

11. **निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र :**

यह देखने के लिए कि संबंधित बैंकों के माध्यम से राशि का यथासमय संवितरण हो रहा है, निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाएगी ताकि चुने गए छात्रों को विलंब के कारण कठिनाई न हो। योजना के कार्यान्वचन के तीन साल के बाद इसका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एवं विशेषीकृत एजेंसी के माध्यम से करवाया जाएगा। प्रभाव मूल्यांकन अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2019-20 की समाप्ति पर किया जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

सामान्य अनुदेश :

अभ्यर्थियों को वित्तीय लाभ केवल एक बार और केवल एक परीक्षा के लिए दिए जाएँ अर्थात् यदि कोई अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभि परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और साथ में एसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो वित्तीय लाभ केवल एक परीक्षा के लिए दिए जाएँगे।

ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखि विवरण/दस्तावेज तैयार रखने चाहिए-

- वैध ई-मेल आईडी सहित उसका व्यक्तिगत ब्यौरा
- उसका स्कैन किया हुआ फोटो और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर
- अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का उसका स्वयं का घोषणा-पत्र या अल्पसंख्य समुदाय प्रमाण-पत्र अर्थात् मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। वेबसाइ पर फॉर्म एवं दिशा-निर्देश के अधीन **प्रपत्र** 1 के अनुसार।
- वेबसाइट पर फॉर्म और दिशा-निर्देश के अधीन **पैरा 6-iii** के अनुसार सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय की स्व-घोषणा।
- पहचान के लिए उसके स्कैन किए हुए दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवि लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड
- उसके बैंक खाते के रद्द किए गए चैक की स्कैन की हुई प्रति या खाता नं0 और बैं आईएफएससी कोड की जांच के लिए छात्र के बैंक की पासबुक की प्रति
- 5/10/20 रु0 के नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर विधिवत रूप से नोटराइज किए गए उस इस आशय के शपथ-पत्र की स्कैन की हुई प्रति कि वह किसी अन्य स्रोत से वित्ती सहायता नहीं ले रहा है/रही है/नहीं ली है।
- उस परीक्षा विशेष के प्रवेश-पत्र के स्कैन की हुई प्रति
- उसकी रोल नं0 स्लिप की स्कैन की हुई प्रति, साथ में उस परिणाम पृष्ठ की प्रति जिस उसका रोल नं0 दर्शाया गया हो।

कैसे आवेदन करें :

- अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना अपेक्षित है। केवल ऑनलाइन आवेदनों की अनुमति है। मैनुअल/पेपर आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। अन्य तरीकों से भेजे गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा/ कार्यवाही नहीं की जाएगी और इस संबंध में आगे कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
- अभ्यर्थियों की अपनी एक व्यक्तिगत वैध ई-मेल आईडी होनी चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहनी चाहिए। पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और अन्य सभी महत्वपूर्ण संचार इसी

पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएँगे (कृपया सुनिश्चित करें कि इस मेल बॉक्स में भेजी गई ई-मेल आपके जंक/स्पैम फोल्डर में न चली जाए)। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे मंत्रालय से किसी पत्र-व्यवहार के लिए अपनी ई-मेल को नियमित रूप से देखते रहें। अभ्यर्थी को अपनी ई-मेल आईडी या पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।

- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। अभ्यर्थी द्वारा की गई कोई भी गलती अकेले उसी की जिम्मेदारी होगी।
- अभ्यर्थियों को विस्तृत अधिसूचना में निर्धारित तारीख और समय के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करना सुनिशिचित करना चाहिए।
- प्रथम, अभ्यर्थी को वैध ई-मेल आईडी के साथ रजिस्टर करना और सभी वांछित सूचना भरना होता है अर्थात् व्यक्तिगत ब्यौरें, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना, फिर 'सेव' बटन पर क्लिक करें, सफल रजिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज उत्पन्न होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सिस्टम रजिस्ट्रेशन नं0, आईडी और पासवर्ड उत्पन्न करेगा और अभयर्थी की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजेगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी को आई-डी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना चाहिए और उसकी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सभी वांछित सूचना भरनी चाहिए। और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए। इसके बाद 'सब्मिट' बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक आवेदन होने पर एक मैसेज उत्पन्न होगा।
- आप अपने रिकॉर्ड के लिए अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

जांच बॉक्स :

- मैं सहमत हूँ कि मैंने यूपीएससी/एसएससी/राज्य पीएससी या कोई अन्य परीक्षा पास करने पर विगत में इस योजना का लाभ नहीं लिया है।
- मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि सभी स्रोतों से मेरे परिवार की वार्षिक आय 6.00 लाख रु0 से अधिक नहीं है।
- मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अधीन अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक से संबंधित हूँ।
- यदि मेरे द्वारा की गई कोई घोषणा गलत पाई जाती है तो मुझे प्रदान की गई वित्तीय सहायता दंडिक ब्याज के साथ वसूल कर ली जाए और कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को बिना किसी सूचना के मेरा आवेदन रद्द करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

टिप्पणी :

कृपया नोट करें कि उपर्युक्त सूचना संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रयोग की जाएगी, किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव/संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया आवेदन भरते समय सावधानी बरतें।

नया सवेराः अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

1. इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियो परीक्षाओं के लिए तैयार करना है ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधा आए। यह योजना अधिसूचित अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को चयनित कोचिंग संस्थानों में निःशुल् कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. **उद्देश्य**

इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए विशेष कोचिंग द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदा के संबंधित विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है :

(i) इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे तकनीकी/व्यावसायि पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अर्हक परीक्षाएँ और विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले के लि भाषा/अभिरूचि परीक्षाएँ और

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंक, बीमा, कंपनियों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों सहि केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत समूह 'क' 'ख' और 'ग' सेवाओं तथा समतुल्य पदों क भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ।

3. **कोचिंग हेतु पाठ्यक्रम**

वे पाठ्यक्रम जिनके लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी, निम्नानुसार हैं–

(i) समूह 'क', 'ख' तथा 'ग' पदों हेतु संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक से आयोगों, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) तथा रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकि सेवा भर्ती बोर्डों आदि सरीखी विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाएँ।

(ii) बैंकों, बीमा कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा संचालित अधिका ग्रेड की परीक्षाएँ।

(iii) अभियांत्रिकी/चिकित्सा पाठ्यक्रम, सीएटी, सीएलएटी, एमबीए आदि सरीखें व्यावसायि पाठ्यक्रमों तथा अन्य ऐसे ही विषयों, जैसा कि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्णय लि गया हो, में दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षाएँ।

4. **कार्यान्वयन एजेंसियाँ और पात्रता**

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अग्रलिखित प्रकार के संस्थान पा होंगे–

(i) विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्यावसायिक कोचिंग में लगे सरकारी क्षेत्र के सभी संस्थान।

(ii) मान्द विश्वविद्यालयों सहित कोचिंग कार्यकलापों में लगे निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय/कॉलेज।

(iii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत और व्यावसायिक कोचिंग में लगे न्यास, कंपनियाँ, साझेदारी फर्में या सोसायटियाँ।

5. कोचिंग संस्थानों को पैनल में शामिल करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड

(i) संस्थान पंजीकृत निकाय होना चाहिए अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/कंपनी अधिनियम, 2014 अथवा राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के अन्य किसी संगत/अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी संगठन द्वारा संचालित होना चाहिए।

(ii) उन संगठनों/क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसी जो पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ कोचिंग संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना की तारीख के अनुसार कम-से-कम तीन वर्षों के लिए पंजीकरण अपेक्षित होगा।

(iii) इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के समय पर न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए संस्थान/केंद्र पूर्णतया कार्यात्मक होना चाहिए और जिस वर्ष के पैनल में शामिल करने के लिए आवेदन किया गया है उससे तुरंत पहले के तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में यहाँ ऊपर पैरा 3 में दर्शाए गए अनुसार पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 100 छात्रों का नामांकन होना चाहिए।

(iv) संस्थानों के पास उनके वेतन रोल पर अथवा अंशकालिक आधार पर अपेक्षित संख्या में योग्य संकाय सदस्य होने चाहिए।

(v) संस्थानों के पास उनके वेतन रोल पर अथवा अंशकालिक आधार पर अपेक्षित संख्या में योग्य संकाय सदस्य होने चाहिए।

(vi) संस्थानों के पास कोचिंग कक्षाएँ चलाने के लिए परिसर, पुस्तकालय, अपेक्षित उपकरण इत्यादि जैसी आवश्यक अवसंरचना होनी चाहिए।

(vii) कोचिंग संस्थानों की आवेदन किए गए कोचिंग पाठयक्रमों में 15% न्यूनतम सफलता दर होनी चाहिए। भर्ती तथा सफलता दर की तुलना में उनके पिछले कार्य-निष्पादन पर चयन के समय विचार किया जाएगा।

(viii) क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियाँ नीति आयोग के पोर्टल अर्थात् http://ngodarpan.gov.in अथवा जैसा भी मामला हो, पंजीकृत होनी चाहिए।

(ix) संस्थान/संगठन को कभी भी दिवालिया घोषित न किया गया हो।

(x) संस्थानों/संगठन को सरकार के किसी विभाग अथवा निकाय द्वारा कभी भी काली सू
न डाला गया हो।

6. प्रक्रिया का विवरण

(i) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के ब्यौरों का विज्ञापन दे दिया जाएगा
कोचिंग संस्थानों/संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँगे।

(ii) जबकि सरकारी क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अपने प्रस्ताव
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। गैर-सरकारी संगठनों सहित निजी
संगठन अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) के अनुसार संबंधित
सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

(iii) सभी प्रस्तावों की, चाहे सरकारी संस्थान हों या निजी संस्थान, कार्यक्रम विभाग द्वारा
की जाएगी और विचार हेतु चयन समिति के सामने और योजना के अंतर्गत संस्थानों
पैनल में रखने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 2017-18 के लिए चयनित संस्थानों को
(03) वर्षों की अवधि अथवा 2019-20 तक पैनल में शामिल किया जाएगा।

(iv) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(क)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अपर सचिव/संबंधित संयुक्त सचिव	–	अध्यक्ष
(ख)	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ग)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	–	सदस्य
(घ)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ङ)	शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि	–	सहयोजित सदस्य
(च)	निदेशक/उप सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	–	सदस्य

7. अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

(i) अभ्यर्थी को वांछित पाठ्यक्रमों/भर्ती परीक्षाओं में दाखिले के लिए निर्धारित अर्हक परी
अकों की अपेक्षित प्रतिशतता प्राप्त की जानी चाहिए।

(ii) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित केवल वही अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत
होंगे जिनकी सभी स्त्रोतो से कुल पारिवारिक आय 6.00 लाख रू. प्रतिवर्ष से अधि
है। संगठन/कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसी को संबंधित छात्र/अभ्यर्थी से राज्यों/संघ राज्य
के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है

इस योजना के तहत किसी विद्यार्थी विशेष द्वारा कोचिंग का लाभ केवल एक बार ही (सिविल सेवाएं परीक्षा की तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग कार्यक्रम को छोड़कर) उठाया जा सकता है, चाहे वह किसी प्रतियोगी परीक्षा विशेष के लिए कितने अवसरों के लिए पात्र हो। कोचिंग संस्थान को विद्यार्थी से एक शपथ-पत्र लेना अपेक्षित होगा कि उसने इस योजना के तहत पहले कोई लाभ नहीं लिया है।

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग के संदर्भ में, योजना का लाभ किसी छात्र विशेष द्वारा अधिकतम दो बार लिया जा सकता है। तथापि, संगठनों/संस्थानों को पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित कोचिंग का केवल 50 % दोबारा कोचिंग लेने आने वाले छात्रों के संबंध में दिया जाएगा।

वे छात्र जिन्होंने सिविल सेवा की समेकित तैयारी परीक्षा के लिए आवासीय कोचिंग ली है, मंत्रालय की "नई उड़ान" योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

इस योजना के तहत शामिल किए गए छात्रों को सभी कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी वैध कारण के बिना 15 दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहता है या कोचिंग को बीच में छोड़ देता है तो उस अभ्यर्थी पर किया गया पूरा खर्च संबंधित संस्थान/विद्यार्थी/अभ्यर्थी से वसूल किया जाएगा।

कोचिंग के लिए स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या में से 30 स्थान छात्राओं/बालिका अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। पात्र महिला अभ्यर्थियों/छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने पर बकाया स्लॉट मंत्रालय की पूर्व अनुमति/सूचना के साथ पुरुष छात्रों/अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।

-पोषण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय योजना के नियम व शर्तों के अनुसार चयनित अल्पसंख्यक छात्रों के किए उपलब्ध कराई गई कोचिंग के संपूर्ण व्यय का वित्तपोषण करेगा।

अनुदान प्रति छात्र लागत आधार पर दिए जाएंगे।

संस्थान/संगठन को सौंपे गए कार्यक्रम के लिए कोचिंग शुल्क की राशि कोचिंग संस्थानों/संगठन को प्रत्येक वर्ष 2 किस्तों में जारी की जाएगी।

कोचिंग शुल्क के 50 % तथा वजीफे के 50 % सहित प्रथम किस्त संस्थानों को उनके पैनल में शामिल किए जाने तथा योजना के दिशानिर्देशों/आवंटन पत्र के अनुसार छात्रों की सूचि तथा अन्य दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् जारी की जाएगी।

कोचिंग शुल्क तथा वजीफे के 50% सहित सहायता-अनुदान की बकाया दूसरी किस्त कोचिंग संस्थानों को उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण, सीएजी के

पैनल वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्राप्तियों और भुगतानों के ब्यौरे तथा कोचिंग कार्यक्रम का परिणाम प्राप्त होने पर जारी (प्रतिपूर्ति के रूप में) किया जाएगा। कोचिंग संस्थान कोचिंग कार्यक्रम के परिणाम के समर्थन में छात्रों को रैंक कार्ड/परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

vi) एक वर्ष कर समाप्ति के पश्चात् अगले वर्ष में वे प्रवेश परीक्षाओं की तारीख को महेनजर रखते हुए उपयुक्त समय पर कोचिंग कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। अगले वर्ष की प्रथम किस्त पूर्व के वर्षों के कोचिंग कार्यक्रमों के लेखाओं का निपटान करने के पश्चात् ही जारी की जाएगी। प्रथम वर्ष की समाप्ति के उपरांत संस्थान के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन अगले वर्ष हेतु निधि जारी करने से पूर्व किया जाएगा। यदि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम सफलता दर में गिरावट हुई हो अथवा न्यूनतम सफलतादर प्राप्त नहीं की गई हो तो अगले वर्ष के लिए प्रथम किस्त के रूप में सहायता अनुदान में अनुपातिक रूप से कमी की जाएगी तथा संबंधित संगठन/क्रियान्वयनकर्त्ता एंजेसी को आगे कोई आवंटन नहीं किया जाएगा।

vii) संबंधित कोचिंग संस्थानों/संगठनों द्वारा वजीफ़े की राशि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से मासिक आधार पर अथवा जैसा मंत्रालय निर्णय करे, छात्रों के खाते में सीधे जारी की जाएगी।

viii) कोचिंग कार्यक्रम का वास्तविक निरीक्षण राज्य सरकार/जिला प्राधिकारी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों अथवा मंत्रालय द्वारा निर्णय किए गए अन्य किसी निरीक्षणकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। वित्त-वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण किया जाएगा। तथापि, यदि अपेक्षित हो, कोचिंग कार्यक्रम की समवर्ती मॉनीटरिंग किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से भी की जा सकती है।

) कोचिंग संस्थानों द्वारा जैसे ही कोंचिंग कार्यक्रम शुरू किया जाता है, उन्हें परियोजना के बारे में कार्यक्रम की शुरुआत और समाप्ति की केन्द्र-वार तारीखों की सूचना जिला प्राधिकारियों को देनी चाहिए और उनसे उनका तत्काल निरीक्षण करने का अनुरोध करना चाहिए। जिला प्राधिकारी कोचिंग कार्यक्रम के पूरा होने की तारीख से अंतिम पखवाड़े से पहले परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे।

यदि कोचिंग संस्थानों द्वारा अग्रिम सूचना दिए जाने पर भी जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है तो मंत्रालय कोचिंग कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए मंत्रालय के पदाधिकारियों/प्राधिकृत एजेंसी को भेजेगा।

) सहायता-अनुदान सामान्य वित्त नियमावली एवं योजना के दिशानिर्देशों के नियमों और मानकों के अनुसार जारी किया जाएगा। योजना के अंतर्गत संगठन/संस्थान ...

[illegible] भारत सरकार के पास केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी द्वारा संगठन का निरीक्षण करने के पश्चात् परवर्ती वर्षों में निधियाँ जारी करने का अधिकार सुरक्षित है। भारत सरकार परवर्ती वर्षों में निरीक्षण कराने के लिए यह अधिकार अनन्य रूप से सुरक्षित रखती है।

[illegible] (क) कोचिंग कार्यक्रम के कोचिंग शुल्क तथा वजीफे की राशि की मात्रा तथा न्यूनतम सफलता दर :

कोचिंग कार्यक्रम की कार्यक्रम-वार, शुल्क की मात्रा, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि, छात्रों को दिए जाने वाले वजीफे की राशि तथा अपेक्षित न्यूनतम सफलता दर निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:–

क्र. सं.	कोचिंग की किस्म	प्रति अभ्यर्थी कोचिंग शुल्क	प्रति छात्र प्रतिमाह वजीफे की राशि	अवधि	कोचिंग कार्यक्रम की न्यूनतम सफलता दर
1	सिविल सेवा परीक्षा की समेकित तैयारी हेतु आवासीय कोचिंग कार्यक्रम	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित 1.00 लाख रू. की अधिकतम सीमा के अध्याधीन	कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। निःशुल्क आवास एवं भोजन सहित आवासीय कार्यक्रम	9 महीने (न्यूनतम)	कोचिंग संस्थान/ संगठन द्वारा विगत तीन वर्षों में प्राप्त सफलता दर का औसत
2	समूह 'क' सेवाएँ	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/-रु0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	2500/-रु. प्रतिमाह	6 महीने (न्यूनतम)	सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) 10 % अन्य 15 %
3	तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/-रु0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	-वही-	6 महीने (न्यूनतम)	20 %
4	समूह 'ख' सेवाएँ	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/-रु0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	-वही-	6 महीने (न्यूनतम)	20 %
5	समूह 'ग' सेवाएँ	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 20,000/-रु0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	-वही-	3 महीने (न्यूनतम)	15 %

यदि सफलता दर प्राप्त नहीं की जाती है,तो जारी किए जाने वाले अनुदानों की राशि आनुपातिक रू
कम कर दी जाएगी तथा संबंधित संगठन/क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसी को आगे कोई आवंटन नहीं किया जा

(ख) **वज़ीफा:** योजना के अंतर्गत लेने वाले सभी छात्रों को 2500/-रु0 प्रतिमाह की राशि भुगतान किया जाएगा बशर्ते कि वे अन्य नियमों व शर्तों को पूरा करते हों। पिछले मा लिए वज़ीफा छात्रों द्वारा संगठनों/कोचिंग संस्थानों को परिणाम प्रस्तुत करने के उप जारी किया जाए।

10. कोचिंग संस्थानों द्वारा पालन की जाने वाली निबंधन और शर्तें:

(i) जैसे ही स्वीकृति जारी की जाती है तो संस्थान के लिए अल्पसंख्यक समुदायो विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए स्थानीय भाषा को वरीयता हुए स्थानीय समाचार पत्र, केबल टीवी चैनलों आदि में विज्ञापन देना अपेक्षित हो संस्थान अल्पसंख्यक बालिका विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए महिला स्टॉफ आमंत्रित करते हुए विशेष प्रयास करेगा। कोचिंग के लिए चुने गए छात्रों का नाम, समुदाय, लिंग और वार्षिक आय जैसे विवरण निर्धारित प्रपत्र में 45 दिनों के भीतर मंत्रालय को प्रस्तुत कर देने चाहिए।

(ii) संस्थान कोचिंग कार्यक्रम के लिए दाखिल किए गए अभ्यर्थियों के नाम, पता, दूरभा संख्या, ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) आदि के पूरे विवरण के साथ प्रबंधन सूच प्रणाली (एमआईएस) तैयार करेगा और वह सूचना मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। संस्था दाखिल किए गए प्रत्येक अभ्यर्थी के फोटो, आयु, लिंग शैक्षिक अर्हताएं, आय प्रमाण-प बैंक खाता संख्या आदि जैसे पूरे विवरण के साथ रिकॉर्ड रखेगा। प्रत्येक छात्र/अभ्यर्थी आधार नंबर भी लिया जाए। इस संबंध में इस योजना के संदर्भ में आधार (वित्तीय अ अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 20 (2106 का 18) की धारा-7 के अंतर्गत, भारत के राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई, 2017 अधिसूचना का. आ. 2408 (अ), का अवलोकन किया जाए।

(iii) मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों के लिए संस्थान द्वारा अलग खाता रखा जाएगा अ जब कभी निरीक्षण के लिए मंगाया जाएगा तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को यह खा उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) संस्थान कोचिंग कार्यक्रम के लिए दाखिल किए गए अभ्यर्थियों के नाम, पता, दूरभा संख्या, ई-मेलआईडी (यदि उपलब्ध हो) आदि के पूरे विवरण के साथ प्रबंधन सूच

प्रणाली (एमआईएस) तैयार करेगा और यह सूचना मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। संस्थान दाखिल किए गए प्रत्येक अभ्यर्थी के फोटो, आयु, लिंग शैक्षिक अर्हताएं, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाता संख्या आदि जैसे पूरे विवरण के साथ रिकार्ड रखेगा। प्रत्येक छात्र/अभ्यर्थी का आधार नंबर भी लिया जाए। इस संबंध में इस योजना के संदर्भ में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा-7 के अंतर्गत, भारत के राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना का. आ. 2408 (अ) का अवलोकन किया जाए।

(v) मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों के लिए संस्थान द्वारा अलग खाता रखा जाएगा और जब कभी निरीक्षण के लिए मंगाया जाएगा तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को यह खाता उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) संस्थान, इन निधियों का उपयोग केवल विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। अनुदानग्राही संस्थान एक वचन देगा कि इस शर्त के विपरीत काम करने की दशा में, वह प्राप्त की गई राशि को 10% दंड ब्याज सहित वापस करेगा और सरकार द्वारा उचित समझी गई किसी अन्य कार्यवाही का भी सामना करेगा।

(vii) कोचिंग संस्थान को छात्र से इस आशय का एक शपथ-पत्र भी लेना होगा कि उसने इस योजना या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया है। संस्थान का अध्यक्ष/सचिव/चेयरमैन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और इस योजना के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किए अनुदान का हिसाब-किताब देने के लिए जिम्मेदार सक्षम प्राधिकारी के नाम से एक बांड दो जमानतियों के साथ प्रस्तुत करेगा।

(viii) संस्थान, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा कि केवल मेधावी छात्रों को कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया जाता है।

(ix) पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सोसायटियों/गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों आदि के खातों में सीधे ई-पेमेन्ट के लिए आदाता द्वारा एक प्राधिकार पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें ई-पेमेंट संबंधी पूरे ब्यौरे अर्थात्-आदाता का नाम, बैंक आईएफएससी कोड नं०, बैंक शाखा नं०, बैंक शाखा का नाम एवं पता आदि का उल्लेख होगा। प्राधिकार पत्र पर संबद्ध बैंक शाखा के प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएँ ताकि गलत संख्या का उपयोग न हो। पूरे वित्त वर्ष के लिए अथवा वर्ष के दौरान खाता सं. बदले जाने तक केवल एक प्राधिकार पत्र ही अपेक्षित होगा। प्राधिकार-पत्र का एक प्रोफार्मा संलग्न है। (अनुलग्नक II)

(x) चयनित संस्थान को अनुमोदित कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वयं संसाधनों का उपयोग करने इच्छुक होना चाहिए। संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध होंगे कि मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी करने में यदि कोई विलम्ब हो तो उस कारण कोचिंग कार्यक्रम में कोई बाधा न आए।

कोचिंग कार्यक्रम के पूरा होने पर संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों के विवरण, उपयोग प्रमाण-पत्र और किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल पर हो, द्वारा प्रमाणित लेखा-परीक्षित खाते निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेगाः-

(क) वर्ष के दौरान प्राप्त निधियों के संबंध में संस्थान की प्राप्तियाँ एवं भुगतान सहित वर्ष की लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट, आय और व्यय का खाता/तुलना पत्र

(ख) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि संस्थान ने इसी प्रयोजन के लिए भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और किसी अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संगठन से कोई अन्य अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(ग) संस्थान संबंधित वर्ष के लिए दूसरी किस्त जारी किए जाने के लिए आवेदन या वर्ष के लिए नए आवेदन के साथ चालू या अंतिम, जैसा भी मामला हो निर्धारित में (जीएफआर-19 ए अथवा समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा यथा... उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) संस्थान मंत्रालय की वेबसाईट/पोर्टल पर कोचिंग कक्षाओं की दैनिक प्रगति... विजुअल आदि को अपलोड करेगा।

11. निगरानी

अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी निम्नलिखित अनुसार की जाएगी

(i) संस्थान की मॉनीटरिंग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा अथवा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्णय किए अनुसार की जाएगी

(ii) संस्थान उनके द्वारा कोचिंग दिए गए अभ्यर्थियों की सफलता दर की जानकारी ... साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेंगे।

(iii) संस्थान का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों प्राधिकृत स्वतंत्र एजेंसियों/अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

(iv) संस्थान अपनी वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट का पता मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे ... द्वारा कोचिंग कार्यक्रम के वर्ष-वार और केन्द्र-वार फोटोग्राफ सुलभ संदर्भ के लिए वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

(v) संस्थान हर छात्र का आधार नंबर एकत्र करेगा। यदि किसी छात्र के पास आधार ... है तो संस्थान/संगठन के लिए ऐसे लाभार्थियों हेतु आधार नामांकन सुविधाएं ...

होगा। इस संदर्भ में, दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना का.आ. 2408 (अ). आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 को 18) की धारा-7 के अंतर्गत, इस योजना के संदर्भ में भारत के राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई, 2017 के प्रकाशन का अवलोकन किया जाए।

(vi) कोचिंग संगठन को इस योजना के संदर्भ में एक अलग बैंक खाता रखना चाहिए और इस कोचिंग कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यय केवल इसी खाते में से किए जाने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत सभी व्यय पीएफएमएस-ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे। 5000/-रु. से अधिक का कोई भी भुगतान नकद में नहीं किया जाना चाहिए।

12. नया संघटकः चिकित्सा/अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा की अभिकेंद्रित तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग कार्यक्रम

2013-14 के दौरान, योजना का नया घटक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और दिल्ली में प्रति केन्द्र 100 अथवा अधिक छात्रों के हिसाब से लगभग 1000 छात्रों के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया। योजना के दिशा-निर्देशों और निधियों की उपलब्धता के अनुसार बाद के वर्षों में कुछ और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। अब निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना का नया संघटक देशभर में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है और सभी राज्यों को पात्र संस्थानों/संगठनों तथा पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन कवर किया जाएगा।

(i) नया संघटक 1 : कक्षा XI तथा XII के विज्ञान के छात्रों हेतु दो वर्षीय अभिकेंद्रित कोचिंग

नया संघटक 1 चिकित्सा/अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कक्षा XI और XII के विज्ञान के छात्रों के लिए दो वर्षीय आवासीय अभिकेंद्रित कोचिंग है। इस संघटक के अंतर्गत चुने हुए छात्र के लिए वित्तीय सहायता की दर प्रति शैक्षणिक वर्ष 1,00,000/-रू (एक लाख रू. केवल) तक है जो संस्थान को देय होगा। 11 वीं कक्षा के लिए कोचिंग कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 8 माह होगी तथा 12 वीं कक्षा के लिए यह अवधि 10 माह के लिए होगी।

(ii) नया संघटक 2: विज्ञान विषयों के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए एक वर्षीय अभिकेंद्रित कोचिंग

इस संघटक के अंतर्गत उन अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चिकित्सा/अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए एक वर्षीय आवासीय कोचिंग कार्यक्रम भी संचालित किया जाएगा जिन्होंने विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 75 अंकों के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और कोई लाभ प्राप्त किया है, इस कार्यक्रम के पात्र नहीं होंगें। इस संघटक के अंतर्गत चुने गए छात्र के लिए एक वर्ष के कोचिंग कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता 1.00 लाख रू. तक है जो संस्थान को देय होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 10 महीने होगी।

(iii) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय योजना के ब्यौरों का विज्ञापन देगा और इस संघटक हेतु समय-सम पर और स्कूलों/कॉलेजों अथवा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने की जरूरत के आधा पर विज्ञान संकाय वाले 11 वीं और 12 वीं की नियमित कक्षाएं चलाने वाले बालक औ बालिकाओं के लिए अलग से छात्रावास की सुविधा वाले स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों से प्रस्ता आमंत्रित करेगा।

(iv) कोचिंग संस्थानों को पैनल में शामिल किए जाने हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड :

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड निम्नलिखित होगा–

(क) संस्थान पंजीकृत निकाय होना चाहिए अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/कंपनी अधिनियम, 2014 अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्य कि संगत/अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी संगठन द्वारा संचालित होना चाहिए।

(ख) स्कूल/कॉलेज/संस्थानों के पास कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए परिसर, पुस्तकालय, अपेक्षि उपकरण इत्यादि जैसी आवश्यक अवसंरचना होनी चाहिए।

(ग) संस्थान में लड़कों तथा लड़कियां के लिए अलग-अलग छात्रावासों की आवासीय सुविधा होन चाहिए जिनमें सुरक्षा गार्ड तैनात हो। बालिका छात्रावास में महिला सुरक्षा गार्ड और स्टा तैनात होना चाहिए।

(घ) छात्रावासों में समुचित स्वल्पाहार गृह सुविधा, बिजली, पेयजल तथा शौचालय/स्नानाग आदि पर्याप्त संख्या में होना चाहिए।

(ङ) स्कूल/कॉलेज/संस्थानों के पास संगत पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग प्रदान करने का कम-से-क तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(च) स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थानों को व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचि में 15 % न्यूनतम सफलता दर होनी चाहिए।

(छ) इस संघटक हेतु पात्र होने के लिए संस्थान/स्कूल/कॉलेज सीबीएसई/आईसीएसई अथ राज्य शिक्षा बोर्डों से संबद्ध होने चाहिए तथा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते सम न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत होने चाहिए।

(ज) संस्थान/संगठन नीति आयोग के पोर्टल अर्थात् http://ngodarpan.gov.in पर पंजीकृ होना चाहिए।

(झ) संस्थान/संगठन को कभी भी दिवालिया घोषित न किया गया हो।

(ञ) संस्थान/संगठन को सरकार के किसी विभाग अथवा निकाय द्वारा कभी भी काली सूची में डाला गया हो।

(v) प्रक्रिया का विवरण:-

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के ब्यौरों का विज्ञापन दिया जाएगा और कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।

(ख) जबकि सरकारी क्षेत्र के संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अपने प्रस्ताव सीधे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। गैर-सरकारी संगठनों सहित निजी क्षेत्र के संगठन अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-I क) के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

(ग) सभी प्रस्तावों की, चाहे वे सरकारी संस्थान के हों या निजी संस्थान के, कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जांच की जाएगी तथा योजना के अंतर्गत संस्थानों को पैनल में शामिल करने के लिए उन्हें चयन समिति के विचारार्थ रखा जाएगा। यदि अपेक्षित हुआ, संस्थान को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी बुलाया जाएगा। 2017-18 के लिए चयनित संस्थानों को तीन (03) वर्षों की अवधि अथवा 2019-20 तक पैनल में शामिल किया जाएगा।

(vi) **संस्थानों/स्कूलों/कॉलेजों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-**

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अपर सचिव/संबंधित संयुक्त सचिव	–	अध्यक्ष
(ख) संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, अल्पसंख्यक कार्य	–	सदस्य
(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	–	सदस्य
(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि	–	सहयोजित
(ङ) निदेशक/उप सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	–	संयोजक

(vii) मंत्रालय मध्यकालिक निरीक्षण भी कर सकता है।

(viii) छात्रों का चयन चुनिन्दा संस्थानों/स्कूलों/कॉलेजों द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों में से किया जाएगा। छात्रों का चयन संबंधित संस्थानों/स्कूलों/कॉलेजों द्वारा मेरिट आधार पर किया जाएगा। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र छात्रों की मेरिट सूची मेरिट (अंकों का प्रतिशत अथवा सीजीपीए) के आधार पर तैयार की जाएगी। चयन मेरिट सूची में से अंकों के अधिकतम प्रतिशत अथवा सीजीपीए से आरंभ करते हुए किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में आबंटित छात्रों की कुल संख्या की शर्त के अधीन 75% अंक अथवा समतुल्य ग्रेड से नीचे के छात्रों का चयन नहीं किया जाएगा। अभिकेंद्रित कोचिंग हेतु चुने गए छात्र पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद इंजीनियरिंग डिग्री/मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के इच्छुक होने चाहिए।

(ix) विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष के कोचिंग कार्यक्रम हेतु कोचिंग कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 10 महीने की होगी। यदि एक अवधि निर्धारित अवधि से कम हो तो अनुदानों में आनुपातिक रूप से कमी की जाएगी। तथापि, संस्थान पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(x) वित्त पोषण :

(i) कक्षा XI तथा XII के विज्ञान के छात्रों हेतु दो वर्षीय अभिकेंद्रित कोचिंग

(क) कोचिंग कार्यक्रम का प्रथम वर्ष (11 वीं कक्षा):

कोचिंग कार्यक्रम के आवंटन के पश्चात् जैसे ही अपेक्षित वचनबद्ध सहित छात्रों की सूची प्राप्त हो जाती है, संस्थानों को 11 वीं कक्षा की पहली किस्त (स्वीकृत राशि का 50 %) जारी कर दी जाएगी। 11 वीं कक्षा की दूसरी किस्त राज्य सरकार/जिला प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, से निरीक्षण रिपोर्ट तथा जारी की गई राशि का पाठ् पाठ्यक्रम के पूरा होने पर उपयोग प्रमाण-पत्र के मिलने पर जारी की जाएगी।

(ख) कोचिंग कार्यक्रम का दूसरा वर्ष (12 वीं कक्षा):

12 वीं कक्षा की पहली किस्त (स्वीकृत राशि का 50 %) 11 वीं कक्षा के परिणाम प्राप्त होते ही जारी कर दी जाएगी। कोचिंग कार्यक्रम की 12 वीं कक्षा की दूसरी तथा अंतिम किस्त मंत्रालय के अधिकारियों अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारी से निरीक्षण रिपोर्ट, कोचिंग कार्यक्रम का परिणाम तथा उपयोग प्रमाण-पत्र एवं अन्य अपेक्षित दस्तावेज मिलने के उपरांत जारी की जाएगी।

(ii) विज्ञान विषयों के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों हेतु एक वर्षीय अभिकेंद्रित कोचिंग

कोचिंग कार्यक्रम के आवंटन के पश्चात् जैसे ही अपेक्षित वचनबद्ध आदि सहित छात्रों की सूची प्राप्त हो जाती है, संस्थानों को पहली किस्त (स्वीकृत राशि का 50 %) जारी कर दी जाएगी। दूसरी किस्त राज्य सरकार/जिला प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, से निरीक्षण रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र तथा पाठ्यक्रम के पूरा होने पर कोचिंग कार्यक्रम का परिणाम प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

(xi) सफलता की दर

संस्थान निम्नानुसार कोचिंग कार्यक्रम की सफलता दर सुनिश्चित करेंगे:

नए संघटक के कोचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम दर 30 % होगी। चिकित्सा/अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों में से कम-से-कम 5% सरकारी कॉलेजों अथवा प्रतिष्ठित निजी कॉलेजों/संस्थानों में सरकारी सीटों में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त होंगे।

यदि सफलता दर उपर्युक्त निर्धारित से कम से हो, 12 वीं कक्षा की अंतिम किस्त के रूप में जारी किए जाने-वाले सहायता-अनुदान की राशि अनुपात में कम की जाएगी तथा संबंधित संगठन/क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसी को आगे कोई आबंटन नहीं किया जाएगा।

13. बिना किसी वित्तीय प्रभाव के छोटे-मोटे परिशोधन :

योजना में बिना किसी वित्तीय प्रभाव वाले छोटे-मोटे परिशोधन एसएफसी/ईएफसी का सहारा लिए बिना मंत्रालय द्वारा किये जा सकते हैं।

14. योजना का मध्यावधि मूल्यांकन एवं समीक्षा :

योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा सकता है तथा अनुशंसाओं को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मध्यावधि सुधारों के रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। 14 वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात् 2019-20 की समाप्ति के पश्चात् योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसका फिर मूल्यांकन किया जाएगा।

'पढ़ो परदेश' योजना के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

कः छात्रों के लिए

प्रश्न 1. इस योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर . वे छात्र जो अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसियों से संबंधित हैं और विदेश में उच्चतर शिक्षा जैसे मास्टर्स, एम०फिल० तथा पी-एच०डी० स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

प्रश्न 2. ब्याज इमदाद के लिए समय-अवधि क्या होगी?

उत्तर . ब्याज इमदाद इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शैक्षणिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार ऋण स्थगन की अवधि (अर्थात् पाठ्यक्रम की अवधि और नौकरी प्राप्त करने के एक वर्ष अथवा छह महीने के उपरांत, जो भी पहले हो) के लिए दी जाएगी।

प्रश्न 3. इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है?

उत्तर . छात्र निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैः-

(i) छात्र को स्नातकोत्तर डिप्लोमा, मास्टर्स, एम०फिल० अथवा पी-एच०डी० स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया होना चाहिए और उसकी संपूर्ण पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक आय का अर्थ है अविवाहित छात्रों के मामले में अभिभावकों की कुल आय तथा विवाहित छात्रों के मामले में पति अथवा पत्नी की कुल आय।

(ii) छात्र को किसी प्राइवेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा सदस्य शहरी सहकारी बैंकों इत्यादि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का सदस्य हो, से ऋण लेना होगा।

(iii) छात्र के पास अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण होना चाहिए (ब्यौरे प्रश्न संख्या 10 पर)।

(iv) छात्रों को अपने ऋणदाता बैंकों को सूचित करना होगा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पढ़ो परदेश-विदेश में उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज इमदाद की नई योजना आरंभ की है और वह इस योजना विशेष के अंतर्गत पात्र है। फिर ऋणदाता बैंक इस योजना की क्रियान्वयन कर्ता एजेंसी केनरा बैंक द्वारा आरंभ किए गए 'पढ़ो परदेश' के पोर्टल पर छात्रों की जानकारी फीड करेगा। यह पोर्टल प्रत्येक तिमाही में दो माह की अवधि के लिए खुला रहेगा।

प्रश्न 4. क्या मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक ऋण देता है?

उत्तर . जी नहीं, मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक ऋण नहीं देता है। इस योजना में छात्र द्वारा उस बैंक जो आईबीए के सदस्य है, से लिए गए शैक्षणिक ऋण पर ऋणस्थगन की अवधि (अर्थात्

पाठ्यक्रम अवधि + पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष अथवा नौकरी प्राप्त करने के छह महीने के उपरांत, जो भी पहले हो) के दौरान उत्पन्न ब्याज की प्रति पूर्ति की व्यवस्था है।

प्रश्न 5. इस योजना के अंतर्गत कितनी ब्याज इमदाद दी जाती है?

उत्तर . मंत्रालय छात्र द्वारा बैंक से लिए गए शैक्षणिक ऋण पर ऋणस्थगन की अवधि (अवधि पाठ्यक्रम की अवधि + पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष अथवा नौकरी प्राप्त करने के छह महीने के उपरांत, जो भी पहले हो) तक के लिए 100 प्रतिशत ब्याज घटक की प्रतिपूर्ति करेगा।

प्रश्न 6. योजना के लाभों का दावा करने के लिए कौन कौन-से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं?

उत्तर . मंत्रालय को छात्र से सीधे तौर पर कोई भी दस्तावेज अपेक्षित नहीं है। छात्रों को शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणदाता बैंक की अपेक्षानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। मंत्रालय शैक्षणिक ऋण पर ऋणस्थगन की अवधि तक होने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगा।

प्रश्न 7. छात्र किस बैंक से शैक्षणिक ऋण प्राप्त कर सकता है?

उत्तर . ब्याज इमदाद को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की मौजूदा शैक्षणिक ऋण योजना के साथ लिंक किया गया है। छात्र किसी भी प्राइवेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा सदस्य शहरी सहकारी बैंकों इत्यादि जो आईबीए का सदस्य हो, से शैक्षणिक ऋण प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 8. क्या ऋण के मूल घटक के कुछ भाग को भी इस योजना द्वारा कवर किया गया है?

उत्तर . जी नहीं, योजना में केवल ऋण स्थगन की अवधि (अर्थात् पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष अथवा नौकरी प्राप्त करने के छह महीने के उपरांत, जो भी पहले हो) के लिए छात्र द्वारा लिए गए शैक्षणिक ऋण के केवल ब्याज भाग को ही कवर किया गया है।

प्रश्न 9. क्या छात्र द्वारा विदेश में अपने अध्ययन के समय के दौरान कोई आवधिक रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होता है?

उत्तर . जी नहीं, अल्संख्यक कार्य मंत्रालय को किसी रिपोर्ट/दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को विदेश में अपने अध्ययन की अवधि के दौरान समय-समय पर अपने-अपने ऋणदाता बैंकों को आवधिक प्रगति रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।पाठ्यक्रम के पूरा होने पर छात्रों को ऋणदाता बैंक और साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भी रिकॉर्डों के लिए अंक सूची और प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

प्रश्न 10. कौन-सा प्राधिकरण अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करेगा अथवा कौन अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करेगा?

उत्तर . आप निम्नलिखित से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैः

(i) कोई भी ऐसा धार्मिक निकाय या जो इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है;

(ii) स्कूल / कॉलेज प्रधानाचार्य से; तथा

(iii) स्व घोषणा-पत्र।

'पढ़ो परदेश' योजना के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

ख. बैंकों के लिए

प्रश्न 1. क्या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए ऋणों के संदर्भ में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए संवितरण पात्र होंगे?

उत्तर . जी नहीं, वर्ष 2013-14 से आगे स्वीकृति एवं संवितरित ऋण ही ब्याज के लिए पात्र होगें।

प्रश्न 2. यदि छात्र ने स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सीएसआईएस योजना सहित किसी योजना के अधीन इमदाद प्राप्त की है तो क्या वह इस योजना के लिए पात्र होगा/होगी?

उत्तर . इस योजना के अधीन (ब्याज इमदाद की तरह) छात्र स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम/मास्टर्स, एम०फिल०, पी-एच०डी० के अध्ययन के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त, वे छात्र जिन्होंने भारत में एम०टेक की शिक्षा पूर्ण की है लेकिन अब विदेश में एमबीए कर रहे हैं और जिन्होंने एम०टेक पाठ्यक्रम के लिए सीएसआईएस/राज्य आर्थिक सहायता योजना के अधीन इमदाद प्राप्त की है, वे भी इस योजना के पात्र है।

प्रश्न 3. क्या सभी पात्र आवेदकों के लिए ब्याज इमदाद की गारंटी है?

उत्तर . जी नहीं, ब्याज इमदाद की सभी पात्र आवेदकों के लिए गारंटी नहीं हैं। तथापि, सभी पात्र आवेदकों को संभव ब्याज इमदाद उपलब्ध कराने की मंत्रालय की कोशिश होगी।

प्रश्न 4. आईबीए की मॉडल योजना के अनुसार, विदेश में अध्ययन के लिए अधिकतम ऋण 20 लाख रुपये है। क्या 20 लाख रुपये से अधिक की संवितरित ऋण राशि के लिए ब्याज इमदाद स्वीकार्य है?

उत्तर . फिलहाल, इमदाद आईबीए मॉडल योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा अर्थात् केवल 20 लाख रुपये तक सीमित है।

प्रश्न 5. क्या नवीनतम आय प्रणाम-पत्र ही प्राप्त किया जाए अथवा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान/ऋण प्राप्त करने के समय लिया गया प्रमाण-पत्र लिया जा सकता है?

उत्तर . ऋण प्राप्त करने के समय लिया गया प्रमाण-पत्र ही काफी होगा।

प्रश्न 6. क्या छात्र के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा ऋण संबंधी आवेदन में केवल घोषणा को ही प्रमाण के तौर पर लिया जाएगा।

उत्तर . जी हाँ, इस संबंध में स्व-घोषणा ही काफी है।

प्रश्न 7. ब्याज इमदाद हेतु पात्रता के लिए योजना में 'मेधावी' घटक क्या है?

उत्तर . जिन्होंने विदेश में प्रवेश प्राप्त किया है और जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत मेधावी माना जाएगा।

प्रश्न 8. यदि अल्पसंख्यक छात्र द्वारा लिया गया पाठ्यक्रम आंशिक रूप से भारत में तथा आंशिक रूप से विदेश में है, तो क्या वह ब्याज इमदाद के लिए पात्र होगा?

उत्तर . यदि डिग्री विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे छात्र ब्याज इमदाद के पात्र होंगे।

बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

प्रश्न 1. इस कोचिंग योजना के लिए कौन कौन-से अल्पसंख्यक समुदाय पात्र हैं?

उत्तर. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय इस छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र हैं। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैंः मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी।

प्रश्न 2. निःशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर. इस योजना के तहत चयनित कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/उम्मीदवार निःशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 3. इस योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर. छात्र/छात्रा के माता-पिता या अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उम्मीदवार ने वांछित पाठ्यक्रम/भर्ती परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हक परीक्षा में अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

प्रश्न 4. निःशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण किन-किन पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान किया जाता है?

उत्तर. इस योजना के तहत चयनित कोचिंग संस्थानों द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यथा स्वीकृत निम्नलिखित के लिए निःशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैः

(क) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों; जैसे- अभियांत्रिकी, कानून, चिकित्सा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षा के लिए तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भाषा/अभिरूचि परीक्षाओं के लिए।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे, बैंकों, बीमा कंपनियों तथा स्वायत्त निकायों सहित केंद्र और राज्य सरकारों में ग्रुप 'क', 'ख', और 'ग' की सेवाओं और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ।

(ग) निजी क्षेत्र में नौकरियों; जैसे- एयर लाइंस, शिपिंग, मत्स्य पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीओ और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं, आतिथ्य, टूर एंड ट्रेवल्स, मेरीटाइम, खाद्य प्रसंस्करण, रिटेल, बिक्री और विपणन, बायो टेक्नोलोजी तथा रोजगार क्षेत्र में उभरते सम्मान के अनुसार अन्य रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण।

प्रश्न 5. इस योजना के तहत सामान्यतः अनुमोदित कोचिंग एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कौन-कौन से हैं?

उत्तर . इस योजना के तहत स्वीकृत कोचिंग एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अग्रलिखित हैं:

(i) व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों; जैसे– अभियांत्रिकी, चिकित्सा, बी०एड, कानून, एम०बी०ए०, सी०ए०, डीआईईटी आदि में दाखिले के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य अधीनस्थ सेवाओं, रेलवे आदि द्वारा ग्रुप 'क', 'ख', और 'ग' की सरकारी सेवाओं के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, जिनमें सिविल सर्विसेज और पी०सी०एस० भी शामिल हैं।

(iii) बैंक/एलआईसी/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग।

(iv) निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए विभिन्न क्षेत्रों; जैसे– आईटी/आईटीईएस, बीपीओ/विभिन्न कंप्यूटर पाठ्यक्रमों/सेल्स एवं रिटेल मेनेजमेंट, एकाउंटिंग आदि में प्रशिक्षण।

(v) अन्य विदेश प्रशिक्षण, जिनसे सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना हो।

प्रश्न 6. योजना का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर . योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित द्वारा संचालित कोचिंग प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जाता है:-

(i) कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यों से जुड़े विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त निकायों सहित सरकारी क्षेत्र के सभी संस्थान।

(ii) मानद विश्वविद्यालयों सहित कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यों से जुड़े निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय/कॉलेज।

(iii) निजी क्षेत्र के संस्थान, जो निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए कोचिंग कार्यों/रोजगारोन्मुख कोचिंग/प्रशिक्षण कार्य से जुड़े हों तथा जो एक ट्रस्ट, कंपनी पार्टनरशिप फर्म हों अथवा संगत कानून, अधिमानतः संगत औद्योगिक निकायों अथवा उनके द्वारा चिह्नित संस्थानों के कानून के अधीन पंजीकृत सोसायटी हों।

प्रश्न 7. कोचिंग शुल्क और वृत्तिका की दर क्या है?

उत्तर . कोचिंग शुल्क उस स्थान पर किसी विदेश कोचिंग कार्यक्रम के लिए प्रचलित दर को ध्यान में रखते हुए कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थानों को देय है, किंतु उसकी अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी। स्थानीय और बाहरी अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिका की दर प्रत्येक कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम के सामने दी गई है:-

क्र.सं.	कोचिंग/प्रशिक्षण/नैदानिक कोचिंग की किस्म	प्रति उम्मीदवार कोचिंग/ प्रशिक्षण शुल्क	प्रतिमाह वृत्तिका की राशि
1.	समूह 'क' सेवाएँ	संस्थान द्वारा यथा निर्धारित किंतु 20,000 रुपये से अधिक नहीं।	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए 3000/- रुपये और स्थानीय अभ्यार्थियों के लिए 1500/-रुपये
2.	समूह 'ख' सेवाएँ	संस्थान द्वारा यथा निर्धारित किंतु 20,000 रुपये से अधिक नहीं।	-तदैव-
3.	समूह 'ग' सेवाएँ	संस्थान द्वारा यथा निर्धारित किंतु 15,000 रुपये से अधिक नहीं।	-तदैव-
4.	व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथा निर्धारित किंतु 20,000 रुपये से अधिक नहीं।	-तदैव-
5.	निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण	संस्थान द्वारा यथा निर्धारित किंतु 20,000 रुपये से अधिक नहीं।	-तदैव-

प्रश्न 8. किसी कोचिंग कार्यक्रम की अधिकतम अवधि कितनी होती है?

उत्तर. किसी कोचिंग कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 4 माह की होती है।

प्रश्न 9. किसी कोचिंग कार्यक्रम विशेष के तहत कोई छात्र कितनी बार लाभ प्राप्त कर सकता है?

उत्तर . किसी छात्र विशेष द्वारा इस योजना के तहत कोचिंग/प्रशिक्षण का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है, भले ही वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में कितनी ही बार सम्मिलित होने का पात्र हो। कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान से यह अपेक्षित होगा कि वह छात्र से यह शपथ पत्र प्राप्त करें कि उसने इस योजना के तहत पहले लाभ नहीं लिया है। यदि कोई परीक्षा दो चरणों में अर्थात् प्रारंभिक चरण में और मुख्य चरण में आयोजित होती है, तो अभ्यर्थियों को दोनों चरणों की परीक्षा के लिए कोचिंग प्राप्त करने की अनुमति होगी, किंतु मुख्य परीक्षा के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को कोचिंग प्राप्त करने की अनुमति होगी, जिन्होंने उस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली हो।

प्रश्न 10. किसी छात्र को इसकी जानकारी कैसे होती है कि उसे कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुन लिया गया है अथवा नहीं?

उत्तर . कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किसी कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष के लिए चयनित छात्र का नाम उस कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है। छात्र को भी उस कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क बनाए रखना चाहिए, जहाँ उसने कोचिंग/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है।

प्रश्न 11. छात्रों/ अभ्यर्थियों में वृत्तिका का संवितरण किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर . कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वृत्तिका की राशि को कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के लिए मासिक आधार पर स्थानीय और बाहरी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित दर से छात्रों के खातों में जमा कराया जाता है।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. मैं एमएएनएफ का लाभ किस प्रकार ले सकता हूँ?

उत्तर. किसी भी अभ्यर्थी को एमएएनएफ का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता हैः-

(i) वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित होना/होनी चाहिए।

(ii) उसे यूजीसी के विज्ञापन के अनुसार अध्येतावृत्ति के उपबंधों के अध्यधीन किसी विश्वविद्यालय/संस्थान की प्रवेश की शर्तों को पूरा करते हुए उस विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में एम०फिल०/पी-एच०डी० पाठ्यक्रमों में नियमित एवं पूर्णकालिक प्रवेश लेना होगा और पंजीकरण कराना होगा। ऐसा करने वाले सभी उम्मीदवार 2015-16 से अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(iii) अध्येतावृत्ति के लिए पात्र समझे गए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र अन्य किसी स्रोत, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा यूजीसी जैसी किसी अन्य निकाय के अंतर्गत उसी अध्ययन के लिए लाभों के हकदार नहीं होंगे।

(iv) एम०फिल०/पी-एच०डी० के लिए अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए एनईटी/एसएलईटी परीक्षा को पहले पास करना कोई पूर्वापेक्षा नहीं होगी।

(v) जे०आर०एफ०/एस०आर०एफ० प्रदान किए जाने के लिए अर्हक होने हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्कोर सहित एम०फिल-पूर्व तथा पी-एच०डी० पूर्व चरण पर क्रमशः यूजीसी मानक प्रयोज्य होंगे।

प्रश्न 2. एम०ए०एन०एफ० की प्रदानगी की अवधि क्या है?

उत्तर. एम०ए०एन०एफ० की प्रदानगी की अवधि एम०ए०एन०एफ० योजना के दिशा-निर्देशों के खंड-6 के अध्यधीन है।

प्रश्न 3. एम०ए०एन०एफ० की चयन प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति को क्रियान्वित करने के लिए यूजीसी नोडल एजेंसी है।

(i) यूजीसी प्रेस एवं अन्य मीडिया में समुचित विज्ञापन देते हुए वर्ष में एक बार अध्येतावृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

(ii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा एन०ई०टी०/एस०एल०ई०टी० को उत्तीर्ण करने पर जोर नहीं दिया जाएगा। यूजीसी आवेदकों को अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु पर्याप्त समय देगा।

(iii) उम्मीदवारों का चयन, निर्धारित वार्षिक आय-सीमा के भीतर आपसी मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत है।

(iv) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अध्येतावृत्ति का वितरण 2001 की जनगणना के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में होगा। तथापि, उच्चतर आबंटनों वाले राज्यों के लक्ष्यों को समुचित रूप से कम करते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास कम-से-कम 4 अध्येतावृत्तियाँ होंगी। चार अध्येतावृत्तियों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई समुदाय-वार वितरण नहीं होगा। सभी आवेदनों को एक साथ रखा जाएगा और मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

(v) यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रकार आबंटित अध्येतावृत्तियों का पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है तो ऐसे में यूजीसी उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन स्लॉट्स का पुनः आबंटन करेगा जहाँ पात्र उम्मीदवारों की संख्या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित स्लॉट्स से ज्यादा है। यह निर्णय यूजीसी के प्रतिनिधियों और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में छात्रवृत्ति के प्रभारी संयुक्त सचिव से मिलकर बनी समिति द्वारा लिया जाएगा।

(vi) अल्पसंख्यक छात्रों को मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में यूजीसी का निर्णय अंतिम होगा और प्रचलित कानून के अंतर्गत किए गए प्रावधान को छोड़कर इस संबंध में यूजीसी द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरूद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी।

प्रश्न 4. एम०ए०एन०एफ० के अंतर्गत आय सीमा क्या है?

उत्तर. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के उम्मीदवार के माता-पिता/संरक्षक की आय-सीमा 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी।

प्रश्न 5. अध्येतावृत्ति की राशि जारी किए जाने के लिए मुझे किससे संपर्क करना होगा?

उत्तर. अध्येतावृत्ति की राशि के संवितरण की देख-रेख यूजीसी द्वारा केनरा बैंक के माध्यम से की जाती है जो इस योजना का नोडल बैंक है।

प्रश्न 6. इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से समुदाय कवर होते हैं?

उत्तर. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन तथा पारसियों को

एम०ए०एन०एफ० की योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

प्रश्न 7. एम०ए०एन०एफ० के अंतर्गत किन-किन कक्षाओं को कवर किया गया है?

उत्तर . एम०ए०एन०एफ० के अधीन केवल एम०फिल० तथा पी-एच०डी० कक्षाएँ कवर होती हैं।

प्रश्न 8. एम०ए०एन०एफ० के लिए चयन का आधार क्या है?

उत्तर . अध्येतावृत्ति के लिए चयन पूरी तरह से मैरिट के आधार पर किया जाता है। इस मामले में मैरिट छात्र के अधिवासी राज्य के राज्य कोटे के अनुसार निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र झारखंड का है और एम०फिल० अथवा पी-एच०डी० केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से कर रहा है तो उसकी मैरिट का निर्धारण झारखंड राज्य को अध्येतावृत्ति के वास्तविक आबंटन के अनुसार किया जाएगा। कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के लिए अध्येतावृत्ति के चयन हेतु 31.03.2014 तक रोस्टर था। इसे 2014-15 से छोड़ दिया गया है।

मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सहायता/सरल बनाने हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर . भारत में पढ़ने वाले तथा योजना मार्ग-निर्देशों को पूरा करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम/ईसाई/सिक्ख/बौद्ध/जैन/पारसी के छात्र इन छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

प्रश्न 2. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख क्या है?

उत्तर . नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल पर जून से सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 3. मैं छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ?

उत्तर . मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियाँ ऑनलाइन योजनाएँ हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृपया यूआरएल www.scholarships.gov.in के माध्यम से वेबसाइट देखें। इस साइट के लिए लिंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है।

प्रश्न 4. ऑनलाइन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें?

उत्तर . नई एवं नवीनीकरण दोनों छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया नीचे दिए अनुसार है:

नईः

चरण 1: वेबसाइट www.scholarships.gov.in के होम पेज पर जाएँ और आवेदन फार्म प्राप्त करने हेतु Student Login →Register →'Domicile state' चुनें →'Fresh' चुनें।

चरण 2: सिस्टम, आवेदन को पाँच विभिन्न टैब्स में आवेदन भरने का अनुदेश देगा:

(i) व्यक्तिगत विवरण (ii) शैक्षणिक विवरण (iii) योजना का विवरण (iv) बैंक का विवरण (v) संपर्क विवरण। छात्रों को तदनुसार आवेदन प्रस्तुत करना है। व्यक्तिगत विवरण भरने के उपरांत छात्र को एक "Temporary ID (TEMPID)" दी जाएगी। शेष टैब्स इस TEMPID तथा जन्म की तारीख का उपयोग करते हुए, अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले कई बार में भरे जा सकते हैं।

चरण 3 : प्रस्तुत करने के पश्चात् "Permanent id" तैयार की जाएगी। छात्र को यह PID याद रखनी है जो किसी भी चरण पर प्रस्तुत किए गए आवेदन को खोलने के लिए अपेक्षित होगी।

नवीकरण :

चरण 1 : Student Login→Register के विकल्प पर जाएँ और 'Domicile state' चुनें 'Renewal' चुनें।

चरण 2 : नवीकरण वाले छात्रों को अपनी बैंक संख्या तथा जन्म की तारीख प्रविष्ट करनी है जो विगत वर्ष (अर्थात् 2014-15 में) www.momascholarship.gov.in पर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की गई थी।

चरण 3 : अगली प्रक्रिया नए पंजीकरण के रूप में ही रहेगी।

(नोटः मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के मामले में, सभी आवेदकों को नए मामले के रूप में आवेदन करना होगा।)

चरण 4 (नए एवं नवीकरण हेतु सामूहिक): ऑनलाइन आवेदन फार्म के पूरा भरने के पश्चात् छात्रों को ऑनलाइन अनुदेशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत नए एवं नवीकरण दोनों मामलों के लिए दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के मामले में भी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है, यदि छात्र ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो।

मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन के अंतर्गत नए एवं नवीकरण दोनों छात्रवृत्तियों के लिए अपलोड करने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे दिए अनुसार हैः

1. छात्र का फोटो (अनिवार्य)
2. संस्था सत्यापन प्रपत्र (अनिवार्य)
3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)
4. छात्र का घोषणा पत्र (अनिवार्य)
5. धर्म प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)
6. (i) नए मामलों में: प्रपत्र में भरे गए अनुसार पिछली बोर्ड परीक्षा का स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र। (अनिवार्य)

(ii) नवीनीकरण के मामलों में: प्रपत्र में भरे गए अनुसार पिछली परीक्षा की मार्कशीट का स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र। (अनिवार्य) (मैट्रिक-पूर्व हेतु लागू नहीं)

7. 'वर्तमान पाठ्यक्रम वर्ष' की फीस रसीद। (अनिवार्य)

8. छात्र के नाम पर बैंक खाते का प्रमाण। (अनिवार्य)

9. आधार कार्ड (वैकल्पिक)

10. आवास प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)

प्रश्न 5. बैंक खाते का विवरण भरते समय छात्र को किन-किन अनुदेशों का पालन करना चाहिए?

उत्तर . (i) छात्रों को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने बैंक/शाखा के नाम का ध्यानपूर्वक चयन करना होगा।

(ii) तत्पश्चात् संपूर्ण खाता संख्या सही ढंग से दर्ज की जानी चाहिए। (बैंक खाते के अंकों में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा) छात्रों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने संबंधित बैंक की शाखा से अपनी खाता संख्या का सत्यापन कराएँ। अगर छात्रों द्वारा दर्ज किए गए बैंक ब्यौरे गलत पाए जाते हैं, तो छात्रवृत्ति की राशि अंतरित नहीं की जाएगी, चाहे आवेदन छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदित किए गए हों।

(iii) आई०एफ०एस० कोड को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए।

(iv) बैंक खाता धारक को बैंक से अपनी 'नो योअर कस्टमर' (केवाईसी) की स्थिति की जाँच करनी चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो छात्रवृत्ति राशि के सफलतापूर्वक लेन-देन हेतु केवाईसी किया जाना चाहिए।

(v) बैंक खाता चालू/सक्रिय होना चाहिए।

(vi) बैंक खाता वरीयता रूप से कोर बैंकिंग सुविधा वाले किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए।

(vii) बैंक खाता केवल छात्र के ही नाम पर होना चाहिए।

प्रश्न 6. क्या मैं पहले से सेव की गई सूचना को एडिट कर सकता हूँ और कब तक?

उत्तर . आपके द्वारा भरी गई सूचना को आप ऑनलाइन आवेदन submit सकते हैं। आप आवेदन एडिट करने के लिए "Student login" → विकल्प पर जाएँ आवेदन Id प्रविष्ट करें और फिर submit 'login' बटन पर क्लिक करें।

प्रश्न 7. मैं कौन-कौन से फील्डस को एडिट कर सकता हूँ?

उत्तर . आप "Personal Details" टेब में दिए गए ब्यौरों को छोड़कर सभी ब्यौरे एडिट कर सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि एक बार "Confirm and Submit" बटन क्लिक करने पर आपका आवेदन अगले स्तर पर अग्रेषित हो जाएगा और आप आगे एडिट नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न 8. आवेदन प्रपत्र में कौन-कौन से फील्ड अनिवार्य हैं?

उत्तर . लाल तारक () चिन्ह के साथ गए फील्ड अनिवार्य हैं।

प्रश्न 9. क्या मुझे ऑनलाइन आवेदन एकबारगी में ही भरना है?

उत्तर . नहीं। आप ऑनलाइन आवेदन कई बार में भर सकते हैं जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएँ कि आपने सभी वांछनीय फील्ड सही ढंग से भरे हैं। सॉफ्टवेयर में आपके आवेदन को प्रत्येक चरण में सेव करने की सुविधा है जब तक कि आप "Confirm and Submit" बटन क्लिक नहीं कर देते।

प्रश्न 10. यूआईडी संख्या/आधार संख्या क्या है?

उत्तर . 'आधार' संख्या के रूप में जानी जाने वाली यूआईडी संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू०आई०डी०ए०आई०) द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार संख्या को उस बैंक खाते के साथ जोड़ना चाहिए जिसमें छात्रवृत्ति की राशि को अंतरित करना चाहते हैं। इसके लिए संबंधित बैंक में आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

प्रश्न 11. क्या मुझे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड चाहिए?

उत्तर . ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने वाले छात्रों हेतु आधार संख्या वैकल्पिक है। छात्र आधार संख्या दिए बिना भी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। तथापि, इस पर बल दिया जाता है कि छात्र जल्द-से-जल्द आधार के लिए नामांकन करवा लें।

प्रश्न 12. टैम्परेरी (अस्थायी) आईडी क्या है?

उत्तर . टैम्परेरी आईडी (टीआईडी) आवेदकों को ऑनलाइन डेटाबेस में उनके पंजीकरण के प्रमाण स्वरूप दी जाने वाली केवल संदर्भ संख्या है।

प्रश्न 13. क्या कोई परमानेंट (स्थायी) आईडी है?

उत्तर . हाँ, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को एक स्थायी आईडी प्रदान की जाएगी। इसकी सूचना अभ्यर्थियों को एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। छात्रों को अपनी पीआईडी याद रखनी होगी क्योंकि यह नवीकरण हेतु आवेदन करते समय अपेक्षित होगी। पीआईडी की रसीद छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने आप में कोई गारंटी नहीं है।

प्रश्न 14. अगर मैं टैम्परेरी आईडी/परमानेंट आईडी भूल जाऊँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर . टैम्परेरी/परमानेंट आईडी पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया नीचे दिए अनुसार हैः

"Student login→Forgot Registration Details?" और फिर तदनुसार बेसिक फील्ड्स भरें और "Get Registration details" बटन पर क्लिक करें।

प्रश्न 15. अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में संस्थान का नाम नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर . आपको तुरंत संस्थान को उस राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क करने को कहना चाहिए जहाँ यह संस्थान स्थित है। आप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित करते हुए ई-मेल के माध्यम से राज्य के नोडल अधिकारी से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका संस्थान एक पात्र संस्थान है तो, संबंधित राज्य सरकार डेटाबेस में इसकी प्रविष्टि करेगी और फिर आप आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 16. मैं अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जाँच कैसे करूँ?

उत्तर . आपको अपनी Permanent id तथा Date of Birth दर्ज करते हुए 'Student Login' के विकल्प पर Login करना होगा। Login के पश्चात् आपको 'Check Your Status' विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प में जाकर आप अपनी ऑनलाइन स्थिति की जाँच कर सकते है।

प्रश्न 17. मुझे अपने राज्य के नोडल अधिकारी/राज्य विभाग के नाम और पता कैसे मालूम होगा?

उत्तर . सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारी/राज्य विभाग के नाम और संपर्क ब्यौरे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) के होमपेज पर Ministry of Minority Affairs के लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

सीखो और कमाओ

अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास हेतु क्षेत्र की योजना

1. **भूमिका**

1.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन-61वाँ दौर (2004-05) की मार्च, 2007 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार-कृषि एवं इसके साथ ही गैर-कृषि क्षेत्र में - धार्मिक समूहों के लिए मुख्य स्वरूप था। वर्ष 2004-2005 में 26 मुस्लिम तथा 35 ईसाई "कृषि में स्व-रोजगार" पर आश्रित थे जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में "स्व-रोजगार" में 28 मुस्लिम तथा 15 ईसाई शामिल थे।

1.2 भारत के शहरी क्षेत्रों में, वर्ष 2004-05 के दौरान "स्व-रोजगार", "नियमित मजदूरी / वेतन" तथा "नैमित्तिक मजदूरी" पर आश्रित मुस्लिम घरों का अनुपात क्रमशः 49%, 30% तथा 14% था, जबकि ईसाईयों के लिए यह क्रमशः 27%, 47% तथा 11% था।

1.3 ग्रामीण क्षेत्रों में, 2004-02 में सभी आयु वर्गों के पुरुषों में श्रमजीवी जनसंख्या अनुपात (डब्लूपीआर) ईसाईयों में उच्चतम (56%) था, इसके उपरांत हिंदू (55%) और फिर मुस्लिमों का अनुपात निम्नतम (50%) था। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए ईसाई का डब्ल्यूपीआर (36%) तथा हिंदुओं (34%) था, जो मुस्लिमों (18%) की अपेक्षा उच्चतर था।

1.4 ग्रामीण भारत में, बेरोजगारी की दर ईसाईयों में (44%) उच्चतर थी, इसके उपरांत मुस्लिमों में (23%) तथा हिंदुओं में (15%) थी। इसी प्रकार, भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर ईसाईयों में (86%) उच्चतम थी, इसके उपरांत हिंदुओं में (44%) तथा मुस्लिमों में (41%) थी।

1.5 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएण्डटी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अधिकांश श्रम बल में विपणन योग्य कौशल नहीं हैं, जो समुचित रोजगार प्राप्त करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बाधा है।

1.6 हालाँकि भारत में युवाओं की जनसंख्या काफी अधिक है, लेकिन 10% भारतीय श्रमिक बलों - 8% अनौपचारिक तौर पर तथा 2% औपचारिक तौर पर - ने ही व्यावसायिक कौशल प्राप्त किया है। लगभग 63% स्कूली छात्र कक्षा दस तक आते-आते विभिन्न चरणों पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। देश में लगभग 3.1 मिलियन व्यावसायिक प्रशिक्षण सीटें ही उपलब्ध हैं, जबकि लगभग 12.8 मिलियन व्यक्ति हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि इन प्रशिक्षण स्थलों के लिए, बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने वाले कुछ ही बच्चे उपलब्ध हो पाते हैं। इससे पता चलता है कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की एक बड़ी

संख्या एक ओर अपनी रोजगारपरकता में सुधार लाने के लिए कौशल तक पहुँच नहीं रखती है, वहीं दूसरी ओर 12.8 मिलयन नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं। वर्ष 2011 के आकलनों के अनुसार भारत में 21 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 244 मिलियन का कौशल अंतर है।

1.7 सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसार, देश उच्च विकास की अवस्था से गुजर रहा है। यह समय अल्प-सुविधा प्राप्त लोगों का कौशल विकास एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। मुस्लिम समुदाय एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। मुस्लिम समुदाय का विशाल तबका स्व-रोजगार के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। इसके अलावा, एक उल्लेखनीय अनुपात, विशेषकर महिलाएँ, वास्तव में गृह-आधारित कार्य में लगी हुई हैं। जबकि इनमें से कुछ कार्मिक उन क्षेत्रों में लगे हुए हैं जिनमें विकास हुआ है। वहीं बहुत-से लोग उन व्यवसायों/क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जिनका विकास स्थिर है। विकासोन्मुख क्षेत्रों मे कामगारों की मदद करने के लिए एक नीति की जरूरत है, ताकि वे उस क्षेत्र में कार्य कर रही बाजारोन्मुख फर्मों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। गतिहीन क्षेत्रों में फँसे हुए लोगों के लिए परिवर्तन मार्ग तैयार करना होगा। इन दोनों कार्यनीतियों में कौशल उन्नयन, शिक्षा एवं ऋण उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

1.8 राष्ट्रीय कौशल नीति में यह परिकल्पना है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान प्रेरक बल है। उच्च और बेहतर स्तर का कौशल रखने वाले देश चुनौतियों और अवसरों का अधिक प्रभागी ढंग से समायोजन करते हैं।

1.9 भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संक्रमण में है और इसके प्रतियोगी रुख का निर्धारण देश के लोगों में ज्ञान के सृजन, इसको बांटने और इसका और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यताओं द्वारा किया जाएगा। इस परिवर्तन के लिए भारत को अपने कार्मिकों को ज्ञानी कार्मिक बनाने की जरूरत होगी जो अधिक नम्य, विश्लेषक, अनुकूलन योग्य एवं बहु कौशल प्राप्त हों।

1.10 भारत को 'जनसांख्यकीय लाभ' प्राप्त है। समुचित कौशल विकास के माध्यम से जनसांख्यकीय लाभ का उपयोग करके देश को समावेशन एवं उत्पादकता प्राप्त करने का अवसर तो मिलेगा ही और इसके साथ-साथ वैश्विक कौशल कमियों को भी पूरा किया जा सकेगा। इस प्रकार, बड़े पैमाने के कौशल विकास की तुरंत आवश्यकता है।

उपर्युक्त बिंदुओं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 'अल्पसंख्यको के सशक्तिकरण' के संबंध में कार्यसमूहों की सिफारिशों के मद्देनजर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कार्य मंत्रालय का वित्त वर्ष 2013-14 से "अल्पसंख्यकों के कौशल विकास" हेतु एक नई 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना "सीखो और कमाओ" को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के दिशा निर्देशन निम्नानुसार हैं :

2. उद्देश्य

2.1 12वीं योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करना।

2.2 अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण करना एवं उनका उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना।

2.3 मौजूदा कार्मिकों की रोजगारपरकता को बेहतर बनाना तथा उनका स्थापन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना आदि।

2.4 हाशिए पर रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए आजीविका के बेहतर साधन पैदा करना तथा उन्हें मुख्य धारा में लाना।

2.5 देश के लिए सशक्त मानव संसाधन तैयार करना।

3. योजना का कार्यक्षेत्र

3.1 इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/परंपरागत व्यवसायों के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उनकी शैक्षणिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन करना होगा जिससे उन्हें एक उपयुक्त रोजगार मिल सके अथवा वे स्व-रोजगार के लिए समुचित रूप से कुशल हो सकें।

3.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित मॉडयूलर रोजगार योग्य कौशलों (एमईएस) हेतु कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित एमईएस पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे बहुत-से पारंपरिक कौशल; जैसे कि कढ़ाई, चिकनकारी, जरदोजी, पैचवर्क, रत्न एवं आभूषण, बुनाई, काष्ठ कार्य, चमड़े की वस्तुएँ कांस्य धातु कार्य, कांच के बर्तन, कालीन इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, एनवीटी द्वारा अनुमोदित अन्य पाठयक्रम भी किसी विशिष्ट राज्य अथवा क्षेत्र में मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं। इससे एक तरफ अल्पसंख्यकों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का संरक्षण करने तथा दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों को बाजार की चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

4. पात्रता

4.1 **योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से किया जाएगा :**

(क) सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत राज्य सरकारों / संघ राज्यों के प्रशासनों की सोसायटियाँ। ये सोसायटियाँ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के आकार के आधार पर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्तर अथवा जिला स्तर पर गठित की जा सकती है। ये सोसायटियाँ अपने-अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एवं प्रशिक्षण संस्थान,

प्रायोजक अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में रोजगारों की क्षमता की पहचान के लिए उनके प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदार होगी।

(ख) कोई भी प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त / पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो कम से कम विगत 3 वर्षों में कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का आयोजन करता हो और जो स्थापित बाजार से संबद्ध हो तथा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो।

(ग) कोई भी उद्योग अथवा उद्योगों की ऐसासिएशन जैसे कि एसोचैम, सीआईआई, फिक्की इत्यादि जो प्लेसमेंट की समुचित प्लान के साथ योजना के वित्तीय मानकों के अनुसार ऐसे कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने के इच्छुक हों।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों सहित केंद्र / राज्य सरकारों का कोई भी संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केंद्र / राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान।

(ङ) निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सिविल सोसाइटियाँ (सीएस) / गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) :

(i) समुदायों, विशेषकर, अल्पसंख्यकों के सामाजिक कल्याण के संचालन तथा संवर्धन में लगी कोई भी पंजीकृत सिविल सोसाइटी / एनजीओ।

(ii) संगठन कम-से-कम विगत 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

(iii) कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के क्षेत्रों में कम-से-कम 3 वर्षों का अनुभव हो।

(iv) संगठन की वित्तीय अर्थक्षमता तथा मंत्रालय की ओर से सहायता न मिलने की स्थिति में सीमित अवधियों के लिए कार्य को जारी रखने की योगयता।

(v) अच्छी साख एवं विश्वसनीयता।

(vi) अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर, अल्पसंख्यक महिलाओं को जुटाने की क्षमता।

(vii) आवंटित संसाधनों तथा सृजित परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए अन्य संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग।

(च) केंद्रीय / राज्य के किसी मंत्रालय / विभाग द्वारा काली सूची में डाले गए अथवा बहिष्कृत किए गए संगठन पात्र नहीं होंगे।

4.2 पात्र प्रशिक्षाणार्थी / लाभार्थी

(क) प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

(ख) प्रशिक्षणार्थी की आयु 14-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ग) प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शिक्षा कम-से-कम 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए।

(घ) इस योजना के अधीन विहित अनुसार आरक्षित श्रेणियों के रिक्त रहने की स्थिति में ये रिक्त सीटें अनारक्षित समझी जाएँगी।

5. योजना के संघटक

5.1 यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित 5 (पाँच) अल्पसंख्यक समुदायों (यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी) के लाभ के लिए क्रियान्वित की जाएगी। तथापि, उन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों जहाँ संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अधिसूचित कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वहाँ उन पर भी कार्यक्रम हेतु विचार किया जा सकता है, किंतु वे कुल सीटों के 5 से ज्यादा हकदार नहीं होंगे।

5.2 इस योजना की शुरुआत देश में कहीं पर भी की जा सकती है, किंतु प्राथमिकता उन संगठनों को दी जाएगी जिसका उद्देश्य सुनिश्चित बाजार संबंधों से अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशल का विकास करना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों / ब्लॉकों / नगरों / गाँवों के समूहों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रम का प्रस्ताव करना है। योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा व्यवहार में लाई जा रही कलाओं और शिल्पों सहित पारंपरिक कौशलों का संवर्धन करने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी तथा राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार के साथ उनका संबंध स्थापित किया जाएगा। साथ ही, क्षेत्र में रोजगार क्षमता वाले विभिन्न आधुनिक ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.3 क्रियान्वयनकर्ता संगठन द्वारा व्यापारों का प्रस्ताव करने से पूर्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में लक्षित जनसंख्या, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर पहले से ही रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा।

5.4 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए) जागरूकता का प्रसार करने, विकल्प सृजित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौशल प्रक्रिया में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी हो रही हैं। उद्योग के संयोजन से ''जॉब फेयर्स'' तथा ''जॉब काउंसलिंग'' के लिए तंत्रों को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है।

5.5 क्रियान्वयनकर्ता संगठनों के लिए एनसीवीटी द्वारा मान्यता संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना अपेक्षित होगा जो उम्मीदवारों को उन व्यापारों के लिए प्रमाण पत्र / डिप्लोमा प्रदान करेगा जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण का मॉड्यूल एनसीवीटी / रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय / राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

5.6 क्रियान्वयनकर्ता संगठन प्लेसमेंट सेवाओं के साथ भी संबंध स्थापित करेगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत स्व-रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए संगठन वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), बैंकों इत्यादि के माध्यम से सुगम लघु वित्त / ऋण की व्यवस्था करेगा।

5.7 न्यूनतम 33 सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी।

5.8 उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जो समग्र रूप से 75 प्लेसमेंट की गारंटी देंगे और उसमें से कम-से-कम 50 प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

5.9 योजना के दो संघटक होंगे :

(क) आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) पारंपरिक व्यापारों / शिल्पों / कला स्वरूपों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(क) आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम :

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम 3 माह की अवधि का होना है।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम में सॉट कौशल प्रशिक्षण, बेसिक आईटी प्रशिक्षण तथा बेसिक अंग्रेजी प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु यह है कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत् किस्म का रोजगार मिले।

(iv) प्रत्येक प्रतिभागी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम के विकल्पों में से अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(v) कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु उद्योग तत्परता पर होना चाहिए और इसे एमईएस दिशा-निर्देश का अनुपालक होना चाहिए।

(vi) आधुनिक कौशलों हेतु कौशल प्रशिक्षण के उपरांत 75 प्लेसमेंट होना चाहिए और उसमें से कम-से-कम 50 प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(ख) परंपरागत ट्रेडों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम :

(i) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नलिखित क्रियाकलापों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपेक्षित रोजगारपरकता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

i. पारंपरिक ट्रेडों में लगे हुए युवाओं की पहचान और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) / प्रायोजक कंपनियों में समूहिकरण। स्व-सहायता समूहों में औसतन 20 सदस्य होंगे।

ii. युवाओं को उनके कौशल स्तरों (विषय प्रशिक्षण, उद्यमिता प्रशिक्षण, सॉट कौशल, आईटी प्रशिक्षण, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण) को बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था जो स्व-सहायता समूह को बाजार उन्मुख उत्पादन मॉडल विकसित करने में सक्षम बना सके।

iii. अग्रवर्ती (ग्राहक पहुँच) तथा पूर्ववर्ती लिंकेज (विक्रेता पहुँच) मुहैया कराना। इनको समझौता ज्ञापन की व्यवस्था के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत किए जाने हेतु व्यापार योजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता देना। इन प्रयासों के माध्यम से स्व-सहायता समूह के लिए निधियाँ जुटाना।

v. एसएचजी / उत्पादक कंपनी के लिए प्रबंधन दल की सेवाएँ किराए पर लेने में सहायता देना।

(ii) यह कार्यक्रम न्यूनतम 02 माह तथा चुनिंदा ट्रेड के लिए अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिए है।

(iii) इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु यह है कि इन क्रियाकलापों के उपरांत युवाओं के लिए आय को बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए उनके माध्यम से स्थापना और प्रचालन हेतु निधियों की उपलब्धता सहित कौशल युवाओं के स्व-सहायता समूह का सृजन किया जाना चाहिए।

(iv) कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु उद्योग तत्परता पर होना चाहिए और इसे मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशल (एमईएस) दिशा-निर्देशों का अनुपालक होना चाहिए।

5.10 प्रशिक्षुओं को आधार / यूआईडी, यदि उपलब्ध हो अथवा अन्य किसी सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान संख्या को जोड़ा जाएगा।

5.11 संगठन/संस्थान में नामांकित बाह्य स्थान में प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएँ (पुरुष एवं महिला प्रशिक्षुओं के लिए अलग-अलग) सुनिश्चित करेगा। प्रशिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के लिए आशयित होंगे। तथापि, अंतर-समुदाय समैक्य को बढ़ावा देने के लिए गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के बीपीएल परिवारों से संबंधित 15% उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित निःशक्त व्यक्तियों के लिए भी 2.5% आरक्षित किया जाएगा।

5.12 संगठन के पास गुणवत्तापरक प्रशिक्षण संचालित करने के लिए पर्याप्त कक्षाएँ, प्रदर्शन सुविधाएँ, प्रसाधन (महिलाओं हेतु अलग प्रसाधन सहित) तथा अवसंरचना इत्यादि होनी चाहिए।

6. वित्तपोषण का स्वरूप

(क) यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा पैनल में शामिल किए गए पात्र संगठनों के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

(ख) निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं की संपूर्ण लागत का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(ग) परियोजना लागत की 5% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक यथा समय पूरा करते हों तथा प्लेसमेंट सहित सारी शर्तों को भी पूरा करते हों।

(घ) प्लेसमेंट से जुड़े संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु प्रति लाभार्थी लागत मानक निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं तथा लागत ब्यौरे में नीचे दिए गए सभी संघटकों को अलग से शामिल किया जाना चाहिए :

लागत शीर्ष	अधिकतम अनुमत्य व्यय (आईएनआर)
कंप्यूटरों, मेजों, कुर्सियों, वर्क स्टेशनों (इत्यादि सहित किराए संबंधी / पट्टा व्यय।	प्रति उम्मीदवार अधिकतम 20000 रुपये
किराए संबंधी, बिजली, पानी, जेनरेटर तथा अन्य संचालन व्ययों सहित प्रशिक्षण केंद्रों का ओएण्डएम	
प्रशिक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन, चाय एवं यात्रा संबंधी खर्च	
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा इंडक्शन	
प्रशिक्षकों एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों का वेतन,लर्निंग किट, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण सहित प्रशिक्षण खर्च	
एमआईएस वेबसाईट, ट्रैकिंग तथा अन्य मॉनिटेरिंग सहित संस्थागत अधिशीर्ष (उपर्युक्त सभी का अधिकतम 10%)	
2000 रुपये प्रति माह की दर से प्लेसमेंट उपरांत सहायता (प्लेस किए गए सभी उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के उपरांत 2000 रुपये प्रति माह के लिए दिया जाएगा)	4000
उप-योग	24000
प्लेसमेंट के उपरांत सहायता को छोड़कर सभी लागतों की 5% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक यथासमय और सभी शर्तों को पूरा करते हों।	1000
कुल लागत	25000

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित लागतें भी स्वीकार्य होंगी :

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को 3 महीने के लिए भोजन / आवास (जिसके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 3 (तीन) महीने के लिए 1500 रुपये प्रति माह की दर पर। लाभार्थी प्रतिमाह 750 रुपये की दर से मासिक वजीफे का भी हकदार होगा।

(ii) स्थानीय गैर-आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा 1500 रुपये प्रति माह होगा।

(iii) पारंपरिक ट्रेडों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु लागत मानक निम्नानुसार है :

संगठन को गैर-आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 1000/- रुपये तथा आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 13000/- रुपये प्रतिमाह की दर से लागत दी जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा : (संगठन / संस्थान कार्यक्रम की अवधि के आधार पर आंकलन प्रस्तुत करेंगे) (साथ ही इसमें एसएचजी निर्माण, प्रशिक्षण निधियाँ जुटाना, अग्रवर्ती एवं पूर्ववर्ती लिंकेज स्थापित करना तथा प्रबंधकीय टीम की सेवाएँ किराए पर लेना शामिल हैं)

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को 3 महीने के लिए भोजन / आवास (जिसके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 3 (तीन) महीने के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की दर पर। लाभार्थी प्रतिमाह 750 रुपये की दर पर मासिक वजीफे का भी हकदार होगा।

(ii) स्थानीय गैर-आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा 1500 रुपये प्रतिमाह होगा।

(iii) कच्चा माल इत्यादि के खरीद हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 2000/- रुपये एकबारगी लागत के रूप में।

(iv) संकाय / सहायक स्टॉफ इत्यादि को मासिक पारिश्रमिक।

(v) अन्य प्रशिक्षण लागत।

(vi) परीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क।

7. निधियों की निर्मुक्ति

(i) परियोजना के अनुमोदन पर निधियाँ 3 किस्तों में निर्मुक्त की जाएँगी अर्थात् 40%, 40%, 20% प्रोत्साहन राशि (यदि लागू हो) निर्मुक्ति की निधियाँ पीआईए को उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा सीधे संवितरित की जाएँगी।

(ii) निधियों की निर्मुक्ति के किस्त का स्वरूप अग्रानुसार होगा :

1. प्रथम किस्त :

प्रथम किस्त (अर्थात् परियोजना लागत का 40%) परियोजना के अनुमोदन के उपरांत तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के उपरांत निर्मुक्त की जाएगी।

2. दूसरी किस्त :

परियोजना लागत के 40% की दूसरी किस्त निम्नलिखित अनुपालन के अधीन जारी की जाएगी।

क. लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ पहली किस्त के 60% का उपयोग और तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा पीआईए लेखों का साप्ताहिक ऑफ-साईट (अर्थात् ऑनलाइन) और मासिक ऑन-साईट निरीक्षण। इस जांच से यह सुनिश्चित किया जाना है कि साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है।

ख. परियोजना के पूर्ववर्ती वर्षों की वर्ष-वार लेखा परीक्षित रिपोर्ट देय हो जाने पर तुरंत प्रस्तुत करना।

3. तीसरी किस्त (अंतिम किस्त) :

परियोजना लागत के 20% प्रोत्साहन राशि (यदि लागू हो) की तीसरी किस्त की जाएगी :

क. मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट।

ख. लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है।

ग. परियोजनाओं में यदि अपेक्षित प्रदानगियाँ पूरी कर ली जाती हैं और वास्तविक तथा वित्तीय दोनों रूपों में एमआईएस आंकड़ों के आकस्मिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा सत्यापित कर दी जाती है।

घ. किए गए प्लेसमेंट का निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरा।

ङ स्व-नियोजित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरे।

8. आवेदन की प्रक्रिया

8.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठनों/संस्थानों से उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगा।

8.2 पैनल में शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति की जांच मंत्रालय की जांच समिति द्वारा की जाएगी। पैनल में शामिल किया जाना संपूर्ण बारहवीं योजना अवधि के लिए वैध होगा। तथापि, मंत्रालय के पास बिना कोई सूचना दिए किसी स्तर पर पैनल में शामिल किए जाने को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.3 मंत्रालय अपेक्षानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संगठनों को पैनल में शामिल कर सकता है।

8.4 मंत्रालय तकनीकी सहायता एजेंसी के माध्यम से संगठनों के प्रमाण-पत्रों को सत्यापित कर सकता है।

8.5 पैनल में शामिल संगठनों के प्रस्तावों पर निम्नलिखित मंजूरी-दाता समिति द्वारा विचार किया जाएगा–

1.	मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2.	योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	मंत्रालय में निदेशक (एमएसडीपी)	सदस्य
6.	निदेशक (योजना से संबंधित)	सदस्य-सचिव

8.6 मंजूरी दाता समितिक्रम में स्व-सहायता समूहों/प्रोड्यूसर कंपनियों का बनाया जाना शामिल होगा।

9. परियोजना की अवधि और उसके संघटक

(i) 'सीखो और कमाओ' कार्यक्रम के अंतर्गत, परियोजना की कुल अवधि 12 वीं पंचवर्षीय योजना के सह-कालिक होगी।

(ii) आधुनिक कौशलों के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि तकनीकी कौशलों, सॉफ्ट कौशलों और जीवन कौशलों सहित कौशल सेट पर आधारित न्यूनतम 3 माह होगी।

(iii) परंपरागत कौशलों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि ट्रेड के आधार पर अधिकतम 1 वर्ष की होगी। इस कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों/ प्रोड्यूसर कंपनियों का बनाया जाना शामिल होगा।

10. प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के पश्चात् सहायता

चूँकि इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु सार्थक रोजगार प्रदान करना है, अतः निम्नलिखित कुछ सामान्य प्लेसमेंट शर्तें हैं, जिन्हें पीआईए द्वारा पूरा किया जाना है :

(i) सभी अभ्यर्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता और परामर्श सहायता की पेशकश की जानी चाहिए और न्यूनतम 75 अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट तथा कम-से-कम 50% का संगठित क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ii) जहाँ तक संभव हो, प्लेसमेंट न्यूनतम स्थान परिवर्तन किए बिना किया जाना चाहिए।

(iii) प्लेसमेंट के पश्चात् सभ्यता (पीपीएस) का उद्देश्य अभ्यर्थियों को रोजगार के प्रारंभिक महीनों में उन्हें स्थापित करने और उनकी देख-रेख करने में सहायता करना है।

(iv) पीपीएस का वितरण पीआईए के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों में से एक है।

(v) वरीयता रूप में, प्लेसमेंट पीएफ, ईएसआई आदि जैसे संबंद्ध लाभों के साथ संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(vi) चूँकि निर्माण जैसे कुछ क्षेत्र बहुत संगठित नहीं हैं, किंतु इनमें भुगतान ज्यादातर संगठित क्षेत्र से अधिक होता है, अतः अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विचार किया जाएगा :

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कौशलों का किसी विशेष नौकरी से सुमेल हो।

(ख) भविष्य में वैध प्रगति की पेशकश हो।

(vii) अनौपचारिक क्षेत्र में प्लेसमेंट में तभी विचार किया जाना चाहिए, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(क) राज्य की न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन देने वाला प्रस्ताव-पत्र।

(ख) नियोक्ता का प्रमाण-पत्र की मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अनुसार किया गया है।

(ग) नौकरियाँ पूर्णतः अस्थायी नहीं होनी चाहिए और उनमें स्थिरता हो।

(viii) अभ्यर्थी को प्लेस किया हुआ माना जाएगा, यदि वह प्रशिक्षण के पश्चात् कम-से-कम लगातार तीन महीनों के लिए नौकरी में बना रहता है / बनी रहती है। निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक को प्लेसमेंट के सबूत के रूप में माना जाएगा।

1. नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्चियाँ।

2. वेतन के खाते में जमा करने के साथ अभ्यर्थी के बैंक खाते की खाता विवरणी।

3. अभ्यर्थी के नाम और वेतन ब्यौरे वाला पत्र।

(ix) पीआईए को प्लेसमेंट के पश्चात् के कार्य को सुनिश्चित करना और इस बात की निगरानी करना है कि नई नौकरियाँ एक वर्ष की अवधि तक बनी रहें।

11. सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस)

(क) कार्यक्रम की गुणवत्ता के प्रबंधन को सतत आकलन किए जाने और उसे बनाए रखने के लिए जानकारी अपेक्षित है। इसे नियमित ट्रेकिंग और अनुवर्तन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा निर्धारित आरूपों और मानकों के अनुसार एमआईएस का अनुरक्षण पीआईए द्वारा किया जाना है।

(ख) परियोजना के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस), निर्णय समर्थन प्रणालियाँ (डीएसएस) जैसी विभिन्न परियोजना सेवाओं के आयोजन और प्रदानगी के लिए आईसीटी मंच का उपयोग करना। कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रतिभागी विशिष्ट सूचना रखनी होगी और सभी लागू सूचना प्रदायक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। सूचना की प्रविष्टि की नियमितता और गुणवत्ता मंत्रालय अथवा नियुक्त टीएसए द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग) पीआईए प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष के लिए ट्रकिंग आँकड़ा का अनुरक्षण करेगा और प्रशिक्षिणार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए वास्तविक-समय वेब आधारित प्रणाली पर उसका अनुरक्षण करेगा।

12. ज्ञान सहभागी / तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए), पर्यवेक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन

12.1 मंत्रालय न केवल मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध संघटकों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों और जांचों की व्यवस्था करेगा कि वास्तविक रूप में जो कुछ हो रहा है वह कारगर है और उसका सतत् पर्यवेक्षण किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय योजना के प्रारंभ से ही सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत निर्धारित समुचित प्रक्रिया के अनुसरण में 'ज्ञान सहभागी/तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में कौशल विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त एजेंसी को लगाएगा।

12.2 टीएसए क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीतियों की युक्ति निकालने, परियोजना आरूप, प्रशिक्षण तैयार करने, निष्पादक संकेतों का विकास करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सहायता करेगा।

12.3 टीएसए निम्नलिखित प्रक्रियाओं के पर्यवेक्षण के लिए समुचित नवाचार विकसित करेगा :

(क) यह सुनिश्चित करना कि पीआईए समुचित तैयारी के साथ-साथ अभ्यर्थी के चयन और परामर्शन हेतु रणनीतियों को अपनाएँ।

(ख) निर्धारित प्रमाणन और प्रत्यायन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) परियोजना को शुरू करने की अनुमति के पूर्व पीआईए के कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर न्यूनतम प्रशिक्षण अवसंरचना तथा अपेक्षित मानव संसाधन का मौजूद होना।

(घ) पूर्व-निर्धारित समय अंतरालों पर अपेक्षित एमआईएस प्रविष्टियों का अद्यतन किया जाना।

(ङ) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित पारदर्शिता अपेक्षाओं का पीआईए द्वारा अनुपालन।

(च) समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों का रख-रखाव।

(छ) प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रशिक्षणार्थियों की पूरे समय भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ज) निधियाँ जारी करना।

(झ) पीआईए, प्रशिक्षकों, अभ्यर्थियाँ और नियोक्ताओं के लिए शिकायत निपटान व्यवस्थाएँ।

(ण) परियोजनाओं की नियमित समीक्षा।

12.4 टीएसए अथवा इसका कोई अनुशंगी संगठन / फ्रैंचाइजी परियोजना कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के पैनल में शामिल होने का पात्र नहीं होगा।

12.5 मंत्रालय पर्यवेक्षण के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करेगा और सभी पीआईए को इस तंत्र के मानकों का अनुपालन करना होगा।

12.6 टीएसए को नियोजित करने और योजना के प्रबंधन के लिए वार्षिक बजट के लगभग 3% के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

13. परियोजना की निगरानी

(i) प्रगति को सतत् रूप सम मापना निगरानी है, जब परियोजना चल रही हो, जिसमें प्रगति की जांच करना और मापना, स्थिति का विश्लेषण करना और नई घटनाओं, अवसरों तथा मुद्दों पर प्रतिक्रिया करना शामिल है। मंत्रालय टीएसए अथवा किसी अन्य एजेंसी को समवर्ती निगरानी और एमआईएस के वास्तविक तथा वित्तीय रिपोर्टों को समवर्ती निगरानी और एमआईएस के वास्तविक तथा वित्तीय रिपोर्टों की औचक जाँच करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मंत्रालय के अधिकारी भी परियोजनाओं की निगरानी कर सकते हैं। इससे एकत्र की गई सूचना को निधियों को जारी करने तथा परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में रखा जाएगा।

(ii) निगरानी में प्रशिक्षण केंद्रों पर औचक दौरे किए जा सकते हैं और इसे मान्यता देने के लिए :

(क) समुचित आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम अवसंरचना के उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) लाभार्थियों की सत्यता को प्रामाणित करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण / पर्यवेक्षण करने की एमआईएस प्रविष्टियाँ।

(ग) उन अभ्यर्थियों के निवास क्षेत्र के पास प्रशिक्षण, प्लेसमेंट बनाए रखने के तथ्यों का लाभार्थी के परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रमाणन करना, जो परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए और जिनकी तैनाती पंचायत के बाहर की गई।

14. लेखापरीक्षा

(i) मंत्रालय के पास परियोजना के लेखों की लेखा परीक्षा कराने का अधिकार सुरक्षित है, यदि इसे आवश्यक समझा जाता है, इसमें सीएजी द्वारा और मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखा-परीक्षा शामिल है। पीआईए इस प्रयोजन के लिए सभी संगत अभिलेखों को मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा।

(ग) पीआईए प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष के लिए ट्रकिंग आँकड़ा का अनुरक्षण करेगा और प्रशिक्षिणार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए वास्तविक-समय वेब आधारित प्रणाली पर उसका अनुरक्षण करेगा।

12. ज्ञान सहभागी / तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए), पर्यवेक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन

12.1 मंत्रालय न केवल मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध संघटकों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों और जांचों की व्यवस्था करेगा कि वास्तविक रूप में जो कुछ हो रहा है वह कारगर है और उसका सतत् पर्यवेक्षण किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय योजना के प्रारंभ से ही सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत निर्धारित समुचित प्रक्रिया के अनुसरण में 'ज्ञान सहभागी/तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में कौशल विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त एजेंसी को लगाएगा।

12.2 टीएसए क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीतियों की युक्ति निकालने, परियोजना आरूप, प्रशिक्षण तैयार करने, निष्पादक संकेतों का विकास करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सहायता करेगा।

12.3 टीएसए निम्नलिखित प्रक्रियाओं के पर्यवेक्षण के लिए समुचित नवाचार विकसित करेगा :

(क) यह सुनिश्चित करना कि पीआईए समुचित तैयारी के साथ-साथ अभ्यर्थी के चयन और परामर्शन हेतु रणनीतियों को अपनाएँ।

(ख) निर्धारित प्रमाणन और प्रत्यायन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) परियोजना को शुरू करने की अनुमति के पूर्व पीआईए के कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर न्यूनतम प्रशिक्षण अवसंरचना तथा अपेक्षित मानव संसाधन का मौजूद होना।

(घ) पूर्व-निर्धारित समय अंतरालों पर अपेक्षित एमआईएस प्रविष्टियों का अद्यतन किया जाना।

(ङ) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित पारदर्शिता अपेक्षाओं का पीआईए द्वारा अनुपालन।

(च) समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों का रख-रखाव।

(छ) प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रशिक्षणार्थियों की पूरे समय भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ज) निधियाँ जारी करना।

(ii) वित्तीय लेखा-परीक्षा सांविधिक उपबंधों के अनुसार पीआईए के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जानी है और परियोजना के लेखों का अनुरक्षण सार्थक लेखा-परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अलग से किया जाएगा।

(iii) परियोजना के अंतर्गत लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और वास्तविक प्रगति पर की गई कार्यवाही के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय निधि की दूसरी / तीसरी किस्त के जारी किए जाने के समय प्रस्तुत की जाएगी।

15. परियोजना का पूर्ण होना

(i) परियोजना के पूर्ण होने की रिपोर्ट लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ और तीसरी (अंतिम) किस्त जारी किए जाने के पूर्व दूसरी किस्त की लेखा परीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को पीआईए द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ii) प्रलेखन (वीडियो, ऑडियो और फोटोग्राफ सहित) वीडियो रिकार्डिंग के साथ परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें परियोजना के पूर्व और पश्चात् लाभार्थियों की स्थिति दी जाती है। इसमें परियोजना में दर्शाए गए अनुसार पदानगियों के ब्यौरे और इन प्रदानगियों की तुलना में हुई उपलब्धियाँ शामिल होनी चाहिए।

16. निबंधन एवं शर्तें

16.1 कार्यान्वयन एजेंसियाँ परिशिष्ट पर दी गई इस योजना के निबंधन और शर्तों द्वारा बाध्य न होंगी।

17. मध्यावधि मूल्यांकन

योजना का 3 (तीन) वर्षों के पश्चात् मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा और प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन तथा प्रभाव आंकलन के पश्चात् 12वीं योजना अवधि के अंतिम वर्ष में समीक्षा की जाएगी।

केंद्रीय क्षेत्र की 'सीखो और कमाओ' योजना से संबंधित निबंधन एवं शर्तें अल्पसंख्यकों का कौशल विकास

योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सहायता-अनुदान कार्यान्वयन संगठनों / संस्थानों द्वारा निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन हैं :

1. कि संगठन, जो योजना के अंतर्गत सहायता-अनुदान प्राप्त करने का इच्छुक है, योजना के अंतर्गत यथा विहित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा;
2. अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, यह परियोजना के गुणावगुण आधार पर भारत सरकार के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है;
3. कि संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इस आशय की लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि इस दस्तावेज में समाविष्टि तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर यथा संशोधित शर्तें उसे स्वीकार्य हैं;

4. कि संगठन भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 20 रु0 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर इस आशय का एक बाँड निष्पादित करेगा कि वह अनुदान और योजना से संबंधित उन निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा, जो समय-समय पर संशोधित की जाती हैं और यह कि उसके अनुपालन में असफल रहने के मामले में वह सरकार को इस परियोजनार्थ संस्वीकृत कुल सहायता-अनुदान को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ सरकार को लौटा देगा और कानून के अनुसार आपराधिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा ;

5. कि मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त अस्थायी / नियमित कर्मचारियों को किसी किस्म के भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा;

6. कि संगठन इस अनुदान के संबंध में राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक में अलग से एक खाता रखेगा। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को 10,000/- रुपये और उससे ऊपर की अंतर्ग्रस्त सभी प्राप्तियाँ और भुगतान चैक के माध्यम से ही किए जाएँगे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से परियोजना को जारी रखने के लिए अनुदान मांगने के समय संस्वीकृत परियोजना को चलाने के संबंध में किए गए सभी सौदों को दर्शाने वाली बैंक पास बुक की एक प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ये खाते मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारत सरकार, अथवा संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों / अधिकारियों को किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे। संगठन या तो सीएजी के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षक सहायता-अनुदान लेखाओं को रखेगा और हर हालत में प्रत्येक वर्ष के जून माह के अंतिम सप्ताह तक मंत्रालय को सा0वि0नि0 19 (क) में उपयोग प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित लेखाओं की प्रति भेजेगाः

(क) वर्ष के लिए माँगे गए सहायता-अनुदान की प्राप्ति और भुगतान लेखा;

(ख) वर्ष के लिए माँगे गए सहायता-अनुदान की आय और व्यय के लेखे;

(ग) माँगे गए सहायता-अनुदान से परिसंपत्तियों और दायित्वों को दर्शाने वाला तुलना पत्र;

(घ) मद-वार ब्यौरा के साथ सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र (सा0वि0नि0 - 19 (क) में उपयोग-प्रमाण पत्र ;

(ङ) वर्ष के लिए संपूर्ण रूप से संगठन के लेखा परीक्षित लेखे।

7. संगठन मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए उसने सहायता-अनुदान प्राप्त किया है;

8. कि सहायता-अनुदान की मदद से प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ पंथ, धर्म, रंग आदि का ध्यान दिए बिना सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपलब्ध होंगी;

9. संगठन सरकारी स्रोतों सहित किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन / परियोजना के लिए अनुदान-प्राप्त नहीं करेगा। यदि वह अन्य स्रोतों से भी उसी परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करता है तो इसे प्राप्त करने के तुरंत पश्चात् समुचित संदर्भ के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित करना होगा;

10. संगठन, सहायता-अनुदान को यथांतरित नहीं करेगा अथवा उस परियोजना का निष्पादन किसी अन्य संगठन या संस्थान को नहीं सौंपेगा, जिसके लिए सहायता-अनुदान स्वीकृत किया गया है;

11. कि यदि सरकार परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है अथवा यह समझती है कि योजना को दिशा-निर्देश, स्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके पास तत्काल प्रभाव से सहायता-अनुदान को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और वह पूर्व सूचना के साथ अथवा इसके बना ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है, जो वह उचित समझे। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किसी संगठन को एक बार काली सूची में डाल दिए जाने पर उसे भविष्य में अनुदान देने हेतु मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, चाहे उसे किसी समय काली सूची से हटा दिया गया हो;

12. कि परियोजना के नवीनीकरण के समय अनुदान का कोई अव्ययित कोष मंत्रालय द्वारा बाद में अनुमेय अनुदान में समायोजित कर दिया जाएगा;

13. इस सहायता-अनुदान से पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से प्राप्त किसी परिसंपत्ति का निपटान अथवा बाधित नहीं किया जाएगा और अथवा जिसके लिए इसकी मंजूरी दी गई है, उससे इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा;

14. संगठन इस सहायता-अनुदान से प्राप्त की गई पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी और अर्धस्थायी परिसंपत्तियों का सा0 वि0 नि0 (19) में रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा। यह रजिस्टर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक / भारत सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अनुदान के संबंध में रजिस्टर का अलग से अनुरक्षण किया जाएगा और लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ उसकी एक प्रति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी;

15. वार्षिक अनुदान की अंतिम किस्त को जारी किया जाना अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसार वर्ष के दौरान पहले जारी की गई किस्तों के समुचित उपयोग का संगत साक्ष्य मुहैया कराने की शर्त पर होगा;

16. संगठनों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अन्य मौजूदा सेवाओं के तालमेल हेतु जिला प्रशासन के साथ संपर्क करना चाहिए। इन्हें स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी

संपर्क कायम करना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके पास संस्थागत व्यवस्थाएँ भी होनी चाहिए;

17. सामान्य वित्तीय नियम 150(2) के उपबंध वहाँ लागू होंगे, जहाँ गैर-सरकारी संगठनों को निर्धारित राशि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है;

18. संगठन समुचित रूप से ऐसे बोर्डों पर प्रदर्शित करेगा, जिस पर परियोजना स्थल के बारे में दर्शाया जाए कि यह परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चलाई जा रही है;

19. अनावर्ती मदों (यदि कोई हैं) कि खरीद प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर की जानी चाहिए और निरीक्षण के लिए वाउचर प्रस्तुत किए जाने चाहिए;

20. कि संगठन लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेगा;

21. नई परियोजना के मामले में, संगठित परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख में इस मंत्रालय और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित करेगा और यह संगठन द्वारा उनके बैंक खाते में निधियों की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए;

22. कि संगठन इन अनुदानों से किसी धार्मिक / सांप्रदायिक / रुढ़िवादी / विभाजक विश्वासों अथवा सिद्धांतों की हिमायत नहीं करेगा अथवा बढ़ावा नहीं देगा;

23. न्यायालय मामले की स्थिति में, संगठन तब तक किसी सहायता-अनुदान का हकदार नहीं होगा, जब तक मामला न्यायालय में लंबित है; मंत्रालय कार्यान्वयनकर्ता संगठन और तीसरे पक्ष के बीच किसी कानूनी / बौद्धिक / संविदागत विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुदान स्वीकार करके, प्राप्तकर्ता इस शर्त को स्वीकार करता है;

24. अनुदानों को जारी किए जाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी विवादों के निपटान का अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालय होगा;

25. संगठन को योजना के सभी उक्त निबंधन एवं शर्तों, दिशा-निर्देशों, सा0वि0नि0 के उपबंधों और उनमें किसी पश्चवर्ती संशोधन / परिवर्तन का अनुपालन करना होगा।

अध्यक्ष / सचिव / सीईओ के दिनांकित हस्ताक्षर

स्थान : पूरा नाम

दिनांक : पद

सरकारी मुहर

विभिन्न राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण।

दिल्ली सरकार

website : www.stscwelfare.delhigovt.nic.in

अल्पसंख्यक समुदायों और वंचित समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा तक पहुँचने के लिए और छात्रों को मुख्य धारा का हिस्सा बनने के लिए सशक्त बनाती हैं।

1 **योजना का नाम :** प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (केवल अल्पसंख्यक के लिए)

कक्षाएँ : कक्षा I से X

छात्रवृत्ति : कक्षा I से V तक : केवल दिन विद्वान के लिए रु० 100/- पी०एम० रखरखाव भत्ता

कक्षा VI से X : रु० 500/- पी०एम० प्रवेश शुल्क + रु० 350/- पी०एम० ट्यूशन फीस + रु० 600/- पी०एम० रखरखाव भत्ता के लिए हॉस्टलर और दिन विद्वान के लिए रु०100/- अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक सुरक्षित

आय : 1 लाख रुपये से कम

तिथि : सरकार द्वारा समाचार पत्र, हैंडबिल आदि के माध्यम से समय में घोषित

2. **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति : (केवल अल्पसंख्यक के लिए)**

कक्षाएँ: कक्षा XI से एम० फिल० और पी-एच०डी०

छात्रवृत्ति : कक्षा XI से XII : प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क सहित 7000/- पी०ए० रु० 380/- पी०एम० हॉस्टलर के लिए रखरखाव भत्ता और दिन विद्वान के लिए रु० 230/-

XI-XII कक्षाओं का तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम : रु० 10000/- पी०ए० प्रवेश और ट्यूशन फीस सहित हॉस्टलर के लिए रखरखाव भत्ता रु० 235/- पी०एम० और दिवस विद्वान के लिए रु० 140/- पी०एम०

यूजी और पीजी के लिए प्रवेश और ट्यूशन फीस रु० 3000/- पी०ए० + रु० 570/- पी०एम० हॉस्टलर के लिए रखरखाव भत्ता और दिन विद्वान के लिए रु० 300/-

एम० फिल० और पी-एच०डी० : 1200/- पी०एम० हॉस्टलर के लिए रखरखाव भत्ता और दिन

विद्वान के लिए 550/- पी०एम० अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने पर

आय : 2 लाख रुपये से कम

तिथि : सरकार द्वारा समाचार पत्र, हैंडबिल आदि के माध्यम से समय में घोषित

3. **मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (केवल अल्पसंख्यक के लिए)**

कक्षाएँ: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा

छात्रवृत्ति :

(i) सीईटी के माध्यम से प्रवेश और अर्हक परीक्षा में 50 प्रतिशत

रु० 20,000/- पी०ए० कोर्स फीस + रखरखाव भत्ता हॉस्टलर के लिए रु०10,000/- दिन विद्वान के लिए रु० 5,000/- पी०ए०

आय : 2.50 लाख रुपये से कम

तिथि : सरकार द्वारा समाचार पत्र, हैंडबिल आदि के माध्यम से समय में घोषित

4. **अनुसूचित जाति/ओबीसी/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (जैन सहित)**

कक्षाएँ : एक से बारहवीं (सरकार से संबंध निजी स्कूल)

छात्रवृत्ति :

(i) माता-पिता की आय रु० 60,000/- पी०ए०-100 प्रतिशत

(ii) आय रु० 60,000 / -रु० 2,00,000/- पी०ए०-75 प्रतिशत

(iii) कक्षा I से V तक सभी ट्यूशन और अनिवार्य शुल्क दिए जाएँगे, भले ही कुछ भी अंक प्राप्त होते हैं।

(iv) कक्षा 6 से 12वीं के लिए प्रतिपूर्ति मिल जाएगा अगर वह 50 प्रतिशत स्कोर और 80 प्रतिशत उपस्थिति है।

आय : 2 लाख रुपये से कम

तिथि : सरकार द्वारा अच्छी तरह से समाचार पत्र, हैंडबिल आदि के माध्यम से समय में घोषित

5. **अनुसूचित जाति/ओबीसी/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक के लिए स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति**

कक्षा : I से XII (निजी स्कूल /केंद्रीय विद्यालय/ सरकारी स्कूल / एनडीएमसी)

छात्रवृत्तिः

(i) उपस्थिति 70 प्रतिशत से अधिक

(ii) रु० 450/- पी०ए० कक्षा 1 से 8 वीं

(iii) रु० 750/- पी०ए० कक्षा 9 से 12 वीं

आय : 2 लाख रुपये से कम

तिथि : सरकार द्वारा समाचार पत्र, हैंडबिल आदि के माध्यम से समय में घोषित

6. **कल्याण शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्र :**

वर्ग और छात्रवृत्ति :

I से V : रु० 300/- प्रति छात्र,

VI से VIII : रु० 400 /- प्रति छात्र,

IX और X : रु० 500/- प्रति छात्र,

XI और XII : रु० 600/- प्रति छात्र

आय : सभी मुस्लिम और नव बुद्ध सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स जिनके माता-पिता की आय 2 लाख से कम है।

7. **(जैन समुदाय सहित)** के लिए मेरिट छात्रवृत्ति :

कक्षाएँ : कॉलेज/तकनीकी/पेशेवर संस्थानों में

पात्रता : (i) अंतिम परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक, (ii) असफल छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।

छात्रवृत्ति :

ग्रुप एः रु०हॉस्टलर के लिए 1620/- पी०एम० और दिन के छात्र के लिए रु० 900/- पी०एम० (स्नातक के लिए) रु० 1860/- पी०एम०

ग्रुप बीः हॉस्टलर के लिए रु० 1110/- पी०एम० और दिन के छात्र के लिए रु० 720/- पी०एम०

ग्रुप सीः हॉस्टलर के लिए रु० 930/- पी०एम० और दिन के छात्र के लिए रु० 630/- पी०एम०

ग्रुप डीः हॉस्टलर के लिए रु० 804/- पी०एम० और दिन के छात्र के लिए रु० 420/- पी०एम० (स्नातक के लिए)

हॉस्टलर के लिए रु० 1110/- पी०एम० और दिन के छात्र के लिए 630/- पी०एम० (परास्नातक के लिए)

ग्रुप एः एमबीबीएस, बीटेक, एमबीए और समकक्ष

ग्रुप बीः एल-एल-बी, बी० फार्मा, एमएस-सी और समकक्ष

ग्रुप सी: बीए, बीएस-सी और समकक्ष

ग्रुप डी: ग्यारहवीं, बारहवीं, डिप्लोमा और समकक्ष।

पूर्ण शिक्षण शुल्क + पंजीकरण शुल्क + परीक्षा शुल्क

आय : 2 लाख रु० से कम

तिथि: सरकार द्वारा अच्छी तरह से समाचार पत्र, हैंडबिल आदि के माध्यम से समय में घोषित

8. **अनुसूचित जाति/ओबीसी/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक (जैन समुदाय सहित)** के लिए मेरिट छात्रवृत्ति

कक्षाएँ : कक्षा I से XII (निजी स्कूल/केंद्रीय विद्यालय/सरकारी स्कूल /एनडीएमसी)

छात्रवृत्ति : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक के लिए : 1 से 8वीं : रुपये 1000/- पी०ए० (कोई विशिष्ट प्रतिशत आवश्यक नहीं)

ओबीसी के लिए 6 से 8वीं : रु० 600/- पी० ए०(55% से 60% के बीच)

6 से 8वीं : रुपये 720/- पी०ए० (60%से ऊपर)

अनुसूचित जाति/ओबीसी/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक के लिए 9वीं से 12वीं के लिए: रु० 1620/- पी०ए० (55% से 60% के बीच), 9वीं से 12वीं : रु० 2040/- पी०ए० (60% से ऊपर)

आय: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आय लागू नहीं है, लेकिन ओबीसी/अल्पसंख्यक की लिए 2 लाख

तिथि : सरकार द्वारा समाचार पत्र, हैंडबिल आदि के माध्यम से समय में घोषित

9. **अनुसूचित जाति/ओबीसी/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक के लिए डॉ० बी०आर० अंबेडकर पुरस्कार:**

कक्षाएँ : स्नातक के लिए

छात्रवृत्ति : पात्रता : दिल्ली से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति/ओबीसी/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक में से निम्नलिखित संस्थानों में स्नातक स्तर की परीक्षा में प्रत्येक टॉपर को रु० 8000/-

आय : कोई सीमा नहीं

तिथि : पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के परिणाम के बाद

10. **अनुसूचित जाति/ओबीसी/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास**

वर्ग : कक्षा 12वीं और उससे अधिक के लिए

छात्रवृत्ति : सभी सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। संपर्क करें: अधीक्षक गर्ल्स हॉस्टल,

छात्रवृत्तिः कक्षा 8 तक पढ़ने वाले किसी भी छात्र से कोई शुल्क और धन नहीं लिया जा रहा है
आयः कोई सीमा नहीं
तिथिः हर साल

3. **लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक)**
वर्गः कक्षा 9 से 12वीं के लिए
छात्रवृत्तिः किसी भी छात्रा से हर साल कोई शुल्क और फंड नहीं लिया जा रहा है।
आयः कोई सीमा नहीं
तिथिः हर साल

4. **अतिरिक्त कोचिंग क्लास (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक)**
वर्गः कक्षा 9 से 12 तक /एआईपीएमटी/एआईईईई/सीईटी/लॉ
छात्रवृत्तिः 9 से 12 - ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्र के दौरान
10वीं के बाद केवल मार्च से जून, एआईपीएमटी/एआईईईई/सीईटी/लॉ मार्च से अप्रैल
सभी कोचिंग विशिष्ट संस्थान में निःशुल्क है
आयः कोई सीमा नहीं
तिथिः हर साल

5. **निःशुल्क पुस्तकें और स्टेशनरी**
कक्षाएँः कक्षा 1 से 8
छात्रवृत्तिः पुस्तकें और स्टेशनरी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं
आयः कोई सीमा नहीं
तिथिः हर साल

अल्पसंख्यक निदेशालय(कर्नाटक/बंगलुरु)

ई-मेल : nfo@gokdom.com, वेबसाइटः www.gokdom.com

1. **प्रोत्साहन योजना (उत्तेजना):**
कक्षाएँ : 1 और 2 यूपीसी/डिग्री/पीजी
छात्रवृत्ति : (i) अंतिम परीक्षा में पासिंग मार्क्स,
छात्रवृत्ति राशि : (i) प्रथम और द्वितीय पीयूसी के लिएः रु० 3,000/- पी०ए०
(ii) डिग्री के लिएः 4,000/- पी०ए०

(iii) पीजी के लिए : रु० 5,000/- पी०ए०

आय : 2 लाख से कम

तिथि : हर साल वर्ष के आस-पास

2. **योजना का नाम :** राज्य पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

कक्षाएँ: कक्षा 1 से 10

छात्रवृत्ति : (i) अंतिम परीक्षा में कम-से-कम 50% अंक,

छात्रवृत्ति राशि : सरकारी स्कूल रु० 1000/- पी०ए०, पब्लिक स्कूल रु० 5000/-

आय : 1 लाख रुपये से कम

तिथि : जलुाई

3. **योजना का नाम:** राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

कक्षाएँ: पीयूसी, आईटीआई, जेओसी, डी०एड, डिप्लोमा, डी०फार्मा, जीएनएम, डिग्री, पीजी, एम०फिल० और पी-एच०डी०

छात्रवृत्ति: (i) पिछली परीक्षा में कम-से-कम 50%

छात्रवृत्ति राशि: रु० 3,500/- पी०ए० (सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क पर निर्भर करता है।)

आय: 2 लाख रुपये से कम

तिथि: अगस्त

4. **योजना का नाम:** मेरिट-सह-माध्यम छात्रवृत्ति

कक्षाएँ: बीई, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीवीएससी, बीबीटी, बीओटी, बी०एच० बीएससी, नर्सिंग, एमबीए, एमसीए, एमई, एमटेक, एलएलबी, सीए

छात्रवृत्ति: (i) योग्यता परीक्षा में कम-से-कम 50%

छात्रवृत्ति राशि: डे विद्वानों के लिए रु० 25,000/- पी०ए०, हॉस्टलर के लिए 30,000/- पी०ए०

आय: 2 लाख रुपये से कम

तिथि: सितंबर

5. **योजना का नाम: राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति**

कक्षाएँ: प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में परास्नातक, पी-एच०डी० और पोस्ट पी-एच०डी०

छात्रवृत्ति पात्रता: (i) 38 वर्ष से कम उम्र के छात्र, (ii) डिग्री में कम-से-कम 60% कुल

छात्रवृत्ति राशि: 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष और पूरे पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये।

आय : 4 लाख रुपये से कम

तिथिः जुलाई

6. **योजना का नामः** यूपीएससी/केपीएससी के लिए पूर्व-परीक्षा कोचिंगः

कक्षाएँः यूपीएससी / केपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र

छात्रवृत्ति राशिः कोचिंग शुल्क के लिए 1 लाख रुपये तक, वृत्ति 5,000/- रुपये या रु० 3,000/- पी०एम०

आयः 2 लाख रुपये से कम

तिथिः जुलाई

जम्मू-कश्मीर के लिए छात्रवृत्ति

Website-: www.jkeducation.gov.in

1. **योजना का नाम :** बीपीएल छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति

कक्षाएँः केवल स्नातक के लिए

छात्रवृत्ति राशिः मेडिकल छात्र के लिए 3.00 लाख रुपये, इंजीनियरिंग के लिए 1.15 लाख रुपये अन्य डिग्री के लिए 30,000/-

आयः 4.5 लाख रुपये से कम

तिथिः + 2 परिणाम के बाद

सामान्य शिक्षा विभाग केरल

वेबसाइट : www.old.kerala.gov.in
ईमेल : contact@prd.kerala.gov.in

1. **योजना का नाम :** स्कूल छात्र छात्रवृत्ति
   कक्षाएँ : कक्षा 1 से 12वीं के लिए (एसटी/एससी/ग्रामीण क्षेत्र/लड़कियाँ)
   छात्रवृत्तिः कक्षा X तकः रु० 500/- पी०एम० + रु० 2500/- पी०ए० (पुस्तकें इत्यादि)
   कक्षा XI-XII : रु० 750/- पी०एम० + रु० 2500/- पी०ए० (पुस्तकें इत्यादि)
   आयः कोई सीमा नहीं
   दिनांक : प्रत्येक सत्र के बाद
2. **योजना का नामः** यूजी छात्रवृत्ति
   वर्गः यूजी (मेरिट सूची के आधार पर)
   छात्रवृत्ति : 10 महीने के लिए रु० 1000/- पी०एम० + रु० 5000/- अन्य भत्ता
   आयः कोई सीमा नहीं
   दिनांक : प्रत्येक सत्र के बाद
3. **योजना का नाम :** पीजी छात्रवृत्ति
   वर्गः पीजी (मेरिट सूची के आधार पर)
   छात्रवृत्ति : रु० 50,000/- प्रति प्रोजेक्ट
   आयः कोई सीमा नहीं
   दिनांक : प्रत्येक सत्र के बाद
4. **योजना का नामः** सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति (केवल केरल के लड़कों के लिए)
   कक्षाएँ : सेना और प्राथमिक शिक्षा के लिए
   छात्रवृत्ति : पूर्ण शिक्षा छात्रवृत्ति + वर्दी मूल आय पर निर्भर
   आयः 30,000/- तक (छात्रवृत्ति + वर्दी) रु० 36,000/- तक (छात्रवृत्ति + वर्दी) रुपये 36,000/- से ऊपर (केवल छात्रवृत्ति)
   दिनांकः प्रत्येक सत्र के बाद
5. **योजना का नामः** एल०एस०एस० एवं यू०एस०एम०छात्रवृत्ति
   वर्गः माध्यमिक शिक्षा
   छात्रवृत्तिः रु० 150/- पी०एम० (एल०एस०एस०), रु० 100/- पी०एम० (यू०एस०एस०)
   आयः कोई सीमा नहीं
   दिनांकः प्रत्येक सत्र के बाद।

6. **योजना का नामः** मुस्लिम, नाडार, एंग्लो-इंडियन छात्रवृत्ति (केवल केरल गर्ल)
वर्गः यूपी/उच्च कक्षाएँ
छात्रवृत्तिः रु० 75/- पी०एम० (यूपी कक्षाएँ), रु० 100/- (उच्च कक्षाएँ)
आयः रु० 18,000/- से कम
तिथिः प्रत्येक सत्र के बाद
नोट - उम्मीदवार ऑनलाइन या स्कूल प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

कॉलेजिएट शिक्षा विभाग केरल

वेबसाइट- www.collegiateedu.kerala.gov.in

1. **योजना का नामः** सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति
कक्षाएँः यूजी और पीजी के लिए
छात्रवृत्तिः अंतिम परीक्षा में 50% से अधिक रु० 10,000/-
आयः बीपीएल परिवार से संबंधित
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल
2. **योजना का नाम :** राज्य मेरिट छात्रवृत्ति
कक्षाएँः हाई स्कूल/यूजी और पीजी
छात्रवृत्ति : परीक्षा में 50% से अधिक रु० 1000/- पी०ए० (एचएस), रु० 1250/- (यूजी), रु० 1500/- पी०ए० (पीजी)
आयः 1 लाख रुपये से कम
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल
3. **योजना का नाम :** जिला मेरिट छात्रवृत्ति
कक्षाएँः केवल एसएसएलसी के लिए
छात्रवृत्तिः एसएसएलसी परीक्षा में ए + रु० 1250/- पी०ए०
आयः कोई सीमा नहीं
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल
4. **योजना का नाम :** संगीत/ललित कला छात्रवृत्ति
कक्षाएँः कथकली में अध्ययनरत यूजी और पीजी छात्र
छात्रवृत्तिः बी०पी०एन०बीए०: रु० 1500/-, एमपीएनएमए भरतनाट्यम रु० 300/- चित्रकला रु० 250/- मोहिनीअट्टम-रु० 300/-, शिल्पकला एवं मूर्तिकला रु० 250/- कथकली (यूजी) रु० 500/-
आयः रु० 60,000/- से अधिक नहीं
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल

5. **योजना का नाम :** मुस्लिम गर्ल छात्रवृत्ति
कक्षाएँः डिग्री/पीजी/प्रोफसर कोर्स
छात्रवृत्ति पात्रता : (i) मुस्लिम, ईसाई, (ii) कोर्स में प्रवेश ले लिया है।
छात्रवृत्ति : डिग्रीः रु० 4000/- पीजी : रु० 5000/-, प्रोफेसर कोर्स : रु० 6000/-
आयः 4 लाख रुपये से कम
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल

6. **योजना का नाम :** छात्रावास में रहने वाली मुस्लिम लड़की
वर्गः किसी भी पाठ्यक्रम
छात्रवृत्तिः रु० 1000/- पी०एम०
आयः 4 लाख रुपये से कम
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल

7. **योजना का नाम :** संस्कृत छात्रवृत्ति
कक्षाएँः एचएस और स्नातक स्तर पर संस्कृत का अध्ययन
छात्रवृत्तिः एचएस और स्नातक स्तर पर संस्कृत का अध्ययन रु० 200/- पी०एम०
आयः 1 लाख रुपये से कम
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल

8. **योजना का नाम :** मूक, बधिरों एवं दिव्यांगों के लिए छात्रवृत्ति
कक्षाएँः हाई स्कूल/ स्नातक
छात्रवृत्ति : शुल्क, बोर्डिंग और हॉस्टल चार्जेज
आय : रु० 26,000/- से कम
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल

9. **योजना का नाम :** आईएएस कोचिंग कर रहे छात्र
वर्ग : आईएएस
छात्रवृत्ति : अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों और विश्वविद्यालय कॉलेज, तिरुवनंतपुरम् या महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में आईएएस परीक्षा के लिए कोचिंग कर रहे छात्रों के लिए रु० 600/- पी०एम०
आयः कोई सीमा नहीं
तिथिः अक्टूबर/नवंबर हर साल

नोटः आवेदन सरकारी कार्यालय और स्कूल पर उपलब्ध हैं।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, कल्याण विभाग

वेबसाईट www.sikkimsocialwelfare.org

1. **योजना का नाम :** प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक)
कक्षाएँः कक्षा 1 से 10वीं

छात्रवृत्तिः कक्षा 1 से 4 तक रु० 750/- कक्षा 5 से 8 रु० 900/-, कक्षा 9 से 10 तक रु० 1000/- पी०ए०

आयः अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रु० 1.08 लाख से कम और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु० 44,000/-

तिथिः हर साल

2. **योजना का नामः** नोमेडिक के लिए छात्रवृत्ति

   वर्गः मूल शिक्षा छात्रवृत्तिः रु० 1500/- पी०ए०

   आयः कोई सीमा नहीं

   तिथिः हर साल

3. **योजना का नामः** पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक)

   कक्षाएँ : कक्षा XI-XII / डिग्री /पेशेवर पाठ्यक्रम

   छात्रवृत्तिः कक्षा XI से XII तक- रु० 1400/- पी०ए०, डिग्री समकक्ष रु० 1850/- पी०ए० एमएड / टेक/इंजीनियरिंग रु० 3300/- पी०ए०

   आयः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रु० 1.08 लाख से कम, लेकिन ओबीसी के लिए रु० 44,000/-

   तिथिः हर साल

सीबीएसई छात्रवृत्ति

वेबसाइट : www.cbse.nic.in

1. **योजना का नामः** उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति

   वर्गः मूल विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान।

   छात्रवृत्तिः शीर्ष 1% के भीतर उम्मीदवार (कट-ऑफ स्कोर-471 अंक छठे विज्ञापन-वितरण विषय को छोड़कर) रु० 80,000/- पी०ए० पाँच साल के लिए

   उम्मीदवार को ऊपर उल्लिखित साइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

   आयः कोई सीमा नहीं

   तिथिः जून/जुलाई

2 **योजना का नाम :** बालिका छात्रवृत्ति

   कक्षाएँ : कक्षा 1 से 12वीं (केवल ईडब्ल्यूएस से)

   छात्रवृत्तिः पात्रताः (1) स्कूल जीसीएस में सिफारिश के लिए एक लड़की भेजें (2) पिछले परीक्षा में 60% से अधिक स्कोर।

छात्रवृत्तिः कुल रु० 18,000/- पी०ए० (जुलाई और दिसंबर में 2 किस्त में भुगतान किया) प्रवेश/ ट्यूशन/मेंटनेंस भत्ता शामिल।

आयः 1.5 लाख रुपये से कम

तिथिः जून/जुलाई

3. **योजना का नाम :** इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति

कक्षाएँ : इंजीनियरिंग/एमबीबीएस (केवल लड़कियों के लिए)

छात्रवृत्ति पात्रताः (1) उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में होना चाहिए। (2) परिवार की केवल बालिका (3) पहले sem./yr में 50% से अधिक स्कोर करना चाहिए।

आयः कोई सीमा नहीं

तिथिः जून / जुलाई

छात्रवृत्तिः रु० 1000/- पी०एम० (इंजीनियरिंग), रु० 1000/- कर सकते हैं- फार्म भरा आधिकारिक प्रक्रिया के बाद साइट से डाउनलोड करके सम्मानित किया जाएगा।

आयः कोई सीमा नहीं

तिथिः जून / जुलाई

आवेदन के साथ संबद्ध होने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज

छात्रों /माता-पिता को वर्तमान/मान्यता प्राप्त दस्तावेजों को रखने की सलाह दी जाती हैः

1. आवेदक का पासपोर्ट आकार फोटो।
2. पिछले वर्ग की मार्कशीट।
3. स्कूल बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
4. राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र जैसे एसडीएम/पटवारी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट आदि या कुछ विभागों द्वारा अपेक्षित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर स्व-घोषणा।
5. निवास का प्रमाण।
6. संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र।
7. माता-पिता द्वारा या उन छात्रों द्वारा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक घोषणा।

डॉ० अम्बेडकर फाउंडेशन

15, जनपथ, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट-: www.ambedkarfoundation.nic.in

1. **योजना का नाम :** मेरिट छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के लिए)

कक्षाएँ : केवल कक्षा दसवीं

छात्रवृत्ति : 50% से अधिक अंक प्राप्त करना, रु० 60,000/- (प्रथम उच्चतम अंकों के लिए), रु० 50,000/- (दूसरे उच्चतम अंक के लिए), रु० 40,000/- (तीसरे उच्चतम अंक के लिए), रु० 40,000/- (छात्राओं को उच्चतम अंकों के लिए)

आयः कोई सीमा नहीं

तिथिः परिणाम की घोषणा के 15 दिन बाद।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

वेबसाइट-: www.ntpc.co.in

1. **योजना का नाम :** इंजीनियरिंग/एमबीए छात्रवृत्ति

इंजीनियरिंग / एमबीए (एमबीए के लिए छात्रवृति (एसटी / अनुसूचित जाति / अक्षम)

छात्रवृत्तिः रु०1500/- पी०एम पूरे वर्ष

आयः कोई सीमा नहीं

तेल और प्राकृतिक गैस निगम

वेबसाइट-: www.ongcindia.com

1. **योजना का नाम :** ओएनजीसी छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यकों के लिए)

कक्षाएँ : इंजीनियरिंग/जीओ/एमबीए के लिए

छात्रवृत्ति पात्रताः (i) बीटेक और मास्टर के प्रथम वर्ष में होना चाहिए (ii) 12वीं में 60% से अधिक।

छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग : प्रथम वर्षः रु० 12,000/- पी०एम०, दूसरा साल रु० 12,000/- पी०एम०, तीसरा वर्षः रु० 18,000/- पी०एम०, चौथा वर्षः रु० 18,000/- पी०एम० भूविज्ञान/एमबीएः रु० 18,000/- हर वर्ष

आयः 1.5 लाख रुपये से कम।

तिथिः घोषित : जुलाई / अगस्त समय सीमा-दिसंबर।

शैक्षणिक उत्कृष्टता और प्रवेश के लिए फाउंडेशन

वेबसाइट-: www.faeaindia.org

1. **योजना का नाम :** एफएईई छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के लिए)

   कक्षाएँ : यूजी / पीजी

   छात्रवृत्ति पात्रता: (i) एक भारतीय होना चाहिए, (ii) एक मान्यता प्राप्त भारतीय बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण, (iii) सहायता शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

   छात्रवृत्ति: (i) पूर्ण पाठ्यक्रम और अन्य व्यय के लिए धन।

   आय: सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

   तिथि: मई और जून हर साल।

गौरव फाउंडेशन

वेबसाइट-: www.gauravfoundation.org

1. **योजना का नाम :** गौरव फाउंडेशन छात्रवृत्ति।

   कक्षाएँ: 6वीं से 12वीं/स्नातक/पी०जी०/व्यावसायिक पाठ्यक्रम / आंतरिक और फैशन पाठ्यक्रम / सी०ए०/सी०एस०

   छात्रवृत्ति पात्रता : 1. भारत के निवासी, 2. आयु 10 साल से 50 वर्ष के बीच, 3. सभी परीक्षाओं में न्यूनतम 60%

   छात्रवृत्ति : पाठ्यक्रम के दौरान सभी खर्च शामिल

   आय: 5 लाख रुपये से कम

   तिथि : वर्ष भर

के०सी० महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट

वेबसाइट-: http://www.nanhikali.org

1. **योजना का नाम :** महिंद्रा ऑल इंडिया टैलेंट स्कॉलरशिप।

   कक्षाएँ : कक्षा ग्याहरवीं और बारहवीं (केवल लड़की के लिए)

   छात्रवृत्ति : उत्तीर्ण दसवीं कक्षा रु० 5000/- पी०ए०

डॉ० अम्बेडकर फाउंडेशन

15, जनपथ, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट-: www.ambedkarfoundation.nic.in

1. **योजना का नाम :** मेरिट छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के लिए)

कक्षाएँ : केवल कक्षा दसवीं

छात्रवृत्ति : 50% से अधिक अंक प्राप्त करना, रु० 60,000/- (प्रथम उच्चतम अंकों के लिए), रु० 50,000/- (दूसरे उच्चतम अंक के लिए), रु० 40,000/- (तीसरे उच्चतम अंक के लिए), रु० 40,000/- (छात्राओं को उच्चतम अंकों के लिए)

आयः कोई सीमा नहीं

तिथिः परिणाम की घोषणा के 15 दिन बाद।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

वेबसाइट-: www.ntpc.co.in

1. **योजना का नाम :** इंजीनियरिंग/एमबीए छात्रवृत्ति

इंजीनियरिंग / एमबीए (एमबीए के लिए छात्रवृति (एसटी / अनुसूचित जाति / अक्षम)

छात्रवृत्तिः रु०1500/- पी०एम पूरे वर्ष

आयः कोई सीमा नहीं

तेल और प्राकृतिक गैस निगम

वेबसाइट-: www.ongcindia.com

1. **योजना का नाम :** ओएनजीसी छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यकों के लिए)

कक्षाएँ : इंजीनियरिंग/जीओ/एमबीए के लिए

छात्रवृत्ति पात्रताः (i) बीटेक और मास्टर के प्रथम वर्ष में होना चाहिए (ii) 12वीं में 60% से अधिक।

छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग : प्रथम वर्षः रु० 12,000/- पी०एम०, दूसरा साल रु० 12,000/- पी०एम०, तीसरा वर्षः रु० 18,000/- पी०एम०, चौथा वर्षः रु० 18,000/- पी०एम० भूविज्ञान/एमबीएः रु० 18,000/- हर वर्ष

आयः 1.5 लाख रुपये से कम।

तिथिः घोषित : जुलाई / अगस्त समय सीमा-दिसंबर।

आय : आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए।
दिनांक : मई/जून हर साल।
नोटः इच्छुक छात्र चेन्नई मुंबई और बंगलुरु में इस ट्रस्ट की शाखा को आवश्यक स्टाम्प के साथ एक पत्र लिखना चाहिए।

एल/ओरियल भारत छात्रवृति सेल

वेबसाइट-: www.foryoungwomeninscience.com

1. **योजना का नाम** : युवा महिलाओं के लिए विज्ञान छात्रवृत्ति।
कक्षाएँ : किसी भी विज्ञान क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए।
छात्रवृत्ति पात्रताः (i) 12वीं में पी०सी०एम०/पी०सी०बी० में 80% से अधिक।
छात्रवृत्तिः पाठ्यक्रम अवधि तक रु० 2.5 लाख पी०ए०
आय : कोई सीमा नहीं
तिथि : जून तक

ओपी जिंदल समूह

वेबसाइट-: www.opjems.com
E-mail-ankit.sharma@jindalsteel.com

1. **योजना का नाम** : ओपी जिंदल इंजीनियरिंग और प्रबंधन छात्रवृत्ति।
कक्षाएँ : इंजीनियरिंग और प्रबंधन के लिए।
छात्रवृत्ति पात्रता : (i) प्रथम वर्ष में प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 20 छात्र,
(ii) शीर्ष 20 छात्र अपने प्रदर्शन (प्रबंधन) के आधार पर,
(iii) प्रत्येक शाखा से शीर्ष 15 छात्र प्रत्येक वर्ष (इंजीनियरिंग),
छात्रवृत्तिः रु० 65,000/- (इंजीनियरिंग के लिए), रु० 1,25,000/- प्रबंधन के लिए।
आय : कोई सीमा नहीं।
तिथि : हर वर्ष के सत्र का अंत।
नोटः यह छात्रवृत्ति हर साल परिणाम के बाद कॉलेज प्राधिकारी द्वारा वितरित की जाती है।
(i) बिट्स पिलानी ऑल आईआईटी ऑल एनआईटी आईएसएम धनबाद
(ii) ऑल आईआईआईएम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसिज दिल्ली एक्सएलआरआई जमशेदपुर, एमडीआई गुड़गाँव जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल,
(iii) ओ०पी०जे०आईटी राजगढ़ एसवीएनआईटी सूरत एसपीजेआईएमआर मुंबई।

चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया

वेबसाइट-: www.gettarget.com

1. **योजना का नाम** : चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया छात्रवृत्ति।

   कक्षाएँ :तीसरी से 12वीं के लिए।

   छात्रवृत्तिः चयनित उम्मीदवारों को 1.5 लाख से अधिक मिलता है।

   आय : कोई सीमा नहीं।

   तिथि : सितंबर

   नोट : उम्मीदवार कार्यालय में आवेदन और विवरणिका के लिए आवेदन कर सकते हैं।

निशकाम सिख वेलफेयर काउंसिल

वेबसाइट-: www.nishkam.org.

योजना का नाम- निशकाम छात्रवृत्ति।

कक्षाएँ : उच्च अध्ययन के लिए।

छात्रवृत्ति : दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर से अच्छे नैतिक चरित्र के छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए रु० 250/- पी०एम० से रु० 1000/- पी०एम०

आय : कोई सीमा नहीं।

तिथि : जुलाई

नोटः उम्मीदवार कार्यालय में आवेदन और विवरणिका के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सिख मानव विकास फाउंडेशन

वेबसाइट-: www.shdf.org.

1. **योजना का नाम** : एसएचडीएफ छात्रवृत्ति।

   कक्षाएँ : व्यावसायिक पाठ्यक्रम

   छात्रवृत्ति पात्रता : अंतिम परीक्षा में 60%,

   छात्रवृत्ति : प्रति छात्र 24,000/- तक

   आय :1.5 लाख रुपये से कम।

   तिथि : किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने के बाद।

   नोटः इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए साइट पर जाएँ, फॉर्म डाउनलोड करें और भेजें।

कालगीधर ट्रस्ट- बारू साहिब

वेबसाइट- www.barusahib.org.

1. **योजना का नाम :** अकाई ग्रामीण महिला सशक्तिकरण संस्थान।

कक्षाएँ : प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम और अन्य।

छात्रवृत्ति पात्रता : X या XII कक्षा में 50%

लाभः निःशुल्क प्रशिक्षण, 1500 ग्रामीण लड़कियों के लिए दो साल के कार्यक्रम के लिए बोर्डिंग।

रु० 80,000/- प्रति प्रशिक्षु प्रतिवर्ष

आय : 1.00 लाख रुपये से कम।

तिथि : प्रवेश परीक्षा के बाद।

साहू जैन ट्रस्ट

वेबसाइट- www.sahujaintrust.timesofindia.com

1. **योजना का नाम :** अंतर्देशीय छात्रवृत्ति।

कक्षाएँ : तकनीकी व्यापार/व्यावसायिक/स्नातक/परास्नातक।

छात्रवृत्तिः पाठ्यक्रम की अवधि तक 150/- रुपये से 1000/- पी०एम०।

आय : कोई सीमा नहीं।

तिथि : जुलाई

सीताराम जिंदल ट्रस्ट

वेबसाइट- www.sitaramjindalfoundation.org.

1. **योजना का नाम :** जिंदल ट्रस्ट छात्रवृत्ति।

कक्षाएँ : (i) 9 से 12 के लिए (केवल लड़कियों के लिए), (ii) यूजी/पीजी (दोनों के लिए)

छात्रवृत्ति : (i) 9 और 10 में 50% से अधिक (केवल लड़कियों के लिए),

(ii) यूजी/पीजी में 60% से अधिक

छात्रवृत्तिः रु० 400/- से 2200/- पी०एम०

आय : केवल ईडब्ल्यूएस के लिए

तिथि : किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने के बाद

महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति

1. **योजना का नाम :** सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति।

   कक्षाएँ : पीजी

   छात्रवृत्ति : छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए परिवार में सिंगल गर्ल चाइल्ड का पालन छात्रवृत्ति रु० 2000/- पी०एम०।

   आयः वेबसाइट का संदर्भ लें।

   तिथि : वेबसाइट www.ugc.ac.in देखें।

2. **योजना का नाम :** लड़कियों के लिए मेरिट छात्रवृत्ति।

   कक्षाएँ : स्नातक और स्नातकोत्तर

   छात्रवृत्ति : मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए आई पी एस के पास मेरिट छात्रवृत्तियाँ हैं। विश्वविद्यालय मेरिट छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्राओं को संबंधित सेमेस्टरों के लिए ट्यूशन शुल्क पर 10% अतिरिक्त छूट मिलेगी।

   आय : वेबसाइट का संदर्भ लें।

   तिथि : वेबसाइट www.oiipsindia.co.in देखें।

3. **योजना का नाम :** गर्ल प्रतिभा छात्रवृत्ति

   कक्षाएँः व्यावसायिक उच्च शिक्षा

   छात्रवृत्ति : मुंबई स्कूल ऑफ बिजनेस ने दो विशिष्ट छात्रवृत्तियाँ शुरू की हैं। छात्रवृत्ति गरीब और प्रतिभाशाली लड़कियों को जो वित्तीय समस्या से ग्रस्त हैं और खर्च वहन नहीं कर सकतीं, की शिक्षा का खर्च वहन करते हैं। छात्राओं को दुनिया भर में मेरिट-सह-आवश्यकता के आधार पर चयन किया जाता है।

   आयः वेबसाइट का संदर्भ लें।

   तिथि : वेबसाइट www.mbs.edu.in देखें।

4. **योजना का नाम :** मिरिग मेमोरियल शैक्षिक छात्रवृत्ति

   कक्षाएँ : स्नातक और स्नातकोत्तर

   छात्रवृत्ति : पाठ्यक्रम अवधि तक छात्रवृत्ति का मूल्य रु० 4000/- पी०एम०

   आय : वेबसाइट का संदर्भ लें।

   तिथि : वेबसाइट www.ismdhanbad.ac.in देखें।

5. **योजना का नाम :** हाई स्कूल जा रही लड़कियों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति

कक्षाएँ : प्री-मैट्रिक (हाई स्कूल)

छात्रवृत्ति : रु० 600/- पी०ए०

आय : वेबसाइट का संदर्भ लें।

तिथि : वेबसाइट www.kar.nic.in देखें।

6. **योजना का नाम :** बालिका प्रतिभा छात्रवृत्ति।

कक्षाएँ : उच्च शिक्षा

छात्रवृत्ति : पुरस्कार पाने वालों को अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष के लिए ट्यूशन छूट और मुफ्त 'निवास' दिया जाएगा।

आय : वेबसाइट का संदर्भ लें।

तिथि : वेबसाइट www.chat.edu.in देखें।

7. **योजना का नाम :** जीजीजीजी छात्रवृत्ति

कक्षाएँ : स्नातक और परास्नातक

छात्रवृत्ति : कार्यक्रम के लिए बोर्डिंग और आवास लागत कुल ट्यूशन अध्ययन किताबें, और व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए सामग्री, शैक्षिक यात्राओं के लिए परिवहन, और मेडिक्लेम के लिए 100000/- प्रतिवर्ष।

आय : वेबसाइट का संदर्भ लें।

तिथि : वेबसाइट www.ccrf.in देखें।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान जैन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

1. **पता:** चंढीगढ़ रोड जमालपुर पंजाब

समुदाय छात्रवृत्ति द्वारा: वर्धमान स्पिनिंग और जनरल मिल्स

वेबसाइट: www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

2. **पता:** खिरानी गेट, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : शिकरचंद जैन सहायता निधि

वेबसाइट: www.jainsamaj.org,www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

3. **पता:** निर्माण हाउस, बेलार्ड एस्टेट मंबुई-400038

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति: बालचंद हीराचंद चैरिटेबल ट्रस्ट

वेबसाइटःयात्राः www.jainsamaj.org,www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

4. पताः त्रिभुवन भवन 1, विजय वाला चौक, पेधुनी, मुंबई

छात्रवृत्ति समुदाय द्वारा : अखिल भारतीय स्थानकवासी जैन सम्मेलन

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

5. पता : डालूचंद निवास, सर भालचंद रोड मुंबई - 401019

छात्रवृत्ति समुदाय द्वारा : अमीरचंद डालूचंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

6. पता : हीराबाग, मुंबई - 400004

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : जैन सहकारी बैंक लिमिटेड

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

7. पताः 815, सिंध कंपनी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के सामने, अनुध, पुणे-7

समुदाय द्वारा छात्रवृत्तिः श्रीमती पानाचंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

8. पताः पित्रछाया। कॉमर्स कॉलेज के सामने, हुगली

समुदाय द्वारा छात्रवृत्तिः श्री भीमराव बाहाजी अंगदी चैरिटेबल ट्रस्ट

वेबसाइटः www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

9. पता : महावीर नगर, सांगली - 416416

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : श्री बापूसाहेब बी चौधरी ट्रस्ट

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

10. पता : टाइम्स हाउस 7, बहादुर शाह मार्ग, दिल्ली-2

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : साहू जैन ट्रस्ट

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

11. पता : 34, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : गिरधारीलाल प्यारेलाल शिक्षा निधि

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

12. पताः 204, दरियाब कलां, दिल्ली -110006

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

13. **पताः** दरियागंज, दिल्ली - 110002

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : भारतवर्षीय अनाथरक्षक समिति

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

14. **पताः** समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर (राजस्थान)।

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

वेबसाइटः www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

15. **पता :** चमेली चौक, सागर, म०प्र०

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : भगवान दास शोभालाल चैरिटेबल ट्रस्ट

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

16. **पता :** सुरन चेंबर, सदर, नागपुर (म०प्र०)

समुदाय द्वारा छात्रवृत्तिः ओसवाल शिक्षा संस्थान

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

17. **पता :** महावीर भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर

समुदाय द्वारा छात्रवृत्तिः श्री महावीर जी छात्रवृत्ति निधि

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

18. **पताः** चित्र प्रकाशन, अकोला -312205

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : श्रमंदेश्वर

वेबसाइट : www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

19. **पताः** बालिव्स, सोलापुर -413002

समुदाय द्वारा छात्रवृत्ति : गाँधी नाथारंगजी दिगंबर जैन बोर्डिंग

वेबसाइटः www.jainsamaj.org, www.jainpusph.org, www.jainhostel.org

शिक्षा ऋण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त कॉपरेशन

वेबसाइट www.nmdfc.org

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक समाज से संबंधित वंचित व्यक्ति को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से समानता के लाभों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान

जाती है। एनएमडीएफसी ने अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के बीच रोजगारोन्मुखी शिक्षा को सुगम बनाने के उद्देश्य से शैक्षिक ऋण की योजना शुरू की है। अधिकतम ऋण रु० 2.50 लाख यानी 50,000/- 5 वर्ष अवधि के लिए।

1. **पाठ्यक्रम और अन्यः** (i) कृषि, (ii) टेक व्यापार (iii) छोटा व्यवसाय, (iv) कारीगरों और पारंपरिक व्यवसाय, (v) परिवहन और सेवा क्षेत्र।
   छात्र पात्रताः वह अल्पसंख्यक समुदाय या आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है
   ऋण में विस्तार : व्यापार की स्थापना सभी व्यय शामिल
   वित्त/सुरक्षा : एनएमडीएफसी ने 85% परियोजना लागत बाकी लाभार्थी को परियोजना की लागत कम-से-कम 15% योगदान करना होगा।
   चुकौती : ऋण के लिए 6% पी०ए०।
2. **पाठयक्रम और अन्य :** शिक्षा ऋण योजना
   छात्र पात्रता : वह अल्पसंख्यक समुदाय के हैं या आर्थिक पिछड़ा वर्ग और पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष से कम होनी चाहिए।
   ऋण में विस्तार :शिक्षा के लिए ऋण जिसमें प्रवेश/खर्चे
   वित्त/सुरक्षा : एनएमडीएफसी टेक और प्रो कोर्स के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रदान करता है
   चुकौती : 3% पी०ए० ऋण के लिए और 5 वर्ष के भीतर ऋण वापस।
3. **पाठ्यक्रम और अन्य :** माइक्रो फाइनेंसिंग योजना
   छात्र पात्रताः सबसे गरीब लोगों के लिए बहुत छोटे व्यवसाय के लिए और उन्हें नियमित रूप से बचत के लिए मदद ऋण प्रदान करते हैं।
   ऋण में विस्तार : छोटे व्यवसाय की स्थापना के लिए ऋण।
   वित्त/सुरक्षा : एनएमडीएफसी गरीबों को 25,000/- रुपये का अधिकतम ऋण प्रदान करता है।
   चुकौती : शुल्क 1% पी०ए०(एनजीओ) और 5% (एसएचजी) और 36 महीने के भीतर चुकौती।
4. **पाठ्यक्रम और अन्य :** महिला समृद्धि योजना (किसी भी काम में प्रशिक्षण)
   छात्र पात्रताः केवल अल्पसंख्यक की महिलाओं के लिए।
   ऋण में विस्तार : 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण और स्टिपेन।
   वित्त/सुरक्षाः एनएमडीएफसी 6 महीने के लिए प्रशिक्षु को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के लिए 500 रुपये प्रदान करता है।
   चुकौती : शुल्क 4% पी०ए०
   नोट : यह ऋण केवल अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस के लिए है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए 'मेरिट सह-मीन आधारित छात्रवृत्ति' के अंतर्गत पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र संस्थानों की सूची।

आंध्र प्रदेशः

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, वारंगल
2. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान, हैदराबाद
3. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, (आईआईटी), हैदराबाद

अरुणाचल प्रदेशः

4. उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान

असम :

5. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी), उत्तर गुवाहाटी
6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, सिलचर

बिहारः

7. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, पटना, बिहार
8. राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, पटना
9. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

छत्तीसगढ़ः

10. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
11. भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, छत्तीसगढ़

गोवाः

12. भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान,

गुजरात :

13. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गाँधीनगर
14. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
15. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

16. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद

17. एस.वी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

हरियाणाः

18. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र

19. सीमेंट और निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद, बल्लभगढ़

20. भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक

हिमाचल प्रदेशः

21. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर

22. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी

जम्मू और कश्मीर :

23. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर

झारखंड :

24. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

25. इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद - 826004,

26. राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी) राँची।

27. भारतीय संस्थान प्रौद्योगिकी, राँची।

कर्नाटकः

28. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर

29. राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान सुरथकल

30. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलोर

31. भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर

32. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्यागिकी संस्थान, बैंगलोर

केरलः

33. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

34. भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड़ा

35. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर

मध्य प्रदेश :

36. भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर

37. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
38. एबीवी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर।
39. भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
40. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल
41. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
42. पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

महाराष्ट्र :

43. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पवई
44. राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई
45. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
46. विश्वेश्वरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

मेघालय :

47. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान,
48. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलांग

ओडिशा :

49. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
50. भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान,
51. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर

पंजाबः

52. डॉ०बी०आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
53. संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एसएलएलईटी), संगरूर
54. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूपनगर,

राजस्थान :

55. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
56. भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
57. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर

तमिलनाडु :

58. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई

59. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली

60. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई

61. भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली

62. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण

त्रिपुरा :

63. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

उत्तर प्रदेश :

64. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

65. भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ

66. मोतीलाल नेहरु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

67. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), इलाहाबाद

68. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

उत्तराखंड :

69. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

70. भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर

पश्चिम बंगाल :

71. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

72. भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता

73. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

74. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, कोलकाता

75. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

चंडीगढ़ :

76. पोस्ट-ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्ज, चंडीगढ़

दिल्ली :

77. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

78. योजना और वास्तुकला के स्कूल

79. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)

80. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज

81. वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल

82. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर)

83. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

84. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

पुडुचेरी :

85. जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान, पांडिचेरी।

व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आईबीए मॉडल ऋण योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

उद्देश्य :

व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मॉडल ऋण योजना का उद्देश्य जैसा कि संस्थान/संगठन द्वारा आवश्यक है, बैंकिंग प्रणाली से उन लोगों को जो पाठ्यक्रम के तहत पात्र हैं जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना की उपयोगिता :

इस योजना को एसोसिएशन के सभी सदस्य बैंकों या अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाया जा सकता है जैसा कि आरबीआई द्वारा शायद सलाह दी गई है। यह योजना बैंकों को ऋण योजना को प्रचालित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है और कार्यान्वयन बैंक को समझ के अनुसार परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा।

योग्यता क्रिट्रिया :

छात्र एक भारतीय होना चाहिए और सरकार के एक मंत्रालय/मिशन/राज्य कौशल निगम, विशेष रूप से किसी सरकारी संगठन द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र डिप्लोमा/ डिग्री आदि के लिए एक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम योग्य :

सरकार के मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा समर्थित या एक कंपनी/समाज/संगठन समर्थित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल मिशन/राज्य कौशल निगमों द्वारा संचालित या अधिमानत :, 2 महीने से 3 वर्ष की अवधि के व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम।

न्यूनतम आयु :

ऋण के लिए पात्र होने के लिए छात्र की आयु के संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, यदि छात्र नाबालिग है और माता-पिता ऋण के लिए दस्तावेज निष्पादित करते हैं, बैंक उससे अनुसमर्थन पत्र प्राप्त करेगा।

वित्त की मात्रा :

नीचे पैरा 6 के तहत किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित अग्रलिखित वित्त होगा :

3 महीने तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए	20,000/-	3 से 6 महीने अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए	50,000/-
6 महीने से 1 वर्ष अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए	75,000/-	1 वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए	1, 50,000/-

यदि आवश्यक हो, तो प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए और नियोजनीयता (नौकरी की आय से चुकाने की क्षमता) की प्रकृति के संबंध में बैंक एक वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए उच्चतर सीमाओं की स्वीकृति पर विचार कर सकते हैं।

ऋण के लिए विचार किया गया एक्सपर्टः

शिक्षण/पाठ्यक्रम शुल्क परीक्षा/पुस्तकालय/लैबोरेटरी शुल्क जमा पुस्तकों के उपकरण और उपकरणों की खरीद

पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई अन्य उचित व्यय

मार्जिन	शून्य	प्रक्रिया शुल्क	शून्य

ब्याज की दर :

ब्याज दर बैंकों की आधार दर से जुड़ी होगी। यदि ब्याज सब्सिडी केंद्र राज्य/सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तो कम दर पर अध्ययन अवधि के दौरान और चुकौती के प्रारंभ तक साधारण ब्याज का प्रभार लिया जाएगा।

सुरक्षा :

कोई संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं ली जाएगी। अभिभावक संयुक्त उधारकर्ता के रूप में छात्र उधारकर्ता के साथ ऋण दस्तावेज़ निष्पादित करेगा।

मोरेटोरियम अवधि :

पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, चुकौती एक अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होगी जैसा कि नीचे बताया गया है 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए-पाठ्यक्रम के पूरा होने से 6 महीने, पाठ्यक्रम पूरा होने से 1 वर्ष से 12 महीने से ऊपर की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए।

चुकौती :

अधिस्थगन अवधि के बाद ऋण बराबर मासिक किश्तों में (ईएमआई) निम्नानुसार चुकाया जाएगाः

1 वर्ष तक के पाठ्यक्रम	2 से 5 वर्ष में	1 वर्ष से ऊपर के पाठ्यक्रम	3 से 7 वर्ष में।

पूर्वभुगतान :

उधारकर्ता चुकौती के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय ऋण चुका सकता है।

अन्य नियम और शर्तें :

भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए "आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना" पर लागू अन्य नियम और शर्तें भी इस योजना पर लागू होंगी।

शिक्षा ऋण वितरित करने के लिए एनएमडीएफसी की राज्य चैनल एजेंसियाँ।

1. **आँध्र प्रदेशः** माइनर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, रज़ाक मंज़िल, 5वीं मंजिल, हज हाऊस, नेम्पली हैदराबाद - 500 001 (ए०पी०), फोन 040-23244500 फैक्स : 23244368
2. **असम :** विकास और वित्त निगम लिमिटेड, आर०जी०बी सड़क, गणेशगुड़ी, गुवाहाटी **फोन :** 0361-2595480 **फैक्स :** 2207373
3. **बिहार :** वित्तीय निगम लिमिटेड, 34 अली इमाम पथ, हार्डिंग सड़क, पटना -1, **फोन :** 0612-2204975, **फैक्स :** 2215994
4. **चंडीगढ़ :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, एडल टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरी मंजिल सेक्टर 17-जी चडीगढ़, **फोन :** 0172-2707527 **फैक्स :** 2708690
5. **छत्तीसगढ़ :** कोणत्याही कॉर्प, वित्त और देव कॉर्प लिमिटेड, बी-9, सेक्टर-5 देवेंद्र नगर, रायपुर - 492005, **फोन :** 0771-4248601-15 **फैक्स :** 4248617
6. **दिल्ली :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम, अंबेडकर भवन, संस्थागत सेक्टर -16 रोहिणी, दिल्ली - 110085, **फोन :** 011-27570627 **फैक्स :** 27572630
7. **गुजरात :** गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नं. 11, डॉ0 जीवराज मेहता भवन, गाँधीनगर -382010, **फोन :** 079232-54583, **फैक्स :** 54152
8. **हरियाणा :** हरियाणा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम एससीओ 813-14 सेक्टर-22-ए, चंडीगढ़ **फोनः** 0172-2701722, 2701074, **फैक्स :** 2726826

   मेवात विकास अभिकरण, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, एनयूएच, जिला मेवात, हरियाणा, **फोन :** 01267-271461 **फैक्स :** 01267-271461
9. **हिमाचल प्रदेश :** एच०पी० अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, एसडीए परिसर, ब्लॉक नं० 38, प्रथम तल कासमपती, शिमला-171009, **फोन :** 0177-2621271 **फैक्स :** 2622164
10. **जम्मू और कश्मीर :** जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम, ब्लॉक-ए, पहली मंजिल, पुराना सचिवालय, श्रीनगर **फोन :** 0194-2458013. **फैक्स :** 2458013

जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम, 615-ए, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे, गांधी नगर, जम्मू

फोन : 0191-2430321 **फैक्स :** 2430321

जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बीसी विकास निगम, रोमेश मार्केट शास्त्री नगर, जम्मू-180004 **फोन :** 0191-2451762 **फैक्स :** 2433229

11. **झारखंड :** झारखंड राज्य अनुसूची जनजाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, बलिहार रोड, मोरबाडी, राँची -834008 झारखंड, **फोन :** 0651-2552398 **फैक्स :** 2541686

12. **केरलः** केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, 'सेन्टिनेल' टीसी नं. 27 / तिरुअनंतपुरम - 695035, **फोन :** 0471-2577539, 2577550, **फैक्स :** 2317539

    केरल राज्य महिला विकास समिति लिमिटेड, टी०सी० 20/ओ० पी० मनमोहन बंगला, कोवडिआर पी०ओ० **फोन :** 0471-2727668 **फैक्स :** 2316006

13. **कर्नाटक :** कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड, 12वीं मंजिल, मुख्य टॉवर, डॉ० अम्बेडकर वेदी बैंगलोर - 560001, **फोन :** 080-22864782 **फैक्स :** 22864782

14. **महाराष्ट्रः** मौलाना आजाद अल्पसंख्यक विकास निगम, दूसरी मंजिल पुराना कस्टम हाउस, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400023 **फोन :** 022-22653080 **फैक्स :** 22672294

15. **मिजोरम** : मिजोरम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जे० लाल मिगालियाना बिल्डिंग, टिकुअल 'ए' (नीचे टेनिस कोर्ट) **फोन :** 0389-2317390 **फैक्स :** 2326271

    मिजोरम सहकारी अपेक्स बैंक, बाजार बुंगकावन, पीबी -138, आइजोल, **फोन :** 0389-23274[illegible] **फैक्स :** 2327764

16. **मध्य प्रदेश :** म०प्र० पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, परिसर -2, प्रथम तल, राजीव गांधी भवन 35, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002 **फोन :** 07555-2660209 **फैक्स :** 2660175

17. **मणिपुर :** पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास समिति, मणिपुर सरकार, राज्यपाल रोड, मणिपुर, **फोन :** 0385-2442539 **फैक्स :** 2442539

18. **नागालैंड :** नागालैंड औद्योगिक विकास कॉर्प लिमिटेड, आईडीसी हाउस, पी०बी० नं० 5 दीमापुर - 797112, **फोन :** 03862-230571 **फैक्स :** 226473

    नागालैंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, नया सचिवालय परिसर पोस्ट बॉक्स 229, डीआईपीआर कार्यालय के नीचे, कोहिमा-797001 नागालैंड। **फोन :** 0370-2270301, 2270301 **फैक्स :** 224591

19. **उड़ीसा :** उड़ीसा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, प्रश्न नं० ए/6, यूनिट-वी राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर-751001 **फोन :** 0674-2391061

20. **पांडिचेरी :** पांडिचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम, नं० 5 जमींदार गार्डन, पुडुचेरी-605001, **फैक्स :** 0413-2325859

21. **पंजाब :** पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त निगम, एससीओ नंबर 60-61, सेक्टर 17ए, चंडीगढ़-160017 **फोन :** 0172-2705982 **फैक्स :** 2705995

22. **राजस्थान :** राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, अम्बेडकर भवन, प्लॉट नं०- 3/403/412, आईएलआरडी तल, जयपुर, **फोन :** 0141-2220721

23. **तमिलनाडुः** तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास कार्पोरेशन, 807, अन्ना साली, पाँचवाँ तल, पोस्ट बॉक्स 2785, चेन्नई-600002 **फोन :** 044-28514846 28515450

24. **त्रिपुराः** त्रिपुरा अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम लिमिटेड, पी आ झील चौमुहानी, कृष्णा नगर, अगरटाला, वेस्ट त्रिपुरा - 79 99 001, **फोन :** 0381-2326512

25. **उत्तर प्रदेश :** उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम लिमिटेड, 746, 7वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ -226001, **फोन :** 0522-2286158, 2286854, 2286401, **फैक्स :** 2286053

26. **उत्तरांचल :** उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, 161, पुराने नेहरु कालोनी वाई, देहरादून, उत्तरांचल

27. **पश्चिम बंगाल :** पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, भवानी भवन प्रथम तल, (पश्चिम), अलीपुर, कोलकाता - 700027, **फोन :** 033-24792893,24792998, **फैक्स :** 24792995

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिक्षा ऋण

प्रश्न . किस प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दी जाती है?

उत्तर. शिक्षा ऋण शिक्षा के सभी प्रकार अर्थात् सामान्य, व्यावसायिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

प्रश्न. इस योजना के तहत किस लागत का वित्तपोषण किया जाता है?

उत्तर. योजना जरूरतमंद छात्रों को भारत के साथ-साथ विदेश में अध्ययन के लिए निम्नलिखित लागतों को पूरा करने में सक्षम बनाता हैः प्रवेश शुल्क, किताबें, पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक उपकरण, मासिक शुल्क, उधार लेने वाले छात्र की जीवन पॉलिसी के लिए शुल्क बीमा प्रीमियम, सावधानी जमा/निर्माण निधि/बिलों/प्राप्तियों द्वारा समर्थित जमा, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक अध्ययन पर्यटन/परियोजना कार्य/व्यय आदि जैसे व्यय, बोर्डिंग और आवास व्यय और यात्रा व्यय/विदेश में पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए हवाई किराया सहित धन।

प्रश्न. इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर. छात्र पात्रता

- एक भारतीय होना चाहिए
- प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक /तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुरक्षित प्रवेश
- विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थानों में सुरक्षित प्रवेश।
- छात्रों के लिए योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्राप्त किया जाना चाहिए।

प्रश्न. मैं कितना ऋण राशि का लाभ उठा सकता हूँ?

उत्तर. मार्जिन के साथ माता-पिता/छात्रों की चुकौती क्षमता के अधीन आधारित वित्त की आवश्यकता निम्नलिखित के अधीन :

- भारत में अध्ययन के लिए : 7.50 लाख रुपये
- विदेश में पढ़ाई के लिए : 15.00 लाख रुपये

प्रश्न. बैंक द्वारा आवश्यक सुरक्षा क्या है?

उत्तर. उधारकर्ता की व्यक्तिगत दायित्व के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यक है :

रु० 4.00 लाख रुपये तक : कोई सुरक्षा नहीं।

रु० 4.00 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक : सुटेबल मूल्य की कोलट्रेल सुरक्षा या उपयुक्त 3 पार्टी गारंटी

प्रश्न. ऋण में ब्याज की विधि क्या है?

उत्तर. ऋण की चुकौती शुरू होने तक वितरण की तारीख से साधारण दर पर ब्याज लिया जाएगा, इसके बाद शेष राशि को कम करने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है।

प्रश्न. ऋण की चुकौती कब शुरू होती है?

उत्तर. चुकौती पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष या नौकरी पाने के 6 महीने के बाद जो भी पहले हो, शुरू होगा।

प्रश्न. चुकौती अनुसूची क्या है?

उत्तर. 60 से 84 मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है।

'नई मंजिल' के लिए दिशा-निर्देश

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल

1. भूमिका

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 1,028 मिलियन आबादी का 20% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा अल्पसंख्यकों का है। उनमें से मुस्लिमों का हिस्सा सबसे बड़े अल्पसंख्यक 13.4%, इसके पश्चात् ईसाई 2.3%, सिक्ख 1.9%, बौद्ध 0.8% जैन 0.4% प्रतिशत और बहुत थोड़ी संख्या में पारसी हैं। अल्पसंख्यकों की स्कूल ड्रॉपआउट दर बहुत उच्च है जो प्राथमिक स्तर (राष्ट्रीय 2% के मुकाबले) 14% तथा माध्यमिक स्तर पर (राष्ट्रीय 3% के मुकाबले) 18% बनती है। अल्पसंख्यकों की कार्य बल सहभागिता दर भी राष्ट्रीयता औसत (54% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 44%) से निम्नतर है जो समुदाय में रोजगारपरकता कौशलों के अभाव को दर्शाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार की मौजूदा योजनाएँ अल्पसंख्यक आबादी के लिए शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियों तथा कौशल एवं नेतृत्व विकास के सीमित क्रियाकलापों की व्यवस्था करती है। ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार, मुस्लिमों में स्कूल ड्रॉपआउट दरें की उच्चतम दरों में से एक है तथा ये ड्रॉपआउट ज्यादातर प्राथमिकता स्तर पर होता है। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति संबंधी सच्चर समिति की रिपोर्ट (2005) भी विभिन्न कारणों जैसे कि गरीबी, शिक्षा से प्रतिफल की न्यून संभावना, स्कूल तक कम पहुँच आदि के कारण मुस्लिमों में कम शिक्षा परिणामों का उल्लेख करती है। इसलिए ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जाना महत्वपूर्ण है जो शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करे जिससे नौकरियों के अर्थों में प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त हो। तदनुसार शिक्षा और कौशल विकास की समेकित योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास की तैयारी की गई है जिसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति और अल्पसंख्यकों की रोजगारपरकता की कमी को दूर करना है।

2. उद्देश्य

'नई मंजिल' का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को रचनात्मक तौर पर नियोजित करना और उन्हें सतत् एवं लाभकारी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करना है जिससे कि वे मुख्य धारा के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ जुड़ सकें। अगले 5 वर्षों में परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के उन युवाओं, जो स्कूल ड्रॉपआउट्स हैं, को जुटाना और उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) अथवा अन्य राज्य मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से कक्षा 8 अथवा 10 तक की औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना और प्रमाण-पत्र देना है।

(ii) कार्यक्रम के भाग के रूप में, युवाओं को बाजार प्रेरित कौशलों में एकीकृत कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

(iii) कम-से-कम 70% प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी में प्लेसमेंट उपलब्ध कराना जिससे कि वे मूलभूत न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सकें और उन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा हकदारियाँ जैसे कि भविष्य निधियाँ, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) आदि मुहैया कराना।

(iv) स्वास्थ्य एवं जीवन कौशलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुग्राहीकरण करना।

3. दृष्टिकोण

परियोजना के कार्यान्वयन दृष्टिकोण निम्नानुसार हैं:

(i) वर्तमान परियोजना प्रायोगिक है और इसमें कई क्रियाकलाप शामिल होंगे जो भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण हेतु कार्यनीतियाँ सीखने में सरकार को सक्षम बनाएँगे। इससे प्रत्येक परिवार आदि की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए एक आधारिक मूल्यांकन होगा।

(ii) इसे देशभर में चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाना है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र मुख्य भौगोलिक लक्ष्य होंगे।

(iii) इस प्रयोजनार्थ पंजीकृत कंपनी / फर्म / ट्रस्ट / सोसायटी और / अथवा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को नियुक्त किया जाएगा।

(iv) परियोजना द्वारा प्रत्येक स्तर पर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के परिणामों और रोजगारपरकता के अर्थों में समानता लाने के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(v) परियोजना मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्थित परियोजना प्रबंध एक द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। योजना के विभिन्न संघटकों की देख-रेख के लिए उनके साथ बाजार से हायर किए गए विशेषज्ञों की एक टीम होगी।

4. कार्यनीति

(i) **जुटाव :** गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 17-35 वर्षों के समूह वाले अल्पसंख्यक युवा, जो स्कूल ड्रॉपआउट्स हैं, योजना के अधीन मुख्य लक्षित आबादी है। उनकी संस्कृति के अनुकूल विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा बृहत् स्तर पर तथा पीआईए द्वारा परियोजना क्षेत्रों में लघु स्तर पर समर्थन/सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी) तथा जागरुकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम तैयार एवं क्रियान्वित किए जाएँगे। अल्पसंख्यक महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए अल्पसंख्यक

कार्य मंत्रालय की 'नई रोशनी' योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को भी इस योजना के लिए प्रेरकों के रूप में लगाया जाएगा। इसी प्रकार स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) सरीखी सामुदायिक स्तर की संरचनाओं का भी युवाओं की लामबंदी के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों हेतु प्राथमिक कैचमेंट एरिया 1,228 सामुदायिक विकास ब्लॉक होंगे जहाँ अल्पसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पता लगाए गए अनुसार कुल आबादी का 25% अथवा इससे अधिक है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति द्वारा राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा करके इन ब्लॉकों के अलावा भी कैचमेंट एरिया अधिसूचित किए जा सकते हैं।

(ii) **पहचान एवं चयन :** इस योजना के अंतर्गत जुटाए गए युवाओं को उपयुक्त परामर्श दिया जाएगा जिससे पीआईए को शिक्षा एवं कौशलों के अर्थों में उपयुक्त सहायता की पहचान करने के लिए उम्मीदवारों की चयन- पूर्व जांच करने में मदद मिलेगी। इससे बेसलाइन के लिए डाटाबेस भी तैयार होगा।

(iii) **प्लेसमेंट :** प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत, पीआईए प्रशिक्षणार्थियों के वैतनिक रोजगार के लिए नौकरियों में प्लेसमेंट को सुकर बनाएँगे। यह अधिदेश दिया गया है कि परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 70% युवाओं को प्रशिक्षण की समाप्ति के तीन महीनों के भीतर सफलतापूर्वक प्लेस किया जाना चाहिए। उन्हें संगठित उद्योगों में प्लेस करने का प्रयास किया जाएगा, तथापि, यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका वेतन राज्य स्तर पर मूल न्यूनतम वेतन से अधिक है और उन्हें भविष्य निधि, ईएसआई, सवेतन छुट्टी आदि सरीखे अन्य लाभ मिल रहे हैं।

5. योजना के संघटक

यह योजना 9 से 12 महीनों के लिए गैर-आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराएगी जिसमें से 3 महीने कौशल प्रशिक्षण को समर्पित किए जाएँगे। आशा की जाती है कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की प्रदानगी पूर्णतः एकीकृत होगी जिसमें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को समान रूप से ऑफर किए जा रहे वर्णित संघटक शामिल होंगे।

5.1 बेसिक ब्रिज कार्यक्रम

लाभार्थियों को बेसिक ब्रिज कार्यक्रम ऑफर किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) अथवा अन्य किसी राज्य बोर्ड जो ओपन स्कूलिंग देता है, से प्रमाण-पत्र दिए जाएँगे। लाभार्थी की पात्रता के आधार पर, उसे ओपन बेसिक एज्युकेशन (ओबीई) स्तर 'सी' पाठ्यक्रम करना होगा जो कक्षा (viii) के समतुल्य है अथवा एनआईओएस / राज्य बोर्ड का माध्यमिक स्तर परीक्षा कार्यक्रम

समतुल्य है। मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण एनआईओएस / राज्य बोर्ड के मानकों के अनुसार होगा। सीखने की प्रगति का पता लगाने के लिए पीआईए द्वारा आवधिक नियमित आंतरिक मूल्यांकन भी किए जाएँगे। यदि कोई अभ्यर्थी पहले प्रयास में मुक्त विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल नहीं होता है तो उसे और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा (एनआईओएस) प्रत्येक छात्र को कक्षा X उत्तीर्ण करने के लिए पांच वर्षों मे नौ बार प्रयास करने की अनुमति देता है)।

5.2 कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट

(i) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार पाठ्यक्रम और अन्य इन्पुट्स प्रयोग किए जाएँगे।

(ii) प्रत्येक प्रतिभागी इस परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक कौशल कार्यक्रमों के विकल्पों में से अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर चयनित कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना। इसमें संगत मृदु कौशल और जीवन कौशल भी शामिल होंगे।

(iii) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूपी रोजगारपरक मॉडुलर कौशल (एमईएस) / अहता पैक-राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (क्यूपीएनओएस) के अनुसार होगा।

(iv) मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) अथवा क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) के मॉडयूलर रोजगारपरक कौशलों (एमईएस) के निर्धारण के अनुसार होगी।

(v) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम 3 माह की अवधि का होगा और इसमें मृदु कौशल प्रशिक्षण, बेसिक आईओ प्रशिक्षण तथा बेसिक इंग्लिश प्रशिक्षण शामिल होगा।

(vi) इस कार्यक्रम का फोकस इस पर होगा कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत् रोजगार मिले।

(vii) कौशल प्रशिक्षण का क्षेत्र इस परियोजना हेतु किए गए कौशल अंतराल अध्ययन के दौरान पीआईए द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार बाजार संगत होगा। पीआईए द्वारा किए कौशल अंतराल अध्ययन का एमएसडीई द्वारा किए गए कौशल अंतराल अध्ययन से मिलान किया जाएगा। ट्रेडों / पाठ्यक्रमों के चयन का अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अतः प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दौरान पीआईए को उस

क्षेत्र में निर्माण और सेवा क्षेत्रों, दोनों में उद्योगों के कुछ विश्लेषण के आधार पर उस क्षेत्र में कौशल की मांग का उल्लेख करना चाहिए।

(viii) पीआईए के लिए सफल उम्मीदवारों को नियमित रोजगार में उसी क्षेत्र में प्लेस करना होगा जिनमें उनको प्रशिक्षण दिया गया है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वांछनीय है, तथापि, यदि यह संभव न हो तो पीआईए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नौकरी राज्य में अर्द्ध-कुशल कार्मिकों हेतु यथा अधिदेशित न्यूनतम वेतन दिया जाता है और नियोक्ता को कार्यक्रम के जारी रहने के दौरान अपने स्टाफ को भविष्य निधि, ईएसआई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा अन्य लाभ देने चाहिए।

(ix) नियोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, पीआईए को स्थानीय क्षेत्र के उद्योगों के साथ निरंतर संपर्क में रहना चाहिए और या तो स्वयं अथवा राज्य कौशल विकास मिशन के साथ सहभागिता करे जॉब मेलों का आयोजन करना चाहिए।

(x) एक बार प्लेस हो जाने के पश्चात्, पीआईए को अभ्यर्थियों को कम-से-कम तीन महीनों के लिए प्लेसमेंट उपरांत सहायता या तो दौरों के माध्यम से अथवा फोन कॉल्स द्वारा अथवा अन्य किन्हीं माध्यमों, जो सुगम हों के जरिए नियमित परामर्श से उपलब्ध करानी चाहिए।

(xi) पीआईए एक वर्ष की अवधि के लिए अपने सभी छात्रों को ट्रैक भी करेगा। यदि उस दौरान छात्र श्रम बाजार से ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसके लिए अन्य नौकरी खोजने की जिम्मेदारी पीआईए की होगी।

5.3 स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल

सभी प्रतिभागियों को मूलभूत स्वच्छता, प्राथमिकता चिकित्सा आदि सहित स्वास्थ्य जागरुकता और जीवन कौशलों संबंधी मॉडयूल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. पात्रता मापदंड

6.1 प्रशिक्षणार्थी / लाभार्थी

कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 100,000 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का कुल वास्तविक लक्ष्य 5 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि में पूरा किया जाएगा। आशा की जाती है कि लक्ष्य का लगभग 2% प्रथम वर्ष में कवर किया जाएगा और बकाया आने वाले वर्षों में वितरित किया जाएगा।

(i) प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) से संबंधित होना चाहिए।

(ii) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहाँ संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अधिसूचित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय मौजूद हैं तो उन्हें भी कार्यक्रम हेतु पात्र समझा जा सकता है किंतु उन्हें कुल सीटों के 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा।

(iii) प्रशिक्षणार्थी की आयु 17-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(iv) गैर-अल्पसंख्यक जिले अथवा शहर के भीतर अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता वाले कुछ विशेष पॉकेट्स भी विचार किए जाने के पात्र होंगे।

(v) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, दोनों से प्रशिक्षणार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के होने चाहिए।

(vi) प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम अर्हता एनआईओएस/नीचे परिभाषित समतुल्य के अनुसार होनी चाहिएः

(क) कक्षा VIII हेतु ब्रिज कार्यक्रम : अभ्यर्थी के पास कक्षा आठ उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण का अथवा समतुल्य शिक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए अथवा उसे इस पाठ्यक्रम को जारी रखने की अपनी योग्यता का उल्लेख करते हुए स्व-प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए एनआईओएस अथवा समतुल्य बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम आयु को पूरा करता हो।

(ख) कक्षा X हेतु ब्रिज कार्यक्रम : अभ्यर्थी के पास कक्षा दस उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण का अथवा समतुल्य शिक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए अथवा उसे इस पाठयक्रम को जारी रखने की अपनी योग्यता का उल्लेख करते हुए स्व-प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए एनआईओएस अथवा समतुल्य बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम आयु को पूरा करता हो।

(vii) योजना के अंतर्गत 30% लाभार्थी सीटें बालिका / महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की जाएँगी तथा लाभार्थी सीटें अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित की जाएँगी। अंतर-समुदाय एकता को प्रोत्साहित करने

के लिए गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के बीपीएल परिवारों से संबंधित 15% अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा।

(viii) यदि इस योजना के अंतर्गत यथा निर्धारित आरक्षित श्रेणियाँ रिक्त रहती हैं तो इन रिक्त सीटों को अनारक्षित समझा जाएगा।

6.2 कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों (पीआईए) की पात्रता)

(i) योजना में शामिल होने के लिए पीआईए को आमंत्रित किया जाएगा। पीआईए का चयन उनके चयन हेतु मापदंड में निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यांकन की जटिल प्रक्रिया और समुचित कर्मठता के अध्यधीन होगा। नीचे संस्थानों के प्रकारों की एक अस्थायी सूची दी गई है जिनका परियोजना के अंतर्गत पीआईए के रूप मे चुनाव किया जाएगाः

(क) एनसीवीटी अथवा एससीवीटी से मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी आईटीआई।

(ख) केंद्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों अथवा मुक्त विद्यालयों (अथवा समतुल्य) द्वारा अनुमोदित विद्यालय / संस्थान।

(ग) पैनल में शामिल होने के लिए पीआईए का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम-से-कम 15 करोड़ का कारोबार होना चाहिए और पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कम-से-कम 500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया हुआ होना चाहिए।

(घ) व्यावसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण / जॉब उन्मुख / स्व-रोजगार / उद्यमिता विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली पंजीकृत कंपनी / फर्म / ट्रस्ट / सोसायटी जिसने केंद्र सरकार की किसी योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में 500 व्यक्तियों को अनिवार्य रूप में प्रशिक्षित किया हो। वह कम-से-कम तीन वर्षों से अस्तित्व में हो और उसकी वैध स्थायी अथवा खाता संख्या अथवा सेवा कर पंजीकरण संख्या हो। उसके पास विगत वर्षों के लेखा-परीक्षित खातों के ब्यौरे हों तथा उसे भारत में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में न डाला गया हो। उसे केंद्र सरकार के उस संबंधित मंत्रालय का संतोषजनक निष्पादन का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस मंत्रालय की योजना के अंतर्गत उसने 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया हो।

(ii) पीआईए को एक प्रमुख संघटक के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी प्रत्येक सहभागी के साथ सहायता संघ में आने की अनुमति है। सहायता-संघ दृष्टिकोण के अधीन सभी भागीदारों से दस्तावेज लिए जाएँगे और अग्रणी (लीड) पीआईए उत्तरदायी होगा। तथापि तुलन-पत्र आदि जैसे वित्तीय दस्तावेज अग्रणी (लीड) पीआईए और अन्य भागीदार के संबंध में सहायता संघ / संयुक्त उद्यम के मामले में ही लिए जाएँगे।

(iii) पीआईए को संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी चयन समिति द्वारा 5 वर्षों के लिए पैनल में शामिल किया जाएगा जो उनके वार्षिक कार्य-निष्पादन और मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अध्यधीन होगा। चयनित पीआईए को चयन के समय पर निर्णय लिए गए अनुसार एक अथवा एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति होगी। योजना के अंतर्गत आउटसोर्सिंग अथवा फ्रेंचाइजिंग की अनुमति नहीं है।

(iv) पीआईए की मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित का प्रोमोटर गुणात्मक मूल्यांकन शामिल होगा :

(क) संगठन क्षमता : इसमें संगठन कौशलीकरण अनुभव, प्रोमोटरों एवं प्रबंधन टीम का अनुभव, आंतरिक संगठनात्मक नीतियों की सुदृढ़ता, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता शामिल है।

(ख) प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड : आवेदक पीआईए तथा / अथवा सरकारी एवं निजी परियोजनाओं में सहायता-संघ सहभागियों का कार्य-निष्पादन, उम्मीदवार का फीडबैक, नियोक्ता का फीडबैक, उद्योग के साथ टाई-अप आदि शामिल हैं।

(ग) शिक्षा का रिकॉर्ड : विगत तीन वर्षों में आधारभूत शिक्षा परियोजनाएँ, जैसे कि दाखिल किए गए और बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, को क्रियान्वित करने में संगठन के अथवा सहायता-संघ के सहभागियों के अनुभव शामिल हैं।

(घ) अल्पसंख्यक क्षेत्रों का अनुभव : अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कार्य करने के साक्ष्य जैसे कि केस अध्ययन, अपनाई गई कार्यनीतियाँ, स्थानीय समूहों के साथ भागीदारी करना आदि शामिल हैं।

(ङ) **सेक्टर का अनुभव :** प्रस्तावित सेक्टर, पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री और एनएसक्यूएफ के साथ तालमेल में प्रशिक्षण संचालित करने का पूर्व का अनुभव।

(च) **राज्य / क्षेत्र में अनुभव :** प्रस्तावित राज्य / क्षेत्र में प्रशिक्षण संचालित करने का पूर्व का अनुभव संघटन संबंधी कार्यनीतियाँ नियोक्ताओं के साथ टाई-अप, कौशल अंतर अध्ययनों के माध्यम से कौशलों के लिए समूह स्तर की मांग की समझ शामिल हैं।

(छ) **प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना :** प्रशिक्षण हेतु मौजूदा अवसंरचना जैसे कि प्रयोगशालाएँ और मशीनरी आदि।

(ज) **वित्त व्यवस्था :** पीआईए अथवा सहायता-संघ के मामले में अग्रणी पीआईए के तुलन-पत्र सरीखे वित्तीय दस्तावेज।

(v) गुणात्मक मूल्यांकन के उपरांत पीआईए का वास्तविक सत्यापन किया जाएगा जहाँ उसकी अवसंरचना, संकाय तथा वित्त व्यवस्था की मंत्रालय द्वारा गठित परियोजना प्रबंधन एकक द्वारा जांच की जाएगी। एक से अधिक संगठनों के पात्र होने की स्थिति में भागीदार (भागीदारों) का उक्त निर्धारित मापदंड को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो जाने के पश्चात 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर चयन किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहाँ किसी समय विशेष स्थान पर एक से अधिक पीआईए काम करना चाहती है तो कार्य आवंटित करने के लिए गैर मूल्य/गुणवत्ता मानदंड प्रयुक्त किए जाएँगे।

(vi) पीआईए को पैनल में शामिल किए जाने का अर्थ प्रशिक्षण कार्य अनिवार्यतः आवंटित करना नहीं है। मंत्रालय द्वारा जरूरत के अनुसार नए सिरे से पैनल तैयार कर सकता है।

7. परियोजना का वित्तपोषण

(i) यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित की जाएगी। अनुमोदित परियोजनाओं की संपूर्ण लागत मंत्रालय द्वारा निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार वहन की जाएगी। योजना के अंतर्गत विभिन्न संघटकों जो वित्तपोषण पाने के पात्र होंगे, की लागत आगे दी गई है:

विस्तृत मदें	ब्यौरे
जुटाव	• आईईसी सामग्रियाँ • यात्रा
पहचान एवं चयन	• प्रतिभागियों का परामर्श • चयन पूर्व जांच
शिक्षा (एनआईओएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागतें)	• ओपन स्कूलिंग के अंतर्गत दाखिला • शिक्षकों का वेतन / पारिश्रमिक • किराया एवं अवसंरचना • शिक्षण अध्ययन सामग्रियाँ • उपकरण एवं उपभोग्य वस्तुएँ • परीक्षा शुल्क • प्रशासनिक लागत
कौशल प्रशिक्षण (मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनसार)	• स्थानीय स्तर कौशल अंतराल विश्लेषण • जगह का किराया एवं अवसंरचना • अनुदेशकों के लिए पारिश्रमिक • उपकरण एवं उपभोग्य वस्तुएँ • परीक्षा शुल्क • प्रशासनिक लागत
प्लेसमेंट एंड ट्रेकिंग	• स्थानीय उद्योग को अभिप्रेरित करना • पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के साथ संपर्क • फोन कॉल तथा दौरों के माध्यम से ट्रेकिंग।
रिपोर्टिंग एवं निगरानी	• लक्ष्य तथा व्यय के मामले में प्रगति पर नियमित रिपोर्टिंग।

(ii) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान प्रति लाभार्थी आधार पर होगा। प्रति लाभार्थी प्रशिक्षण के लिए औसत लागत निम्नलिखित अनुसार परिकलित की जाती हैः

क्रम सं0	मद	प्रति लाभार्थी लागत	अभ्युक्तियाँ
1.	प्रत्यक्ष लागत		
1.1	शिक्षण लागत		

	अध्ययन केंद्र के लिए किराया एवं रख-रखाव व्यय	3,000	प्रशिक्षण अवधि, बिजली, पानी तथा ईएससी के हाउसकीपिंग व्यय के लिए प्रति वर्ग फुट 10 रु0 की दर से 6 कक्षा कमरों के लिए 500 वर्ग फुट
	शिक्षकों एवं केंद्र प्रभारी का वेतन	6,900	5 शिक्षक प्रति ईएससी (प्रति विषय के लिए 1) तथा एक केंद्र प्रमुख
	5 केंद्रों के लिए एक मुख्य संसाधन व्यक्ति तथा एक प्रशासक / एमआईएस / परामर्शदाता	700	लगभग 500 अभ्यर्थियों वाले 5 केंद्रों के एक समूह के लिए
	शिक्षकों को प्रशिक्षण	500	5 विषय के शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम
	लर्निंग एड्स	1,150	10 कंप्यूटर तथा एक प्रिंटर के किराए के आधार पर प्रत्येक स्थान पर कंप्यूटर लैब स्थापित किया जाना है।
	टीचिंग एड्स	750	प्रोजेक्शन सिस्टम, व्हाईट बोर्ड, टीचिंग एड्स तथा पोस्टर आदि जैसे टीचिंग एड्स
	लर्निंग किट	1,000	नोट बुक तथा ज्योमेट्री बॉक्स, मैप, असाइन्मेंट जैसे अन्य लर्निंग मेटिरियल सहित स्टेशनरी
	कुल (1.1)	**14,000**	
1.2	**प्रमाण-पत्र लागत सहित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम लागत**	**18,000**	
	उप-योग (1)	**32,000**	
2.	**पास थ्रू कॉस्ट**		
2 (क)	**मूल्यांकन एवं प्रमाणन**		
	एनआईओएस अथवा समतुल्य के अंतर्गत शिक्षा प्रमाणन	3,000	इसमें 5 विषयों के लिए पंजीकरण, परीक्षा तथा प्रैक्टिकल शुल्क शामिल होंगे।
	कौशल मूल्यांकन एवं प्रमाणन	1,000	यह एसएससी / एनसीवीटी दिशा-निर्देश के अनुसार (वास्तविक के अध्यधीन) है।

2 (ख)	लाभार्थी सहायता		
	वृत्तिका		
	शिक्षा	6,000	6 महीने के लिए प्रतिमाह 1,000 रु
	कौशल	4,500	3 महीनो के लिए प्रतिमाह 1,500 रु
2 (ग)	प्लेसमेंट के बाद सहायता	4,000	'सीखो और कमाओ' योजना दिशा-निर्देश के अनुसार नियोजित अभ्यर्थियों के लिए 2 महीनों के लिए प्रतिमाह 2,000 रु0
	उप-योग (2)	**18,500**	
3.	**निवारक स्वास्थ्य जाँच तथा दवाइयाँ**	**1,000**	
4.	**परियोजना प्रबंधन लागत**	5000	परियोजना लागत का 10%
	कुल (1+2+3+4)	**56,500**	

(iii) पीआईए को प्रति लाभार्थी 56,500 रु० की औसत दर पर भुगतान किया जाएगा और इस लागत पर के भीतर ही प्रशिक्षण से जुड़ी सभी रूपात्मकताओं का पालन किए जाने की उम्मीद की जाएगी।

(iv) उपर्युक्त तालिका में असमूहीकृत लागत समग्र लागत के संदर्भ में ही है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। पीआईए द्वारा लाभार्थी को वृत्तिका का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा। पीआईए जिला प्रशासन के माध्यम से आधार के लिए प्रशिक्षणार्थियों को निम्नांकित करने का प्रयास करेगा और उन्हें बैंक खातों से जोड़ेगा।

(v) योजना के लिए प्रारंभिक बजट नीचे प्रस्तुत है:

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	राशि (करोड़ रू० में)	अभ्युक्तियाँ
1.	पीआईए को लाभार्थी प्रशिक्षण लागत	565.00	1 लाख अभ्यर्थियों के लिए
2.	परियोजना प्रशासन		
	(क) तकनीकी सहायता एजेंसी सहित परियोजना प्रबंधन एकक	40.00	
	(ख) सूचना प्रबंधन प्रणाली	5.00	

	(ग) पायलट इंटवेंशन्स तथा निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन	10.00	
	(घ) पक्षसमर्थन	1.50	
	उप-योग	56.50*	प्रशिक्षण लागत का 10%
3.	आकस्मिक लागत	28.25	प्रशिक्षण लागत का 5%
	कुल योग	**649.75**	

* परियोजना की कुल लागत का 10% प्रशासनिक व्यय समग्र सीलिंग के भीतर योजना की प्रचालन संबंधी आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित किया जा सकता है।

(vi) वार्षिक लक्ष्य एवं लागत नीचे प्रस्तुत है:

तालिका 3

वर्ष	लक्षित लाभार्थी	लागत (करोड़ रु0 में)			
		पीआईए के लिए लागत	प्रशासन	आकस्मिक	कुल
वर्ष 1	2,000	11.30	11.30	11.30	11.30
वर्ष 2	25,000	141.25	141.25	141.25	141.25
वर्ष 3	30,000	169.50	169.50	169.50	169.50
वर्ष 4	30,500	172.33	172.33	172.33	172.33
वर्ष 5	12,500	7063	7063	7063	7063
कुल	**1,00,000**	**565.00**	**565.00**	**565.00**	**565.00**

7.1 निधियाँ जारी करना

(i) परियोजना के अनुमोदन पर, सामान्य वित्तीय अनुसरण करते हुए निधियाँ तीन किस्तों में निर्मुक्त की जाएँगी। जारी करने के लिए निधियाँ पीआईए को सीधे पीआईए के खाते में इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के द्वारा संवितरित की जाएँगी।

(ii) निधियाँ जारी करने के लिए अंतिम किस्त पैटर्न नीचे वर्णित है। तीन किस्तें <u>30:50:20</u> के अनुपात में हो सकती हैं। किस्तों का भुगतान सामान्य मानदंडों, यदि लागू हो, के अनुसार हो सकता है। अतिरिक्त संघटक भी, निष्पादन प्रोत्साहन सहित, नीचे पहचान की गई भुगतान शर्तों में जोड़ा जा सकता है:

1. **प्रथम किस्त :** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा परियोजना का अनुमोदन तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के पश्चात् प्रथम किस्त जारी की जाएगी।

2. **दूसरी किस्त :** दूसरी किस्त निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन जारी की जाएगी:

(क) प्रारंभिक प्रशिक्षणार्थियों के कम-से-कम 70% के साथ प्रशिक्षण की निरंतरता तथा प्रथम किस्त का एनआईओएस तथा पीआईए द्वारा किए गए कुल व्यय दिखाते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ प्रथम किस्त का 70% उपयोग।

(ख) परियोजना की लेखा परीक्षित रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण।

(ग) दूसरी किस्त प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पूरा करने के आधार पर की जाएगी और उत्तरवर्ती समायोजन प्रथम किस्त के संबंध में किए जाएँगे।

(घ) यह पीएमयू द्वारा मॉनीटर किए गए परिणामों से भी जोड़ा जाएगा।

3. **तीसरी किस्त :** तीसरी किस्त निम्नलिखित के होने पर जारी की जाएगी:

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना समापन रिपोर्ट। परियोजना समापन का अर्थ है– शैक्षणिक भाग की समाप्ति, त्रैमासिक कौशल विकास, पाठ्यक्रम की समाप्ति के तीन महीने के भीतर न्यूनतम 70 प्रतिशत प्रशिक्षण अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट और उनकी एक साल की अवधि की ट्रैकिंग। परियोजना चक्र की संपूर्ण अवधि लगभग 2 वर्षों से अधिक बनेगी। परिणामों तथा परियोजना समापन का मूल्यांकन करने के लिए व्यावसायिक पीएमयू की स्थापना की जा रही है।

(ख) लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण।

(ग) परियोजना में यथा अपेक्षित प्रदानगियाँ पूरी की गई हों और पीआईए द्वारा निम्नलिखित के संयोगिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित की गई हों:

- एमआईएस डेटा वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि, दोनों।
- निर्धारित प्रपत्र में किए गए प्लेसमेंट का ब्यौरा।
- निर्धारित प्रपत्र में स्व-नियोजित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ब्यौरे।
- निर्धारित प्रपत्र में उच्चतर शिक्षा में लिए जाने वाले प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के ब्यौरे।

8. परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन

8.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस)

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एक वेब-आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) विकसित की जाएगी जिसमें कई ब्यौरे शामिल किए जाएँगे जैसे कि :

(क) विद्यार्थियों का नामांकन रिकॉर्ड

(ख) टीचर्स प्रोफाईल

(ग) मासिक उपस्थिति रिकॉर्ड

(घ) ड्रॉपआउट्स तथा कारण

(ङ) मासिक परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट

(च) छात्रों का पुनः नामांकन, यदि कोई है

(छ) प्लेसमेंट ट्रैकिंग डाटा

(ज) मॉनीटरिंग दौरों के दौरान पहचान की गई समस्या तथा उसका निवारण

(झ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कोई अन्य पद

(ख) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ (पीआईए) आवधिक आधार पर एमआईएस द्वारा यथा अपेक्षित रिकॉर्ड इलैक्ट्रॉनिक और / या हार्ड कॉपी प्रारूप में भेजने के लिए उत्तरदायी होंगी और उनमें निर्धारित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी। पीआईए को भागीदार विशिष्ट सूचना बनाए रखनी होगी और सभी प्रयोज्य रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी। सूचना की प्रविष्टि की नियमितता और गुणवत्ता आवश्यकता अनुसार मंत्रालय द्वारा जरूरत के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ग) पीआईए द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड के प्रयोजन तथा क्रॉस चैकिंग के लिए रखी जाएगी। केंद्रों की बायो-मैट्रिक अटेंडेंस (आधार बेस्ड) तथा जीआईएस टेगिंग भी पीआईए द्वारा की जाएगी।

(घ) पीआईए प्रशिक्षिण पूरा होने के बाद एक वर्ष के लिए ट्रैकिंग आंकड़ा बनाकर रखेगा और प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए उसे एमआईएस पर बनाए रखेगा।

(ङ) जो अभ्यर्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और जो संघटितकर्ता ऐसे अभ्यर्थियों को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, एमआईएस पोर्टल उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने देगा। इस योजना के समर्थन प्रयासों के भाग के रूप में एमआईएस पोर्टल का व्यापक प्रचार भी किया जाएगा और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) और राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) के सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है।

(च) परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) परियोजना मूल्यांकन, वार्षिक बैंच मार्किंग सर्वेक्षण आदि सहित योहना की समग्र मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार को परियोजनाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। स्वायत्त एजेंसियों द्वारा तीसरे पक्ष की मॉनीटरिंग की भी परिकल्पना की जा सकती है। दूसरी किस्त की निर्मुक्ति को यह पीएमयू द्वारा मॉनीटर किए गए परिणामों से भी जोड़ा जाएगा।

8.2 पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता प्रबंधन

(i) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसी पीआईए अथवा किसी अन्य एजेंसी को एमआईएस पर वास्तविक वित्तीय रिपोर्टों की साथ-साथ निगरानी और रैंडम जांच के लिए प्राधिकृत कर सकता है। प्रशिक्षण केंद्रों को भौगोलिक स्थिति से जोड़

जाएगा ताकि उनकी स्थिति गूगल मानचित्रों पर आसानी से उपलब्ध हो जाए। निरीक्षण टीम बिना किसी स्थानीय सहायता के सीधे प्रशिक्षण केंद्र पर पहुँच सकती है। इसके अतिरिक्त, यह आंकड़ा एमआईएस पोर्टल पर भी डाला जा सकता है जिसका उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा अपने आस-पास किसी केंद्र को तलाशने के लिए किया जा सकता है। एमआईएस में एक और खास बात होगी जिसके द्वारा दौरा करने वाली टीम दौरा किए गए केंद्र के फोटो सीधे अपलोड कर सकती है। इससे एकत्र की गई सूचना योजना के अधीन आगे और मंजूरियों और निधियाँ जारी करने के लिए निर्णयन प्रक्रिया में फीड की जाएगी। मॉनीटरिंग में प्रशिक्षण केंद्रों का रेंडम दौरा और निम्नलिखित का विधिमान्यकरण शामिल हो सकता है।

(क) जरूरतों के अनुसार न्यूनतम अवसंरचना की मौजूदगी।

(ख) लाभार्थियों की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त तरीके उपयोग करते हुए एमआईएस प्रविष्टियाँ।

(ग) आवासीय क्षेत्र से उन अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और रिटेंशन के बारे में तथ्य जिन्हें योजना के अधीन लाभार्थियों और / या लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रशिक्षण दिया गया।

(ii) मंत्रालय जब कभी आवश्यक हो, इस प्रयोजन के लिए ज्ञान भागीदारों के रूप में गठित पीएमयू के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त एजेंसियों को भी नियोजित कर सकता है।

8.3 बेंचमार्किंग सर्वेक्षण और योजना का मूल्यांकन

मंत्रालय योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक बेंचमार्किंग सर्वेक्षण कराएगा और अपनी रणनीति और / या लक्ष्य क्षेत्र और जनसंख्या में बेहतर तालमेल करेगा। इन सर्वेक्षणों में मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण, कठोर प्रभाव मूल्यांकन आदि शामिल होंगे। इस योजना में अधिकतम अतिरिक्त सहायता जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदान किए जाने की जरूरत है, की पहचान के लिए प्रायोगिक क्रियाकलापों के लिए भी सहायता दी जाएगी।

9. प्रशासनिक व्यवस्थाएँ

9.1 संचालन समिति

(i) परियोजना का मार्गदर्शन एक संचालन समिति द्वारा किया जाएगा जो योजना कार्यान्वयन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में गठित की जाएगी। सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस समिति की अध्यक्षता करेंगे और इसकी संरचना निम्नलिखित अनुसार होगी :

(क) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (या उसका / उसकी नामिती)

(ग) संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

(घ) महानिदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
(ङ) सीईओ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
(च) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
(छ) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
(ज) भारत सरकार द्वारा शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में विशेष विशेषता वाले नामित्त दो सदस्य
(झ) सीआईआई, फिक्की और एसोचैम द्वारा क्रमशः नामित 3 सदस्य
(ञ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का वित्त सलाहकार (या उसका / उसकी नामिती)
(ट) पीएमयू का परियोजना समन्वयक-सदस्य सचिव।

(ii) संचालन समिति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगी :
(क) परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) के कार्यों का मार्गदर्शन करना :
(ख) पीएमयू की वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडल्यूपीबी) की समीक्षा और उसका अनुमोन करना;
(ग) कार्यान्वयन प्रगति की आवधिक समीक्षा करना;
(घ) लाभार्थी की पहचान, प्रशिक्षण प्रदानगी, कार्यक्रम क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को नियोजन शर्तों आदि सहित योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी अतिरिक्त दिशा-निर्देशों, परिवर्तनों और आशोधनों का अनुमोदन करना; और
(ङ) पीएमयू द्वारा उठाए गए किसी अन्य मामले पर निर्णय लेना.

संचालन समिति की वर्ष में दो बैठकें होंगी लेकिन अध्यक्ष द्वारा जरूरत के आधार पर तदर्थ बैठकें बुलाई जा सकती हैं

9.2 परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू)

(i) रोजमर्रा के कार्य मंत्रालय में गठित परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) द्वारा देखे जाएँगे जिसमें इस प्रयोजनार्थ मेहनताना देकर रखे गए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

(ii) पीएमयू अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगी :
(क) परियोजना कार्यान्वयन के लिए उत्तरादायी एवं जवाबदेही होने के नाते रोजमर्रा का प्रबंधन और समन्वय तथा सभी प्रशासनिक एवं विधिक आवश्यकताओं को पूरा करना;
(ख) संचालन समिति के अनुमोदन के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीबी) तैयार करना
(ग) पीआईए के लिए चयन / समापन और उसे अधिसूचित करना;
(घ) पीआईए की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करना, उनके आबन्ध का प्रबंधन, उन्हें सभी संवितरणों को संसाधित और अनुमोदित करना;
(ङ) योजना में बेहतर लाभार्थी लक्ष्यकरण और नामांकन के लिए समर्थन और आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण);

(च) योजना के लिए गुणवत्ता आश्वासन मानक स्थापित करना;

(छ) परियोजना मूल्यांकन, वार्षिक बेंचमार्किंग सर्वेक्षणों आदि सहित योजना के लिए समग्र मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करवाना;

(ज) योजना के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) विकसित और प्रारंभ करना, एमआईएस रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना और किसी आवश्यक कार्य मद की पहचान करना तथा कार्यान्वित करना; और

(झ) योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए यथा अपेक्षित अन्य कोई क्रियाकलाप शुरू करना।

10. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की आवेदन प्रक्रिया

(i) मंत्रालय पैनल में शामिल करने के लिए संगठनों / संसाधनों में समाचार पत्रों और मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट के जरिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगा।

(ii) नामिकायन के लिए मंत्रालय की एक संचालन समिति द्वारा रुचि की अभिव्यक्तियों (ईओआई) की जांच की जाएगी। नामिकायन की योजना संपूर्ण अवधि के लिए वैध रहेगी। तथापि, मंत्रालय के पास किसी भी चरण पर बिना कोई सूचना दिए नामिकायन को रद्द करने का अधिकार होगा।

(iii) मंत्रालय आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष में संगठनों का पैनल बना सकता है।

(iv) मंत्रालय एक तकनीकी सहायता एजेंसी के माध्यम से आवेदनकर्ता संगठनों के प्रत्यय-पत्रों का सत्यापन कर सकता है।

(v) पैनल में शामिल संगठनों के प्रस्तावों पर मंजूरीदाता समिति द्वारा विचार किया जाएगा। मंजूरीदाता समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव सचिव, अल्पसंख्यक कार्य द्वारा अनुमोदित किए जाएँगे।

(vi) मंत्रालय के पास आवेदन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार भी सुरक्षित है।

11. परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की विस्तृत भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझौता ज्ञापन में सम्मिलित किया जाएगा जिस पर वस्तुतः दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे। भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की एक नमूना सूची नीचे दी गई है :

11.1 शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तरदायित्व

(क) जनांकिकी की संरचना, शिक्षा स्तर और युवाओं की आकांक्षाओं को समझने के लिए कैचमेंट एरिया का प्रारंभिक अध्ययन करना।

(ख) अल्पसंख्यक समुदाय में कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जन परामर्श और प्रेरणा अभियान चलाना तथा उन्हें कार्यक्रम में सफलतापूर्वक नामांकित करना।

(ग) लाभार्थियों की आवश्यकताओं और कार्यक्रम के उद्देश्यों को बाजार मांग के अनुकूल बनाना। इसके लिए एक आधार के रूप में कौशल अंतर अध्ययन किया जा सकता है।

(घ) लाभार्थियों के लिए पात्रता परीक्षा, परामर्श, प्रशिक्षण-पूर्व प्रवेश कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

(ङ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान या अन्य बोर्ड जो मुक्त शिक्षा की अनुमति

देता है, के पाठ्यक्रम के अनुसार अकादमिक शिक्षा के लिए व्यवस्थित कक्षाएँ आयोजित करना।

(च) प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना और विधिवत रूप से अर्हता प्राप्त एवं अनुभवी आध्यापकों/सुविधाप्रदाताओं का पूल उपलब्ध कराना।

(छ) प्रशिक्षणार्थियों का वैतनिक रोजगार में प्लेसमेंट के लिए बाजार से संबंध बनाना।

(ज) 'रोजगार मेलों' और 'रोजगार परामर्श' के लिए उद्योग के सहयोग से तंत्र को मजबूत बनाना ताकि जागरूकता फैलाई जा सके, विकल्प सृजित किए जा सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में गरीब और आरक्षितों का समुचित ध्यान रखा जाता है।

(झ) समर्थन और जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम ब्रांड का निर्माण करना।

प्लेसमेंट तथा प्लेसमेंट पश्चात् सहायता

(क) सभी अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट सहायता और परामर्श की पेशकश की जाएगी तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के न्यूनतम 70% का प्लेसमेंट किया जाना चाहिए।

(ख) साथ ही, स्व-रोजगार तथा / अथवा उच्चतर अध्ययन के लिए दाखिला और संगठित क्षेत्र में कम-से-कम 50%।

(ग) इस योजना के प्रयोजनार्थ शब्द 'संगठित क्षेत्र' का अभिप्राय ऐसे व्यवसायों से है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के अंतर्गत कवर किए गए हैं और जिन्हें भविष्य निधि के लाभ मिलते हैं।

(घ) प्लेसमेंट, जहाँ तक संभव हो कम-से-कम विस्थापना के साथ की जानी चाहिए।

(ङ) प्लेसमेंट पश्चात् सहायता (पीपीएस) के अधीन अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता का समय पर वितरण पीआईए के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों में से एक है।

(च) इस तथ्य को देखते हुए कि निर्माण-कार्य जैसे कुछ क्षेत्र संगठित नहीं हैं लेकिन अदायगी अधिकांशतः संगठित क्षेत्र से अधिक हो जाती है; अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा :

- (i) अभ्यर्थी के पास किसी जॉब के लिए विशेष मान्यता प्राप्त कौशल का होना; और
- (ii) जॉब द्वारा वैध भावी प्रागति होती हो।

(छ) अनौपचारिक क्षेत्र में प्लेसमेंट पर तभी विचार किया जा सकता है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएँ :

- (i) राज्य की न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन देने वाला प्रस्ताव-पत्र
- (ii) नियोक्ता की ओर से प्रमाण-पत्र कि न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है; और
- (iii) नौकरी पूरी तरह अस्थायी नहीं होनी चाहिए और उसमें स्थिरता हो जिसका

अर्थ है कि नौकरी का

(i) नियोक्ता द्वारा जारी वेतन-पर्ची

(ii) वेतन जमा किए जाने के साथ अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण

(iii) अभ्यर्थी के नाम और वेतन विवरण के साथ पत्र

(झ) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी को एक साल की अवधि के लिए प्लेसमेंट के बाद की ट्रेकिंग और मॉनीटरिंग, नई नौकरियों में बने रहने की समय-सीमा को सुनिश्चित करना होता है।

(ञ) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी को अभ्यर्थियों को व्यवस्थापित होने और उनके रोजगार की शुरूआती अवस्था में उनकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए प्लेसमेंट पश्चात् सहायता प्रदान करनी चाहिए।

12. लेखापरीक्षा

(i) मंत्रालय सीएजी तथा मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा सहित परियोजना के खातों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार रखता है। पीआईए को जब भी मंत्रालय की किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अनुरोध किया जाए तो इस प्रयोजनार्थ सभी संगत दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

(ii) सांविधिक उपबंधों के अनुसार वित्तीय लेखापरीक्षा पीआईए के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाए और अर्थपूर्ण लेखा परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना के खातों का अलग से रख-रखाव किया जाएगा।

(iii) परियोजना के अधीन लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और वास्तविक प्रगति पर की गई कार्यवाही के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय निधियों की दूसरी / तीसरी किस्त जारी करने के समय प्रस्तुत की जाएगी।

13. परियोजना का पूरा होना

(i) तीसरी (अंतिम) किस्त जारी करने से पहले पीआईए द्वारा लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र और दूसरी किस्त की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के साथ परियोजना पूरी होने की रिपोर्ट मंत्रालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ii) परियोजना समापन का अर्थ है– शैक्षणिक भाग की समाप्ति, त्रैमासिक कौशल विकास, पाठ्यक्रम की समाप्ति की तीन महीने के भीतर न्यूनतम 70% प्रशिक्षण अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट और उनकी एक साल की अवधि की ट्रैकिंग। परियोजना चक्र की संपूर्ण अवधि लगभग 2 वर्षों से अधिक बनेगी।

(iii) परियोजना से पहले और बाद में लाभार्थियों की स्थिति देखते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रलेखन (वीडियो, ऑडियो तथा फोटोग्राफ सहित) परियोजना का अभिन्न अंग है। इसमें परियोजना में उल्लिखित अनुसार प्रदानगियों का विवरण और उनकी तुलना में प्राप्त की गई उपलब्धियों को कवर किया जाना चाहिए।

14. मंत्रालय अपेक्षाओं के अनुसार किसी भी समय योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन कर सकता है।

छात्रवृत्ति एवं सहायता देने वाली जैन संस्थाएँ

आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना :-

1. महावीर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश, अध्यक्ष- महेंद्र कुमार रांका
2. श्री दिगम्बर जैन संस्था तेलंगाना, हैदराबाद-500 001, तेलंगाना

उत्तर प्रदेश :-

3. शिखरचंद जैन सहायता फण्ड, खिरनी गेट, अलीगढ़ -202 002, उत्तर प्रदेश
4. अचल जैन सेवा ट्रस्ट, 32-भगवती देवी जैन मार्ग, सदर, आगरा-282 001, उत्तर प्रदेश
5. मैत्री समूह, द्वारा- श्री पी. एल. बैनाड़ा, 1/205- प्रोफेसर्स कॉलोनी, हरी पर्वत, आगरा-282 002, उत्तर प्रदेश, फोन- (0562) 2151127, टेलीफैक्स -(0562) 2642703, 98370-25087, 93581-52111 www.maitreesamooh.com, E-mail-p.lbenara@benara_phb.com, maitreesamooh@hotmail.com
6. पी.एन.सी.एजुकेशनल ट्रस्ट आगरा, डी-51, कमला नगर, आगरा-282 005, उत्तर प्रदेश, संपर्क- प्रदीप कुमार जैन,
फोन- (0562) 4054400, 3268088, फैक्स-(0562) 2882925, मो.-98370-56653, E-mail- pkjain@pncinfratech.com
7. श्रद्धेय मातेश्वरी गुनमाला देवी दिगम्बर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीमती पुष्पलता महावीर प्रसाद जैन खंदौली, आगरा-282 006, उत्तर प्रदेश, फोन- (0562) 2392271 (अंतिम तिथि-31 अगस्त)
8. तीर्थंकर आदिनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट, सी-1503 अपैक्स अकासिया वैली, सेक्टर-3, वैशाली गाजियाबाद -201 001, उत्तर प्रदेश
9. श्री पार्श्वनाथ सहायता कोष, संस्थापक- जंबूप्रसाद जैन, 2-सी - 201, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201 003, उत्तर प्रदेश, फोन- (0120) 2794988, 2792705, मो. 98101-80510
10. छात्रवृत्ति कोष, 99-मानसरोवर, सिविल लाइंस, मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश,
11. पारस शैक्षिक विकलांग मंदबुद्धि सहायतार्थ समिति, मेरठ, उत्तर प्रदेश, चेयरमैन-प्रभाषचंद जैन (महलकावाले), श्री जी एसोसिएट्स एवं श्रीजी हेल्थकेयर व फिजियोथैरिपी सेन्टर, एम. एच. 71, पल्लवपुरम, फेस-दूसरा, मेरठ, 201 001, उत्तर प्रदेश, मो. 098979-37305, 098979-35005
12. वीर छात्रवृत्ति कोष, न्यू शांति नगर, तीर्थंकर महावीर मार्ग, मेरठ सिटी-201 001, उत्तर प्रदेश (अंतिम तिथि- 30 सितम्बर)
13. भूषणस्वरूप मुकेश कुमार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रस्टी-भूषणस्वरूप जैन, 274/1, ज्योति, नई प्रेमपुरी, तीर्थंकर महावीर मार्ग, मेरठ-250 002, उत्तर प्रदेश, फोन-(0121) 2510237, 3293633, 2400380, फैक्स-(0121) 4032503, मो. 94122-06737, E-mail mukeshjainjwellers@gmail.com
14. विद्यासुख छात्रवृत्ति, विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ-250 002, उत्तर प्रदेश, एस. के. जैन- प्रदीप जैन 94112-22666, 86500-00775, 86501-84146, फोन- (0121) 2439189, 2439188, 2439192, E- mail-info@vidya.edu.in

15. श्रावक निधि, उत्तर प्रदेश, द्वारा- श्री दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर, दुर्गावाड़ी, सदर, मेरठ कैंट-250 002, उत्तर प्रदेश

16. रतनचन्द जैन शास्त्री, 14-इंदिरा कॉलोनी, माला टॉकीज के पीछे, रामपुर-244 901, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखण्ड के दिगम्बर जैन छात्रों हेतु)

17. तीर्थंकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति उत्तर प्रदेश, महामंत्री-नलिनकांत जैन, ज्योति निकुंज, चार बाग, रोडवेज बस स्टेशन के पीछे, लखनऊ-226 004, उत्तर प्रदेश, फोन- (0522) 2451375, 2450085, 2452064, मो. 92360-62715

18. अमन चैरिटेबल ट्रस्ट, ए -377, इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226 016, उत्तर प्रदेश, संपर्क- धर्मवीर जैन' फोन- (0522) 3204475, मो.- 93359- 10926, ट्रस्टी- पी.सी. जैन, सी- 1115, इंदिरा नगर, चर्च के सामने लखनऊ- 226 016, उत्तर प्रदेश, मो. 94522-92586, 93366-17281

19. वर्धमान एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट (रजिस्टर्ड) ललितपुर, 4-राबरपुरा, बड़े जैन मन्दिर के पास, ललितपुर- 284 403, उत्तर प्रदेश, फोन-(05176) 274491, मो. 93369-30290, 94154-56950, अध्यक्ष- अजय जैन, पूर्व प्राचार्य- श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश

20. श्री 108 आचार्य विद्यासागर साधर्मी न्यास फण्ड, श्री दिगम्बर जैन अटा मंदिर जी, सावरकर चौक ललितपुर-284 403, उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष- डॉ. अक्षय टड़ैया- 94155-89458, महामंत्री-एडवोकेट धन्य कुमार जैन-99191-66130 (शिक्षा, चिकित्सा, विवाह हेतु)

कर्नाटकः-

21. श्री बालचंद्र पी. कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट, 1-46, चन्द्रगुप्त भवन, स्टेशन बाजार, कोर्ट रोड, गुलबर्गा-585 102, कर्नाटक

22. श्री वी. एस. अजितराजै एवं श्रीमती जी.ए. सामिल ट्रस्ट, 143-थर्ड क्रॉस रोड, थर्ड ब्लॉक (ईस्ट), जया नगर, बेंगलुरु- 560 005, कर्नाटक

23. श्री चक्रेश्वरी महिला समाज, नं. 102, थर्ड ब्लॉक, आने बाण्डेय रोड, जया नगर, बेंगलुरु-560 011, कर्नाटक, संपर्क- एच.एस. मणिकराज (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)

24. श्री दक्षिण कन्नड़ मैत्रीकूट, शाम कम्पाउण्ड, ओल्ड टोल गेट, मुगडी रोड, बेंगलुरु-560 023, कर्नाटक

25. श्री दिगम्बर जैन महावीर संघ, दीवान खान लेन, चिक पेठ, बेंगलुरु -560 053, कर्नाटक

26. श्री ए. सी. नेमचन्दैया एजुकेशनल ट्रस्ट, नं. 438, 23वाँ क्रॉस रोड, दसवीं मेन रोड, बनाशंकरी सेकेण्ड ब्लॉक, बेंगलुरु -560 070, कर्नाटक

27. राजन फेलोशिप ट्रस्ट, 142- पाँचवाँ क्रॉस, राजमहल विलाश एक्सटेंशन, बेंगलुरु-560 085, कर्नाटक

28. पण्डितरत्न एम. शांतिराज शास्त्री ट्रस्ट, 'शांतिदूत' 369, 42वाँ क्रॉस, जया नगर, आठवाँ ब्लॉक, बेंगलुरु-560 082, कर्नाटक (अंतिम तिथि - 31 अगस्त)

29. बनाशनारी जैन समाज, 'ओंकारा', 240, दूसरा डी-क्रॉस, फर्स्ट फेज, गिरि नगर, बेंगलुरु-560 085' कर्नाटक

30. श्री गोमटेश्वर एजुकेशन सोसायटी, चन्द्रगुप्त रोड, मैसूर-570 001, कर्नाटक जनरल सेक्रेटरी-श्री सी.बी.एम. चन्द्राराया

31. श्री महावीर एजुकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कॉलरशिप सेक्शन, हासन-573 201, कर्नाटक (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)

32. जैन युवक मण्डल (ट्रस्ट), महावीर भवन, प्लॉट नं. 55, हिंदवाड़ी-590 011, बेलगावी, कर्नाटक (अंतिम तिथि- 15 सितम्बर)

33. भोमाज प्रतिष्ठान, खिद्रपुर ऑफिस, प्लाट नं. 72, हिंदवाड़ी-590 011, बेलगावी, कर्नाटक (अंतिम तिथि- 31 जुलाई)

34. भीमराव बालाजी अँगड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट, 'पितृ छाया' कॉमर्स कॉलेज के सामने, विद्या नगर, हुबली-580 021, कर्नाटक

35. श्रीमती नीरजा अनेकार मेमोरियल ट्रस्ट, महावीर निलय, करैयागी गल्ली, ओल्ड हुबली-580 024, कर्नाटक (अंतिम तिथि-20 अगस्त)

गुजरातः-

36. गुजराती दिगम्बर जैन महासभा, अहमदाबाद, गुजरात, सम्पर्क- अशोक भाई मेहता, मुम्बई- मो. 98216-05466, 70455-22206, योगेश भाई, अहमदाबाद- मो. 98254-43170

37. श्री विराग फाउंडेशन-गुजरात, एफ-1, मेम नगर कॉम्पलेक्स, आई.ओ.सी. पेट्रोल पंप के सामने, अहमदाबाद-380 001, गुजरात, प्रांतीय संयोजक-राकेश भाई गाँधी- मो. 98259-00124, अध्यक्ष-अरुण कोटड़िया

38 (i) इण्टरनेशनल अलुम्नी एसोसिएशन ऑफ श्री महावीर विद्यालय ट्रस्ट, 11/3 पुनीत नगर, 3-सेटेलाइट रोड, अहमदाबाद-380 015, गुजरात, फोन- (079) 26754470, (ii) International Alumni Association of Mahavir Jain Vidyalaya, 17323-NW Gold Canyon Lane, Beaverton OR 97006, Phone-503-891-1588,wwwjaamjv.org, E-mail-Jiten.vora@gmail.com

39. डॉ. शेखरचंद्र जैन, 25-शिरोमणि बंगलोज, बड़ोदरा एक्सप्रेस हाइवे के सामने, सी.टी.एम. चार रास्ता के पास, हाइवे, अहमदाबाद-380 026, गुजरात, फोन-(079) 585074, www.samanvaykendra.org, E-mail-drspjain@yahoo.com, info@samanvaykendra.org

40. श्री विघ्नहर विद्यासागर स्कॉलरशिप ट्रस्ट, बी-1, सी-1, सोमनाथ महादेव सोसायटी, लोकभारती स्कूल के सामने, सरगम शॉपिंग सेंटर, पार्ले प्वांइट, सूरत-395 001, गुजरात, संपर्क- (i) आशीष जैन, फोन- (0261) 2211776 (नि.) 2226098, 2891092 से 96 तक, फैक्स- (0261) 2891097 (का.), मो. 98258-00046, 98258-00021, (ii) कमलेश गाँधी, 4-सी प्रस्थापना, प्रतिष्ठा कॉम्पलेक्स, एक्सपेरीमेण्टल स्कूल के पास, भगवान चन्द्रप्रभ मार्ग, पार्ले प्वांइट, सूरत-395 001, गुजरात, मो-93777-81008

41. राजेन्द्र नाथूलाल जैन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, 103-104, जलाराम टेरेस, कड़ीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड सूरत-395 003, गुजरात, फोन- (0261) 2470580, 2224117

छत्तीसगढ़ :-

42. जैन जागरण, सदर बाजार, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़, संपर्क- श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट, सदर बाजार, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़, अध्यक्ष तिलोकचन्द बरडिया-93024-26100, ट्रस्टी- तिलोकचन्द भंसाली-94242-00039, मोतीलाल झावक-95735-93000, प्रकाशचन्द सुराना-98931-19000, जयकुमार बैद- 94255-02512

झारखंडः-

43. श्रीमती पुष्पादेवी जैन स्कॉलरशिप फण्ड, पूज्य तपस्वी श्री जगजीवनजी महाराज चक्षु चिकित्सालय, पेटरबार-829 121, बोकारो, झारखंड, फोन- (06549) 265609, 265653, फैक्स- (065749), 265718 मो. 94313-64768, 99391-64469

तमिलनाडु :-

44. जैन्स इण्डिया ट्रस्ट, नं. 11, पोन्नप्पा लेन, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई- 600 005, तमिलनाडु (केवल तमिलनाडु के छात्रों हेतु)

45. प्रतापमल हरकचन्द भंडारी करुणा इंटरनेशनल एजुकेशन फांउडेशन चेन्नई, तमिलनाडु, मेसर्स-टाटिया केमिकल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, 18-रिथेडन रोड, वेपेरी, चेन्नई- 600 007, तमिलनाडु, प्रवीण टाटिया- मो- 98400-95050, करुणा इंटरनेशनल-(044) 25231714, 25231724

46. गजेन्द्र निधि आचार्य श्री हस्ती स्कॉलरशिप फण्ड, संपर्क-अशोक कवाड़, पृथ्वी एक्सचेंज, 33-मोंटीथ रोड, एग्मोर, चेन्नई- 600 008, तमिलनाडु, टेलीफैक्स- (044) 43434249, मो. 93810-41097

47. सरिता फाउण्डेशन स्कॉलरशिप ट्रस्ट, श्रीमती सरिता महेन्द्र कुमार जैन, एशिया (चेन्नई) इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एस.पी.-23-ए, डेब्लब्ड प्लॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी (Guindy), चेन्नई-600 032, तमिलनाडु, फोन- (044) 22255457 2225505, E-mail-aecchn@airtelmail.in, info.chennai@asiaengy.com sarita@quibusresources.com निवास-नं. 3, थर्ड स्ट्रीट, वॉलेस गॉर्डन, नुंगम्बक्कम्, चेन्नई 600 006, तमिलनाडु मो. 98410-29845, ब्रांच ऑफिस-10-3-152, ईस्ट मेरेडपल्ली, सिकन्दराबाद.500 026, आन्ध्र प्रदेश, फोन-(0140) 27730519, फैक्स- (0140) 27732087

48. आचार्य हस्ती मेधावी छात्रवृत्ति योजना, गजेन्द्र निधि हस्ती स्कॉलरशिप फण्ड, बी. बुधमल बोहरा, नं. ईरुल्लप्पन स्ट्रीट, साहूकार पेठ, चेन्नई-600 079, तमिलनाडु, फोन-(044) 42728476, मो. 94442-35065

दिल्लीः-

49. अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस (दिल्ली), जीवन प्रकाश योजना, जैन भवन, 12-शहीद जीतसिंह मार्ग, दिल्ली-110 001, फोन- (011) 23363729, 23365420, फैक्स- (011) 23344380, www.jainconference.org, E-mail- aissjc1906@gmail.com (वेबसाइट पर फार्म भरकर भेजना अनिवार्य), जीवन प्रकाश योजना अध्यक्ष- संजय बोथरा-93265-96781, 98225-96781, मंत्री- लादूलाल बाफना- 98338-66852

50. श्री गणेश वर्णी अहिंसा प्रतिष्ठान, ट्रस्ट, द्वारा-सीताराम फिरोजीलाल जैन प्राइवेट लिमिटेड, कटरा वडीयान , दिल्ली-110 001

51. अखिल भारतीय दिगम्बर जैन परिषद, श्याम भवन, फ्लैट नं. 10, प्रथम मंजिल, 3611-नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली- 100 002, फोन-(011) 23253297, फैक्स-(011)23260754, E-mail.-abdjparishad@gmail.com

52. अहिंसा इंटरनेशनल, जीवन विला, 111-दरियागंज, नई दिल्ली-110 002, सेक्रेटरी जनरल-ए.के.जैन (सेवानिवृत्त-आई.आर.एस.), मो. 93124-01353

32. जैन युवक मण्डल (ट्रस्ट), महावीर भवन, प्लॉट नं. 55, हिंदवाड़ी-590 011, बेलगावी, कर्नाटक (अंतिम तिथि- 15 सितम्बर)
33. भोमाज प्रतिष्ठान, खिद्रपुर ऑफिस, प्लाट नं. 72, हिंदवाड़ी-590 011, बेलगावी, कर्नाटक (अंतिम तिथि- 31 जुलाई)
34. भीमराव बालाजी अँगड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट, 'पितृ छाया' कॉमर्स कॉलेज के सामने, विद्या नगर, हुबली-580 021, कर्नाटक
35. श्रीमती नीरजा अनेकार मेमोरियल ट्रस्ट, महावीर निलय, करैयागी गल्ली, ओल्ड हुबली-580 024, कर्नाटक (अंतिम तिथि-20 अगस्त)

गुजरातः-

36. गुजराती दिगम्बर जैन महासभा, अहमदाबाद, गुजरात, सम्पर्क- अशोक भाई मेहता, मुम्बई- मो. 98216-05466, 70455-22206, योगेश भाई, अहमदाबाद- मो. 98254-43170
37. श्री विराग फाउंडेशन-गुजरात, एफ-1, मेम नगर कॉम्पलेक्स, आई.ओ.सी. पेट्रोल पंप के सामने अहमदाबाद-380 001, गुजरात, प्रांतीय संयोजक-राकेश भाई गाँधी- मो. 98259-00124, अध्यक्ष-अरुण कोटड़िया
38 (i) इण्टरनेशनल अलुम्नी एसोसिएशन ऑफ श्री महावीर विद्यालय ट्रस्ट, 11/3 पुनीत नगर, 3- सेटेलाइट रोड, अहमदाबाद-380 015, गुजरात, फोन- (079) 26754470, (ii) International Alumni Association of Mahavir Jain Vidyalaya, 17323-NW Gold Canyon Lane, Beaverton OR 97006, Phone-503-891-1588,wwwjaamjv.org, E-mail-Jiten.vora@gmail.com
39. डॉ. शेखरचंद्र जैन, 25-शिरोमणि बंगलोज, बड़ोदरा एक्सप्रेस हाइवे के सामने, सी.टी.एम. चार रास्ता के पास, हाइवे, अहमदाबाद-380 026, गुजरात, फोन-(079) 5850744, www.samanvaykendra.org, E-mail-drspjain@yahoo.com, info@samanvaykendra.org
40. श्री विघ्नहर विद्यासागर स्कॉलरशिप ट्रस्ट, बी-1, सी-1, सोमनाथ महादेव सोसायटी, लोकभारती स्कूल के सामने, सरगम शॉपिंग सेंटर, पार्ले प्वांइट, सूरत-395 001, गुजरात, संपर्क- (i) आशीष जैन, फोन- (0261) 2211776 (नि.) 2226098, 2891092 से 96 तक फैक्स- (0261) 2891097 (का.), मो. 98258-00046, 98258-00021, (ii) कमलेश गाँधी, 4-सी प्रस्थापना, प्रतिष्ठा कॉम्पलेक्स, एक्सपेरीमेण्टल स्कूल के पास, भगवान चन्द्रप्रभ मार्ग, पार्ले प्वाइंट, सूरत-395 001, गुजरात, मो-93777-81008
41. राजेन्द्र नाथूलाल जैन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, 103-104, जलाराम टेरेस, कड़ीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड सूरत-395 003, गुजरात, फोन- (0261) 2470580, 2224117

छत्तीसगढ़ :-

42. जैन जागरण, सदर बाजार, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़, संपर्क- श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट, सदर बाजार, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़, अध्यक्ष तिलोकचन्द बरडिया-93024-26100, ट्रस्टी- तिलोकचन्द भंसाली-94242-00039, मोतीलाल झावक-95735-93000, प्रकाशचन्द सुराना-98931-19000, जयकुमार बैद- 94255-02512

53. आचार्य शान्तिसागर स्कॉलरशिप फण्ड, श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन श्रुतसंवर्धिनी महासभा, 5-राजा बाजार, खंडेलवाल जैन मंदिर कॉम्पलेक्स, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 002, फोन-(011) 23344668, 23344669, मो. 93129-62937, www.jaingazetteweekly.com, E-mail-digjainmahasabha@gmail.com, dmahasabha@yahoo.com, jain_gazette@yahoo.in

54. तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, उड़ान स्कॉलरशिप, 210-अणुव्रत भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, अध्यक्ष-सलिल लोढ़ा (सी.ए.) मो.- 98201-49302, महासचिव-पंकज ओस्तवाल- मो.- 94141-12572, 98311-44129, www.pf.org.in, E-mail-terapanthprofessionaloffice@gmail.com, tpfoffice@tpf.org.in

55. दिगम्बर जैन महासमिति, शिक्षा सहयोग योजना, श्री खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर, शिवाजी स्टेडियम के पीछे, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 002, फोन- (011) 23742102, E-mail-info@djmahasamiti.org

56. भारतवर्षीय जैन अनाथरक्षक सोसायटी, दरियागंज, नई दिल्ली. 110 002, फोन - (011) 23285676, 65297620

57. श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महिला महासभा-दिल्ली प्रदेश, 5-राजा बाजार, श्री खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर कॉम्पलेक्स, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 002 (दिगम्बर जैन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, जैन विधवा महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा एवं विवाह हेतु अनुदान)

58. श्वेताम्बर तेरापंथ महासभा, मेधावी छात्र प्रोत्साहन परियोजना, अखिल भारतीय अणुव्रत भवन, प्रथम तल, 210-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, फोन- (011) 46605504, 23233345, 23234641, 23238380, 23210593 फैक्स- (011)23239963, E-mail-anuvrat_mahasamiti@yahoo.com हरीशचंद्र जैन सचिव- 99999-81521, 98733-5563

59. साहु जैन ट्रस्ट, टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल, 7- बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, www.sahujaintrust.timesofindia.com, E-mail-bjnanpith@gmail.com (टेक्नीकल विषयों हेतु) (अंतिम तिथि-30 जुलाई) संपर्क-सोमचंद्र जैन (सचिव)

60. जैन्स इण्डिया ट्रस्ट, 6/36, डब्ल्यू, ई, ओ, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005, फोन-(011) 25748882

61. रामदयाल रघुवरदयाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, जैन भवन, छप्परवाला कुआँ, करोल बाग, नई दिल्ली. 110 005

62. श्री खण्डेलवाल जैन समाज, 14-रानी झांसी रोड, दिल्ली-110 005, डूँगरमल गंगावाल-मो. 98105-57733 गजेन्द्र बज 98103-08841

63. गिरधारीलाल प्यारेलाल एजुकेशन फण्ड, 34- चाँदनी चौक, दिल्ली-110 006

64. जयमाला देवी धर्मार्थ ट्रस्ट, 1734-दरीबां कला, नई दिल्ली- 110 006

65. वथीराम वोरीदेवी जैन धर्मार्थ ट्रस्ट, 5806-सदर बाजार, दिल्ली-110 006

66. श्री महावीरप्रसाद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा-अजितप्रसाद जैन एण्ड संस, 5268-69, श्रद्धानंद मार्ग, दिल्ली-110 006 (अंतिम तिथि- 15 जून)

67. श्री सुराणा विश्व बंधुत्व ट्रस्ट, 1690-चाँदनी चौक, दिल्ली -110 006

68. अखिल भारतीय दिगम्बर जैन तरुण परिषद, आर-10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली. 110 016, अध्यक्ष-मनोज जैन, एफ-236, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092, महासचिव-

जे. 88, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092 (पितृविहीन, दिव्यांग, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, स्कूल बैग, स्टेशनरी प्रदाता)

69. वर्धमान फाउण्डेशन, सी-14, ऊषा निकेतन, सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110 016, प्रधान ट्रस्टी-राजेन्द्र प्रसाद जैन, फोन-(011) 26561188, 26864402, मो. 098671-66466

70. सचिव-स्कॉलरशिप, जैन सोशियल वेलफेयर एसोसिएशन, एफ-22 ग्राउण्ड फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 016

71. इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज, डी-28, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017, चेयरमैन-डॉ. शुगनचंद जैन, मो. 98181-39000, 99718-03636, फोन- (011) 40793387, www.isjs.in, E-mail-svana@vsnl.com, isjs_india@yahoo.co.in, shuganjain1941@gmail.com, संपर्क -सुशील जाना- 99112-22593

72. महावीर चैरिटेबल सोसायटी दिल्ली, जैन मंच शाखा, शिवाजी पार्क, दिल्ली-110 027

73. बैरिस्टर चम्पतराय जैन ट्रस्ट, जैन मित्र मण्डल, धर्मुपरा, गाँधी नगर, दिल्ली-110 031

74. जैन छात्रवृत्ति फण्ड, विजय गुप्त रोड, नई दिल्ली-110 033

75. ज्ञानोदय चैरिटेबल सोसायटी, 572- एशियाड विलेज, नई दिल्ली- 110 049, फोन- (011) 26493538, 26492386, मो. 98114-49431 (जैन बच्चों के लिये सेकेण्डरी स्कूली शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता)

76. आर.के.पुरम् पब्लिक चैरिटेबल सोसायटी जैन समाज, सचिव-राजेश जैन, सैनिक फार्म, नई दिल्ली, मो. 098110-71221, संयोजक- महावीर प्रसाद जैन, 126- मुनीरका विहार, नई दिल्ली-110 067, मो. 99103-84885 (कन्या विवाह, बच्चों की पढ़ाई, असहाय वरिष्ठ नागरिक, विधवा, गरीब बच्चों, दिव्यांगों की शिक्षा एवं सहायता हेतु)

77. तरुण मित्र परिषद, एफ-236, मंगल बाजार, लक्ष्मीपुर, दिल्ली-110 092, महासचिव- अशोक जैन (साधनहीन, पितृविहीन व दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री वितरण हेतु)

78. श्रीमती आनंदमती जैन स्मृति पारमार्थिक न्यास चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली, द्वारा- अनिल कुमार जैन कागजी, श्री दिगम्बर जैन कमल मंदिर, डी-107, प्रीत विहार, दिल्ली-110 092, फोन- (011) 22420695, मो.- 98103-89697

79. श्री सेवाराम चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली, अध्यक्ष- श्रीमती ऊषा जैन, बी-54, प्रथम तल, 3-ईस्ट ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-110 093, मो. 98105-37304, सचिव निर्मल कुमार कासलीवाल, वात्सल्य भवन, जैन मंदिर मार्ग, *सांगानेर-302 029, जयपुर, राजस्थान (सीनियर हायर सेकेण्डरी तक के छात्रों हेतु, अंतिम तिथि - 15 जुलाई)*

पंजाब :-

80. वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल, चंडीगढ़ रोड, जमालपुर- 141 011, लुधियाना, पंजाब

पश्चिम बंगाल:-

81. बैजनाथ सरावगी स्मृति निधि, जैन हाउस, 8/1- एस्प्लेनेड (पूर्व), कोलकाता-700 069, पश्चिम बंगाल, ट्रस्टी- निर्मल कुमार सरावगी

82. श्री लार्ड महावीर फाउंडेशन, 10-प्रिंसेप स्ट्रीट, दूसरा तल्ला, कोलकाता-700 072, पश्चिम बंगाल, फोन- (033) 22256851, 40022880, E-mail-info@arrission.in

मध्य प्रदेशः-

83. चौधरी लखमीचन्द श्रीमतीबाई पारमार्थिक ट्रस्ट, चौधरी ट्रैक्टर्स, इंदिरा पार्क, अशोक नगर- 473 331, मध्य प्रदेश, सम्पर्क- रमेश चौधरी- मो. 94251-32055
84. चन्दनमल चोरडिया, फ्लैट नं. 102, पुष्परत्न श्रीपति बिल्डिंग, दिलपसंद टॉवर के पीछे, दिलपसन्द कॉलोनी , रेसकोर्स रोड, **इंदौर**- 452 001, मध्य प्रदेश (आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घर की रिपेयरिंग, नया बनवाना, आर्थिक मदद देना)
85. महावीर शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, महावीर ट्रस्ट, 63-महात्मा गाँधी मार्ग, तुकोगंज मेन रोड, **इंदौर**- 452 001, मध्य प्रदेश, फोन (0731)2527483, E-mail-mahaveertrust@rediffmail.com
86. श्री दिगम्बर जैन असहाय विधवा सहायता फण्ड जँवरीबाग, नसिया, इंदौर-452 001, मध्य प्रदेश (सन् 1908 में स्थापित)
87. श्री दिगम्बर जैन बजाजखाना सुकृत फण्ड, 21- साठा बाजार, इंदौर-452 002, मध्य प्रदेश
88. श्री जैन सेवा समिति, 52- भगवान महावीर मार्ग (उपाश्रय), इंदौर-452 002, मध्य प्रदेश ' संपर्क- वीरेंद्र नागदा
89. श्रीमती सरस्वती देवी जैन छात्रवृत्ति, मेसर्स - ट्रेड अपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड, 49-50, रेडीमेड काम्पलेक्स, परदेशीपुरा, **इंदौर**- 452 003, मध्य प्रदेश, फोन-(0731) 4703400, गौरव डोसी- मो. 78699-12855, रमेश कासलीवाल- मो.- 94259-05735, अध्यक्ष-एस.के.जैन, सचिव- डॉ. अनुपम जैन- मो. 94250-53822
90. अल्पसंख्यक वर्ग कोचिंग, कोठारी इंस्टीट्यूट, राजवाड़ा, इंदौर- 452 007, मध्य प्रदेश
91. जैन सोसायटी फॉर डेवलपमेण्ट ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन इंदौर, द्वारा -डॉ० अनुपम जैन, निवास-डी-14, सुदामा नगर, इंदौर-452 009, मध्य प्रदेश, कार्यालय- कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, 584-एम.जी.रोड, तुकोगंज, इंदौर-452 001, मध्य प्रदेश, फोन- (0731) 2545421 (का.), 2797790 (नि.), मो. 94250-53822, E-mail - anupamjain3@rediffmail.com, संस्थापक- राजीव जैन, अमेरिका, सुपुत्र-एस.के.जैन, प्रेसिडेण्ट-इण्डोरामा, श्रीमती चित्रा जैन
92. शान्तिकिशन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट 34-विला पर्ल, भूमि एन्क्लेव, सिल्वर स्प्रिंग फेस-1 ए. बी. रोड बाईपास, इंदौर- 452 010, मध्य प्रदेश, संपर्क- जितेंद्र कोठारी, नीतू कोठारी
93. 'ज्ञानम्' योजना, द्वारा- अजीत मूथा, सम्पादक-जैन जयति शासनम् , जी-1 गोमटेश अपार्टमेण्ट्स, 17-महावीर नगर, कनाडिया रोड, इंदौर-452 018, मध्य प्रदेश, फोन-(0731) 3253142, मो. 94254-80166, 95758-72652, E-mail-ajitmutha01@yahoo.com
94. बहादुरलाल अमृतलाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबूलाल अमृतलाल जैन हॉस्टल, 15-कंचन बाग, इंदौर-452 077, मध्य प्रदेश, फोन (0731) 2526613, 2526612, 2510075, www.bljaincharitabletrust.org, पंजीकृत कार्यालय-ए- 52, सिल्वर अपार्टमेन्ट्स शंकर थाने का मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई- 400 028, महाराष्ट्र
95. श्री देव पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर ट्रस्ट, संपर्क धमेंद्र सेठ, श्रीमन्त भवन, नानक वाई, खुरई-470 117, सागर, मध्य प्रदेश, मो. 98268-21702
96. जांगड़ा पोरवाड़ असहाय सहायक फण्ड, खण्डवा- 450 001 मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-देवेन्द्र भाई विमलचन्द सर्राफ, संपर्क- श्रीमती सुरेश जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, फोन-0731- 2103433

97. श्रीमती त्रिवेणी लखमीचंद जैन स्मृति सेवा न्यास, देवरी कलाँ-470 226, सागर, मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-प्रमोद जैन (कोयला वाले), बिलासपुर, छत्तीसगढ़- मो. 94252-20709, 96304-30000, संचालक-अकलेश जैन, देवरी कलाँ, मो. 93012-32070, 78695-63108
98. राष्ट्रीय दिगम्बर जैन युवा महासंघ, 595-दीप टॉवर, महाकौशल स्कूल के पीछे, कछियाना चौक, जबलपुर-482 002, मध्य प्रदेश, पंकज जैन (एम.डी.)- मो. 94249-25917, पवन जैन (एल.आई.सी.)-942515843, राजा जैन (अरविन्द)-मो. 94246-00008
99. प्रमोद शास्त्री स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट, बड़ा मलहरा -471311, छतरपुर,मध्य प्रदेश, संपर्क- पं. जिनेन्द्र सिंघई, पं. खुशालचन्द जैन, मो. 94240-85695, 98892-97968 (कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों हेतु)
100. श्री स्व. सिंघेन रुक्मणिबाई छात्रवृत्ति फण्ड, इटावा, बीना-470 113, सागर, मध्य प्रदेश, संपर्क-रोजश सिंघई- 98934-81016
101. श्री महावीरप्रसाद कंचनलता पहाड़िया, महावीरप्रसाद दिलीप कुमार ट्रस्ट, बुरहानपुर-450 335,मध्य प्रदेश
102. श्री दिगम्बर जैन छात्रवृत्ति फण्ड, अध्यक्ष-डॉ. सुरेन्द्र कुमार, एल-65 न्यू इंदिरा नगर, बुरहानपुर-450 331, मध्य प्रदेश, मो. 98265-65737, सचिव-पं. पवन कुमार जैन 'दीवान' श्री महावीर भवन, दत्तपुरा, मुरैना, 476 001 मध्य प्रदेश, मो. - 94253-64534
103. सेठ गुलाबचन्द विजयकुमार चौधरी छात्रवृत्ति एवं सहायता ट्रस्ट, ई-2/144, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल- 462 016, मध्य प्रदेश, अध्यक्ष-एडवोकेट विजय चौधरी, फोन-(0755) 2464415, मो. 98260-56441 E-mail-choudharyadvocates@gmail.com
104. ज्ञानोदय विद्यापीठ, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वल्लभ नगर, बीएचईएल, भोपाल-462 021, मध्य प्रदेश, फोन- (0755) 26217181, फैक्स-0755-2621723, मो. 94253-72634, 94243-22999, E-mail-vimbhopal@rediffmail.com
105. मातेश्वरी साकरबाई जैन छात्रवृत्ति फण्ड, माधवगंज, विदिशा -464 011, मध्य प्रदेश, संपर्क-संजय सेठ- 93290-80835 (पी-एच. डी. शोध उपाधि हेतु)
106. भगवानदास शोभालाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, चमेली चौक, सागर-470 002, मध्य प्रदेश, फोन-(07582) 268049, 268017, 268002, 268006, 268020, 268060, फैक्स-(07582) 268060, E-mail-sagarmp@hotmail.com
107. विद्यासागर विद्यानिधि, संतोष जय सन्दर्भ कॉम्पलेक्स, कटरा बाजार, सागर-470 002, मध्य प्रदेश, फोन (07582) 243755, 221736, 222075, 244475, संतोष जैन बैटरी वाले- 94258-90921, मंत्री- हीरालाल जैन- 98932-87628

महाराष्ट्र :-

108. दिगम्बर जैन धाकड़ महामण्डल, गोरखसन रोड, सहकार नगर, अकोला- 444 002, महाराष्ट्र
109. भारत चैरिटेबल ट्रस्ट, जे-78, एम. आई. डी. सी., कुपवाड़- 416 436 सांगली, महाराष्ट्र, संपर्क- महावीर पाटील/संतोष पाटील- 85549-91377, 85549-91454, फोन-(075) 881-71050, www.becmpl.com/trust Email-bharat.charity@becmpl.com
110. श्री तवनप्पा अप्पाराव पाटने ट्रस्ट, साहूपुरी, कोल्हापुर-416 012, महाराष्ट्र
111. डॉ. भरमू एम. चौगुले चैरिटेबल ट्रस्ट, रो. हाउस नं. 18 वसन्त विहार, पोखरण रोड नं. 2 ठाणे (पश्चिम)-400 601, महाराष्ट्र, फोन-(022) 21710718
112. ओसवाल शिक्षण संस्था, सुराणा चैम्बर, सदर, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

113. आनन्द प्रतिष्ठान, सेवन लब्स के सामने, शंकर सेठ रोड, पूना-411 002, महाराष्ट्र
114. गौतम लब्धि फाउंडेशन,नगर रोड, पूना-411 004, महाराष्ट्र, मो. 98220-02459, 98905-44566
115. लीला पूनावाला फाउंडेशन, फिला विला, 101/102, सर्वे नं. 23, बालेवाड़ी, डी. मार्ट के पास, बनेर, पूना-411 004 महाराष्ट्र, फोन- (020) 27224264, 27224265, E-mail-kalyan@lilapoonawalafoundation.com (केवल लड़कियों के लिए)
116. श्री जिनकुशल सेवा मण्डल, 384-नवी पेठ, अमर अपार्टमेंट्स विट्ठल मंदिर के पास, पूना-411 004, महाराष्ट्र (कक्षा 1 से 10वीं तक, पूना वालों के लिए), मो. 94220-85860, 94220-10008
117. सन्मति तीर्थ, फिरोदिया हॉस्टल, 844- शिवाजी नगर, बी.एम.सी. रोड, पूना-411 004, महाराष्ट्र (केवल प्राकृत भाषा के लिए)
118. अखिल महाराष्ट्रीय जैन संघटना, एफ.सी.रोड, शिवाजी नगर, पूना- 411 005, महाराष्ट्र
119. श्री जीवप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट, बी-4 पद्मवन सोसायटी, जगताप डेयरी के सामने, मॉडल कॉलोनी, पुणे-411 016, महाराष्ट्र, संपर्क- श्रीमती सुचेता आदेश शहा, 42-ए, 51- स्मिता बंगला, श्राविकाश्रम मार्ग, बुधवार पेठ, सोलापुर-413 002, महाराष्ट्र, फोन- (020)25653072
120. श्रीमती वसन्तीबाई पानाचन्द्र शाह चैरिटेबल ट्रस्ट, 815- सिंध को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, आंध्र, पूना-411 007, महाराष्ट्र
121. श्री पोपटलाल मानिकचंद शाह, मेसर्स-पी.वी. ब्रदर्स, 'वृन्दावन', 7-ए अत्तरेया को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, गोखले नगर रोड, 964-ए, शिवाजी नगर, पूना-411 016, महाराष्ट्र (अंतिम तिथि- 30 अगस्त)
122. विमल मुनोत फाउंडेशन, द्वारा-हरनेक्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 112, सेक्टर नं. 10, M.I.D.C भोसरी, पूना-411 026, महाराष्ट्र, फोन- (020) 66120270, मो. 96570-1884
123. एच.एस. कब्बूर एजुकेशन ट्रस्ट, 3-अमृत केशव नायर मार्ग, न्यू एम्पायर सिनेमा के बाद, फोर्ट, मुम्बई-400 001, महाराष्ट्र
124. श्री जैन केलवाड़ी मण्डल, 14-मर्जबन रोड, मुम्बई-400 001, महाराष्ट्र
125. अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन कांफ्रेंस मुम्बई, गोडीजी बिल्डिंग, दूसरा माला, त्रिभुवन बिल्डिंग-1, विजय वल्लभ चौक, 221-ए गुलालवाड़ी, पायधुनी, मुम्बई-400 002, महाराष्ट्र, फोन- (022) 23713273
126. गाँधी नाथारंगजी दिगम्बर जैनोन्नति, फण्ड, 80-बी, तीसरी मंजिल, पर्व चाल, झवेरी बाजार, मुम्बई- 400 002, महाराष्ट्र
127. वर्धमान जैन सेवा संघ, 21-गोदी जी की चाल, मुम्बई-400 002 महाराष्ट्र
128. एस.पी.जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, 533-कान्ता टैरेस कालवादेवी रोड, मुम्बई-400 002, महाराष्ट्र, फोन-(022) 22018848, 22018433, E-mail-bba@s.p.jain.org, संपर्क- रुचि भरूचा
129. श्री विजय केशव सूरि स्मारक स्कॉलरशिप ट्रस्ट फण्ड, कान्तिलाल नगीनदास झवेरी, 44/46-धनजी स्ट्रीट, मुम्बई- 400 003, महाराष्ट्र
130. जैन सहकारी बैंक लिमिटेड, हीराबाग, मुम्बई- 400 004, महाराष्ट्र
131. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 170-कान्दीवली, मुम्बई-400 004, महाराष्ट्र
132. श्री मोहनलाल चन्द्रवती जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, अध्यक्ष- श्री आर. के. जैन, 7/41, सातवीं मंजिल, सुनीता अपार्टमेंट्स, सोनिया इंटरनेशनल, मेकर टॉवर के सामने, कफ परेड, मुम्बई-400 005, महाराष्ट्र, मो. 93230-03006, 99563-21008

133. श्री हीराचन्द्र गुमानजी जैन बोर्डिंग स्कूल ट्रस्ट, 148-लेमिंगटन रोड, तारदेव ब्रिज के पास, मुम्बई-400 007, महाराष्ट्र (अंतिम तिथि-30 जून)
134. श्री अमीचन्द डालूचन्द शाह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डालूचन्द निवास, सर भालचन्द्र रोड, माटुंगा (सेंट्रल रेलवे), मुम्बई 400 019, महाराष्ट्र
135. सूरजमल श्रीमल मेमोरियल ट्रस्ट, 4-एफ-2 (ए), कोर्ट चैम्बर्स, 35-न्यू मैरीन लाइन्स, मुम्बई-400 020, महाराष्ट्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग हेतु)
136. रवीन्द्र पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट,303/304,अरिंजय चैम्बर, नरीमन प्वाइण्ट, मुम्बई- 400 023, महाराष्ट्र
137. श्रीमती बाई कलत्रे चैरिटेबल ट्रस्ट, 6-जिजामाता को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, शिव सृष्टि, कुर्ला (ईस्ट), मुम्बई-400 024, महाराष्ट्र, अंतिम तिथि- (31 जुलाई- अंडर ग्रेजुएट के लिए)
138. श्री महावीर जैन विद्यालय, 50/54-ए अगस्त क्रान्ति मार्ग, गुवालिया टेंक, मुम्बई-400 026, महाराष्ट्र,फोन- (022) 23759179, 23759399, www.smjv.org (अंतिम तिथि- 30 सितम्बर)
139. वालचन्द्र हीराचन्द्र चैरिटेबल ट्रस्ट, कंस्ट्रक्शन हाउस, बेलार्ड एस्टेट, मुम्बई-400 038, महाराष्ट्र
140. श्री वीर राघव जी गाँधी स्कॉलरशिप (शिष्यवृत्ति), द्वारा-प्रवीण हिम्मतलाल संघवी, ए-1 सरदार पटेल सोसायटी, नेहरू रोड, विले पार्ले (पूर्व) मुम्बई-400 057, महाराष्ट्र, www.jaina.org/vrgcommittee, E-mail-Ihsanghavi@yahoo.com /मो.93242-42324, अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र- डॉ. दिनेश दलाल, फोन- (022) 25127673, मो. 93240-27673, निरंजन शाह- (022) 22811660, मो. 98204-08634, हिंतलाल गाँधी-93233-31493, डॉ. विपिन भाई दोशी- 98210-52413, पंकज चांदमल-98202-49041
141. अखिल भारतवर्षीय सैतवाल दिगम्बर जैन परिषद (रजिस्टर्ड), 2- उमैया भवन को - ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-400 080, महाराष्ट्र, फोन-(020) 25680589, मो. -92244-45769
142. जैन समगणण माहिती केन्द्र, सी/ओ-झालावाड़ जैन श्वेताम्बर मूर्तिमंडल, के-2, ग्राउंड फ्लोर, मंगल कुंज, संभवनाथ देरासर के सामने, जीमली गली, बीरीबली (पश्चिम), मुंबई-400 092, महाराष्ट्र, संपर्क- हरेशभाई बारभाया- मो. 98330-39518, (कुँवारे, दिव्यांग, तलाकशुदा जैन युवक-युवितयों की सहायतार्थ)
143. सेठ केवलचंद धनजीभाई चैरिटेबल ट्रस्ट, म्हसवड़-425 432, सतारा, महाराष्ट्र, संस्थापक- बा. ब्र. डॉ. कंकूबाई केवलचन्द शाह
144. सौ. नवलबाई केवलचंद चैरिटेबल ट्रस्ट, म्हसवड़-425 432, सतारा महाराष्ट्र, संस्थापक-बा. ब्र. डॉ. कंकूबाई केवलचन्द शाह
145. जय अनन्त स्कॉलरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा- सुनीता संजय शाह, गुंजन एण्टरप्राइजेज, अमोलिक बंगला, अजिंक्य कॉलोनी के सामने,सतारा -415 001, महाराष्ट्र, मो. 98230-07274 (महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु)
146. जीवन मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट, रत्नत्रय फेब्रीकेटर्स, धामनी रोड, सांगली-416 416, महाराष्ट्र, संपर्क-सुनील पाटील, मो. 94224-10234
147. दक्षिण भारत जैन सभा 37- महावीर नगर, सांगली- 416 416, महाराष्ट्र, फोन नं (0233) 2623603 (उच्च शिक्षा हेतु अंतिम तिथि-31, अगस्त जैन धर्म परीक्षा आवश्यक, मुख्यतः आन्ध्रपदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, तेलगांना, एवं महाराष्ट्र के जैन विद्यार्थियों के लिये)

148. श्री बापू साहेब बी. चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, महावीर नगर, सांगली-416 416, महाराष्ट्र
149. सेक्रेटरी-पदवीधर संघटना, द्वारा सेठ रा.ध. दावड़ा जैन बोर्डिंग, 37- महावीर नगर, सांगली-416 416, महाराष्ट्र, फोन- (0233) 2625704
150. गाँधी नाथरंगजी दिगम्बर जैन बोर्डिंग, बालीब्स, सोलापुर-413 002, महाराष्ट्र

राजस्थानः-

151. श्रमण स्वर चित्र प्रकाशन, अकोला-312 205, चित्तौड़गढ़, राजस्थान
152. श्री जिनदत्तसूरि मंडल, दादावाड़ी, अजमेर-305 001, राजस्थान, मानद मंत्री-महेंद्र पारख, फोन (0145) 2623332, 2620357 (श्वेताम्बर जैन विद्यार्थियों को ऋण, छात्रवृत्ति, विधवा, तलाकशुदा व असहायों की सहायतार्थ)
153. अखिल भारतीय जैन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, 38-पार्श्वनाथ कॉलोनी, आंतेड, वैशाली नगर, अजमेर-305 006, राजस्थान, टेलीफैक्स- (0145) 2425003, मो. 94143-09698, आयोजन सचिव- कैलाश गदिया
154. ओजस्वी, अध्यक्ष- दर्शन बाफना, 15-एलआईजी कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर-305 006, राजस्थान, फोन-(0145) 2622902 (गरीबी रेखा से नीचे या अभावग्रस्त जैन प्रतिभाशाली छात्रों की अजमेर में शिक्षा सहायतार्थ)
155. महाप्रज्ञ सेवा प्रकल्प, गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर, राजस्थान, प्रबंध ट्रस्टी- नरेश मेहता
156. आचार्य श्री शांतिसागर छात्रवृत्ति योजना, दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन (राजस्थान रीजन) जयपुर-302 001, राजस्थान, संपर्क- सुरेश जैन (बांदीकुई)- मो. 94144-56885, राजेन्द्र बाकलीबाल- मो. 94144-3779, नवीन जैन- मो. 93145-20323, राजेन्द्र बड़जात्या- मो. 97850-74581, सुरेन्द्र पाटनी- मो. 98285-58576 (केवल राजस्थान के स्कूली छात्र-छात्राओं हेतु)
157. श्री दिगम्बर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मलजी छोगालाल, एम.आई.रोड, जयपुर- 302 001, राजस्थान
158. विधवा स्त्री एवं अनाथ बच्चा सहायता फण्ड ट्रस्ट, ठिकाना बख्शी भागचन्द्र, जयपुर, राजस्थान, कार्यालय- अशोक कुमार सुनील कमार बख्शी, 175- बख्शीजी का चौक, रामगंज बाजार, जयपुर, 302 003, राजस्थान, फोन- (0141)561696, 56438188 (विधवा स्त्री मासिक सहायता, असहाय बच्चों की शिक्षा, स्कूल फीस एवं चिकित्सा सहायतार्थ)
159. श्रीमहावीर जी छात्रवृत्ति फण्ड, दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी, महावीर भवन, सवाई मानसिंह हाइवे, जयपुर-302 003, राजस्थान, फोन-(0141) 2385247
160. सेठी बंजीलाल ठेलिया चैरिटी ट्रस्ट, बंजी हाउस, घीवालों का रास्ता, जयपुर- 302 003, राजस्थान, फोन- (0141)2564932, 2564882, मो. 93515-67490
161. जैन संस्कृति रक्षा मंच, सी-5 चिकित्सालय मार्ग, बापू नगर, जयपुर- 302 015, राजस्थान, महामंत्री-णमोकार जैन (सी.बी.एस.ई./आर.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई.)
162. माँ सुपार्श्व गौरव शिक्षा प्रोत्साहन संस्थान जयपुर, श्री दिगम्बर जैन मंदिर, वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर-302 020, राजस्थान, मुख्य संयोजक- राजेंद्र बड़जात्या, www.aryikagauravmatimataji.com, अखिल भारतवर्षीय जैन युवा एकता संघ, 24/253, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 98292-08208, 89469-67398, www.jainyuvaaktasamaj.com, E-mail-jainyuvaaktasamaj.com

163. सन्तोक तारा जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री लाभचंद्र कोठारी, डी- 120, कृष्णा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड, बापू नगर, जयपुर-302 025, राजस्थान, मो. 93140-03637 (श्वेताम्बर जैन 8वीं से उच्च कक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास करने वाले बच्चों हेतु)
164. गोठी चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री लाभचंद्र कोठारी, डी- 120, कृष्णा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड, बापू नगर, जयपुर- 300 025, राजस्थान, मो. 93140-03637 (श्वेताम्बर जैन विधवाओं, 1500 रुपया मासिक आयवाले कमजोर परिवार की सहातार्थ)
165. श्री अखिल भारतवर्षीय सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ, साधर्मी सहायता, सिटी पुलिस के सामने, जोधपुर-342 001, राजस्थान, फोन- (0291) 2626145
166. अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, समता भवन, आचार्य श्री नानेश मार्ग, जैन पी. जी. कॉलेज के सामने, नोखा रोड, बीकानेर-334 001, राजस्थान, फोन- (0151) 3292177, 2544867, फैक्स- (0151) 2203150
167. श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन महिला समिति, बीकानेर-334 001, राजस्थान, संपर्क- श्रीमती प्रेमलता मंगलकुमार पिरोदिया, 108- चाँदनी चौक, रतलाम-475 001, मध्य प्रदेश, फोन- (07412)232227, अध्यक्ष-श्रीमती शोभादेवी बैद
168. लक्ष्मीदेवी बांठिया साधर्मी सहायता फण्ड, श्री घेवरचन्द्र बांठिया, ब्यावर-305 901, अजमेर, राजस्थान, फोन- (01462) 251216, 257699
169. रतनलाल कंवरलाल पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा- आर. के. मार्बल प्रा. लि., मकराना रोड, मदनगंज-किशनगढ़- 305 801, अजमेर, राजस्थान, फोन (01463) 250501 से 250505 तक (का.) 250601 से 250610 तक (नि.) टेलीफैक्स- (01463) 250601, www.rkmarble.com, E-mail-info@rkmarble.com
170. ऋषभदेव चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघीजी, जैन मंदिर रोड, सांगानेर-302 029, जयपुर, राजस्थान, फोन- (0141)2730390, 3227338, फैक्स- (0141)2731952, www.jaininfo.org

हरियाणाः-

171. श्री लखीमल जैन छात्रवृत्ति ट्रस्ट, अग्रवाल मेटल वर्क्स लिमिटेड, झज्झर रोड, रेवाड़ी-123 401, हरियाणा
172. श्री आत्मानंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी (ए.आई.एम.टी.), जैन कॉलेज रोड, अम्बाला सिटी-134 003, हरियाणा, फोन- (0171) 2518570 (का.), टेलीफैक्स- (0171) 2518670, E-mail- director@aimtambala.com, aimtdirector@gmail.com

अमेरिकाः-

173. Dr. Arvind Shah, 36-Regent Dr. Oak, Brook IL- 60521, U.S.A. (offers Scholarships to Jain Students in U.S.A)
174. Boston Jain Center, 83-Fuller Brook Road, Wellesley MA 02181, U.S.A. (for Jain Students in New England States)
175.. Jain Foundation INC, 9725-Third Avenue, NE, Suite, 204-Stattle, Washington- 98115, U.S.A., Phone- (425) 8821492, Fax-(425) 6581703, E-mail-admin@jainfoundation.org

लेखिका के बारे में

नाम : बबीता जैन

जन्म स्थान : मोदीनगर (यूपी)

शिक्षा : एमए (अर्थशास्त्र), बीएड।

वर्तमान व्यवसाय : शिक्षण

शौक : स्तरीय हिंदी साहित्य सृजन।

श्रीमती बबीता जैन मोदीनगर के एक धार्मिक और प्रसिद्ध सामाजिक परिवार में पैदा हुई थीं। बचपन से ही वह एक मेधावी छात्रा थीं। उन्होंने मोदीनगर से स्वर्ण पदक के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनके पिता श्री रमेश चंद जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता और कई धार्मिक संस्थानों से जुड़े थे। वह बचपन से ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाली थीं।

शादी के बाद उन्होंने एक सद्गृहणी बनने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान वह कई सामाजिक गतिविधियों में लगीं रहीं। बारह वर्षों तक वह वंचित छात्रों को निःशुल्क पढ़ा रही थीं। 2011 में, उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया और सरकारी क्षेत्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। हालाँकि वह पेशे से शिक्षक हैं लेकिन लेखन का जुनून है और हिंदी साहित्य में अपने फ्रीलांसर लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। वह उप-संपादक के रूप में मासिक पत्रिका 'दिव्य देशना' से जुड़ी हुई हैं। उनकी प्रथम पुस्तक ''समाज सुधारक भारतीय महिलाएँ'' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित हो चुकी हैं।

वह अल्पसंख्यक अधिकारों के कार्य से बहुत जुड़ी हुई हैं और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन कर चुकी हैं। वह उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन से निकटता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक लाभों पर विभिन्न स्रोतों से सारी जानकारी एकत्र कर उसे इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है।

अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों को इस पुस्तक में एक ही स्थान पर रखा गया। अगर इस पुस्तक में कुछ भी छूट गया है, तो उसे लेखिका को सूचित किया जा सकता है ताकि इसके अगले संस्करण में संकलित किया जा सके।

संपर्क : द्वितीय आर एम, 112 ए, सेक्टर-2, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद - 201005

जिला : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

ई-मेल : babita73jain@gmail.com

आचार्य शांतिसागर 'छाणी' परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य
राष्ट्रसंत पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज

(चर्याकाल : 1988-2020)

पूज्यश्री थे एक मुक्ति साधक, एक समन्वयी मानवात्मा, जिनके अंतस् में होता था अध्यात्म, विज्ञान और कला का अपूर्व संगम; एक अनूठा सर्जन और अद्भुत समवाय एकांतिकता का अनेकांतिकता में। उनके उदार और उदात्त चिंतन के प्रकर्ष से भारतीयता को एक नई वितति प्राप्त हुई है। उनके संवेदी चित्त में बसा एक ऐसा कलाकार था जिसकी मर्मज्ञ दृष्टि में, प्रत्येक कर्म में, व्यवहार में एक व्यवस्था थी, निज पर शासन था, पुरातन की अधुनातन व्याख्या का सामर्थ्य था जो अतीत और वर्तमान के बीच सहज ही बना लेता था एक सेतुबंध, समन्वय का और इन सबसे आगे झलकता प्रतिपल उनका पारदर्शी मन, जो उनके अनुक्षा-ऊर्ध्वंग-स्वरूप को उदात्ततम स्वरूप में प्रस्तुत करता रहा।

श्रुत संवर्द्धन संस्थान
मेरठ (उ०प्र०)